## भाग—अ

# भारतीय संविधान (Constitution of India)

## उद्देशिका

''हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न
समाजवादी पंथ—निरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए,
तथा उसके समस्त नागरिकों को :
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास,
धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता
बढ़ाने के लिए
**दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।''**

## मूल अधिकार

1. **अर्थ एवं विकास :—**संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 30 तक तथा 32 से 35 (कुल 23 अनुच्छेदों) में व्यक्तियों के मूल अधिकारों के संबंध में व्यापक वर्णन किया गया है। इंलैण्ड में मूल अधिकार ''बिल ऑफ राइट्स'' द्वारा प्राप्त जनता के अधिकार कहे जाते है अमेरिका और फ्रांस में इन अधिकारों को नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत में भी ''गोलक नाथ'' (A.I.R.1967,S.C1643) के मामले में इन अधिकारों को नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार माना है। भारतीय संविधान में इन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के रूप में ही अंगीकृत किया गया है मूल अधिकार वे आधारभूत अधिकार हैं, जो नागरिकों के बौद्धिक, नैतिक, और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक ही नहीं वरन् अपरिहार्य हैं इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। संविधान के भाग 3 को भारत का मेग्नाकार्टा कहा जाता है। मेग्नाकार्टा द्वारा ही अंग्रेजों ने सन् 1215 में इग्लैण्ड के सम्राट जॉन से नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त की थी। 1689 में ''बिल ऑफ राइट्स'' नामक दस्तावेज में सभी महत्वपूर्ण अधिकारों को स्वतत्रंता को समाविष्ट किया गया।

**2. मूल अधिकारों के संवैधानिक सिद्धान्त :—**संविधान के अनुच्छेद 13 में मूलाधिकार से संबन्धित निम्नलिखित सिद्धान्त को शामिल किया गया है ।

i. **न्यायिक पुनर्विलोकन :—** जब राज्य द्वारा पारित या जारी विधि संविधान के भाग 3 द्वारा व्यक्तियों को प्रदत अधिकारों का उल्लंघन करती है या उन्हे न्यून करती है तब याचिका दाखिल किये जाने पर न्यायालय उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते है। न्यायालय ऐसे न्यायिक निर्णयों का भी पुनर्विलोकन कर सकते हैं जो मूलाधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

ii. **पृथक्करण का सिद्वान्त :—** यदि राज्य द्वारा निर्मित किसी विधि का कोई भाग मूल अधिकारों के असंगत या विरूद्ध है तो वह पूर्णतया असंवैधानिक या शून्य घोषित नहीं की जायेगी बल्कि मूल अधिकारों के असगंत या विरूद्ध भाग को ही शून्य घोषित किया जायेगा बशर्ते कि वह भाग पृथक्करणीय हो यदि वह भाग पृथक्करणीय न हो तो पूर्ण विधि को शून्य घोषित किया जायेगा।

iii. **अभित्यजन का सिद्वान्त :—** कोई व्यक्ति जिसको मूल अधिकार प्रदान किये गये हैं वह इन अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता ।

iv. **आच्छादन का सिद्धान्त :—** अनु0 13(1) के अनुसार संविधान पूर्व विधियां संविधान लागू होने पर उस मात्रा तक अवैध होगी जिस तक वे मूल अधिकारो से असंगत है। ऐसी विधियां प्रारम्भ से ही शून्य नहीं होती बल्कि अधिकारों के प्रवर्तित हो जाने के कारण वे मृत प्रायः हो जाती है। ऐसे कानून बिल्कुल लुप्त

नहीं होते है, वे केवल मूल अधिकारो द्वारा आच्छादित हो जाते है और सुषुप्तावस्था में रहते है। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि संशोधन के परिणामस्वरूप मृत प्रायः विधि पुनः सजीव हो जाती है, क्योकि संशोधन से उस पर से मूल अधिकारों के आच्छादन को हटा लिया जाता है और विधि को सभी दोषों व अयोग्यताओं से निर्मुक्त कर दिया जाता है ।

**3. मूल अधिकारों का संशोधन** –मूल अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं। इस संबध में संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया मूल संविधान के अनु0 368 में निहित की गई है मूल अधिकारों को अनु. 368 में विहित प्रक्रिया का उपयोग कर संशोधित किया जा सकता है या नहीं ? यह प्रश्न विवादास्पद रहा है क्योंकि अनु.13 (2) में प्रावधान किया गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा जो मूल अधिकारों को कम करती हो । इस प्रावधान से संविधान निर्माताओं का यही मंतव्य प्रकट होता है कि मूलाधिकारों को संशोधन कर उन्हें कम न किया जाये। संविधान का अन्तिम निर्वाचनकर्ता उच्चतम न्यायालय है, इसलिए उसके समक्ष सर्वप्रथम 1951 में ''शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ'' के मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि क्या संसद अनु. 368 में विहित प्रक्रिया द्वारा मूलाधिकारों को संशोधित कर सकती है। इस मामले में न्यायालय में निर्णय दिया गया कि अनु. 368 में विहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान के संशोधन अनु.13(2) में वर्णित विधि के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिए संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। यही मत उच्चतम न्यायालय ने "केशवानन्द भारती बनाम भारत संघ" के वाद में व्यक्त किया है। लेकिन ''गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य'' के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को अनु. 368 में मूल अधिकारों में संशोधन की कोई शक्ति नहीं है। इस मामले से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए 1971 में संसद ने 24 वां संशोधन कर यह व्यवस्था की कि –

(क) संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।
(ख) संसद द्वारा किये गये संशोधनों को अनु.13 के अन्तर्गत विधि नही माना जायेगा।
(ग) राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा।

**24 वें संविधान संशोधन की संवैधानिकता को केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य के मामले में चुनौती दी गई। सुनवाई के लिए 13 सदस्यीय खण्डपीठ का गठन किया गया। इस खण्ड़ पीठ ने 7:6 के बहुमत से यह निर्णय दिया कि**

(क) संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है और संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि के अन्तर्गत शामिल नहीं है।
(ख) संसद को संविधान में संशोधन की व्यापक शक्ति प्राप्त है–परन्तु वह इस शक्ति का प्रयोग करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। संविधान के आधारभूत ढांचे की अवधारणा को "इन्दिरा गांधी बनाम राजनारायण" तथा "मिनर्वा मिल बनाम भारत संध" के मामलों में भी मान्यता दी गई। इसी आधार पर 42 वे संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित किया गया।

**4. भारतीय संविधान के भाग 3 में अन्तर्विष्ट मूल अधिकारों को 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है जिसका विवेचन निम्नानुसार है –**

**1.समता का अधिकार** – भारतीय संविधान के अनु.14–18 के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है।

**(क) विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार** – अनु.14 द्वारा सभी व्यक्तियों को भारत के राज्यक्षेत्र में कानून के समक्ष समानता एवं कानून के समान संरक्षण से वंचित नही करने का अधिकार प्रदत्त है ।

**कानून के समक्ष समानता** :– इस शब्दावली को ब्रिटेन की सामान्य विधि से ग्रहण किया गया है जिसे प्रोफेसर डायसी के अनुसार विधि का शासन (Rule of law) कहते हैं। दूसरा वाक्यांश अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 7 में उक्त दोनों वाक्यांश प्रयुक्त किये गये हैं। इन दोनो वाक्याशों का उद्देश्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित ''प्रतिष्ठा की समानता'' (Equality of Status) की स्थापना करना है।

''विधि के समक्ष समानता'' का तात्पर्य व्यक्तियों के बीच पूर्ण समानता से नही है जो व्यवहारतः सम्भव भी नही है । इसका तात्पर्य केवल यह है कि जन्म मूलवंश, धर्म, लिगं, जाति आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच अधिकार प्रदान करने एवं कर्त्तव्यों के अधिरोपण में कोई विभेद नही किया जायेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति देश की साधारण विधि के अधीन होगा। विधि के समक्ष समता का तात्पर्य समान

परिस्थिति वाले व्यक्तियों के बीच समान विधि होनी चाहिये तथा समान रूप से लागू की जानी चाहिये। अनु.14 में निहित विधि शासन ''संविधान का मूल ढांचा है। अतःइसे अनु. 368 द्वारा संशोधन करके नष्ट नहीं किया जा सकता है। अनु.14 में ''नैसर्गिक न्याय'' का सिद्धान्त निहित है ।

अनु.14 वर्गीकरण की अनुमति देता है किन्तु वर्ग विधान का निषेध करता है। समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक विधि का सार्वदेशिक प्रयोग होता है क्योंकि सभी व्यक्ति प्रकृति, योग्यता या परिस्थियों से समान स्थिति में नही है। व्यक्तियों के विभिन्न वर्गो की आवश्यकताएं प्रायः भिन्न–2 व्यवहार की अपेक्षा करती है इसलिए भिन्न–भिन्न व्यक्तियों व स्थानों के लिए भिन्न 2 विधियों होनी चाहिये एक ही विधि को असमान परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए लागू करना असमानता होगी। अनु.14 युक्तियुक्त वर्गीकरण की अनुमति देता है। वर्गीकरण के युक्तियुक्त होने के निम्न दो शर्ते है –

(1) वर्गीकरण एक बोध गम्य अन्तरक पर आधारित होना चाहिये ।

(2) अन्तरक और उस उद्देश्य में तक्रसंगत संबंध होना चाहिये जिसे प्रश्नगत अधिनियम द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं।

**(ख) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का निषेध :–**अनु.15 में अनु.14 तक विहित समता के सामान्य नियम का विशिष्ट उदाहरण है। अनु.15 (1) में राज्य पर कर्त्तव्य आरोपित किया गया है कि वह किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा।

अनु.15के खण्ड(2)में नागरिकों के मध्य केवल धर्म मूलवंश, जाति, लिंग,या जन्म स्थान के इनमें से किसी के आधार पर –

(1) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों या मनोरंजन स्थलों में प्रवेश।

(2) राज्य निधि से पूर्णतया या अंशतः पोषित या जनता को समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों व सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के सबंध में भेदभाव का निषेध किया गया है।

इस अनु.के खण्ड (3) व (4) द्वारा राज्य को संरक्षणात्मक भेदभाव की अनुज्ञा दी गई है। स्त्रियों तथा बालकों के लिए सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों एवं अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान अनु.15 (4)के अधीन है ।

**(ग) लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता –** संविधान के अनु.16 में खण्ड (1) में प्रावधान है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी तथा खण्ड (2) में उल्लेख है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबध में केवल धर्म,मूलवंश,जाति,लिंग,या जन्म स्थान, निवास स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर न तो कोई नागरिक अयोग्य होगा और न ही उनमें विभेद किया जायेगा।

**अपवाद :–अनु016 के खण्ड (3),(4) व(5) में ही इस मूलाधिकार के अपवाद अन्तर्विष्ट हैं:–** (1) संसद कानून बनाकर किसी राज्य या स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी वर्ग या वर्ग के पदों के लिए नियोजन के सम्बन्ध में निवास विषयक प्रावधान कर सकती है।

(2) राज्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में जिनका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, नियुक्तियों व पदों के आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। विशेष कारणों के सिवाय आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(3) राज्य अनुसूचित जाति एवं जन जाति के सदस्यों के लिए सरकारी सेवा में पदोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। यह प्रावधान 77 वें संविधान संशोधन द्वारा अनु016 में खण्ड (4क) जोड़कर किया गया है। यह संशोधन ''इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ'' (मण्डल वाद) के वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया है।

(4) राज्य किसी धार्मिक संस्था के क्रिया कलापों का प्रबन्धन करने के लिए किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के मानने वाले लोगों को ही नियुक्त करने के कानून का निर्माण कर सकता है।

**(घ) अस्पृश्यता का अन्त :– अनु017 में प्रावधान किया गया है कि ''अस्पृश्यता का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है।'' अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी निर्योग्यता को लागू करना ''सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955'' के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।**

**(ड़) उपाधियों का अन्त :–**अनु0 18 में प्रावधान है कि –

(1) राज्य, सेवा या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा ।
(2) भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य में कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।

**2. स्वतंत्रता का अधिकार :–**भारतीय संविधान के अनु0 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है।अनु019 में भारत के सब नागरिकों को छः मूलभूत स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं।
अनु0 19(1) :– (क) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
(ख) शान्तिपूर्ण एवं निरायुध सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता।
(ग) संघ बनाने की स्वतंत्रता।
(घ) भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास व संचरण की स्वतंत्रता।
(ड़) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता।
(छ) कोई वृति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता।
अनु0 19 द्वारा प्रदत अधिकार केवल नागरिकों कों ही प्राप्त हैं।
उपर्युक्त स्वतंत्रताएं आत्यन्तिक नहीं है। किसी भी देश में नागरिको के अधिकार असीमित नहीं हो सकते है। एक व्यवस्थित समाज में ही अधिकारों का अस्तित्व हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अनु019 के खण्ड (2) से (6) के अधीन राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, सदाचार आदि के हितों की रक्षा करने के लिए निर्बन्धन लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। किन्तु निर्बन्धन युक्तियुक्त होना चाहिये।कोई निर्बन्धन युक्तियुक्त है या नहीं इस प्रश्न पर अन्तिम निर्णय की शक्ति न्यायालयों को है, विधान मण्डल को नहीं।

**निर्बन्धन के आधार (अनु019(2))वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्न आधारों पर निर्बन्धन लगाये जा सकते है।**

(1) राज्य की सुरक्षा।
(2) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के हित में।
(3) शिष्टाचार या सदाचार के हित में।
(4) लोक व्यवस्था।
(5) न्यायालय अवमान।
(6) मानहानि।
(7) अपराध उद्दीपन।
(8) भारत की प्रभुत्ता एवं अखण्डता।

**सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार पर अनु0 19(3) में उल्लेखित निम्न आधारों पर निर्बन्धन लगाये जा सकते है।**

(1) सभा शान्ति पूर्ण होनी चाहिये। (2) सभा बिना हथियार के होनी चाहिये।
(3) अनु0 19 के खण्ड (3) के अर्न्तगत लोक व्यवस्था के हित में निर्बन्धन लगाये जा सकते हैं।
अनु0 19 (1)(ग) के अन्तर्गत संघ की स्वतंत्रता पर अनु0 19 (4) के आधारों पर लोक व्यवस्था एवं नैतिकता पर निर्बन्धन लगाया जा सकता है।

**अनु0 19(1) (घ) एवं 19(1) (ड़) के अन्तर्गत भ्रमण एवं निवास की स्वतंत्रता पर अनु0 19(5) में वर्णित निम्न लिखित आधारों पर युक्ति युक्त निर्बन्धन लगाये जा सकते हैं–**

(1) साधारण जनता के हित में। (2) किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए।

**अनु0 19(1) (छ) में प्रदत्त वृति, व्यापार, एवं कारोबार की स्वतंत्रता पर राज्य निम्न आधारों पर निर्बन्धन लगा सकता है:–**

(1) साधारण जनता के हित में। (2) किसी वृति, या तकनीकी अर्हताएं निर्धारित करके।
(3) नागरिकों को पूर्णतः या कारोबार से बहिष्कृत करके।

**I. अपराधों के लिए दोष सिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण (अनु0 20):–**

अनु0 20 उन व्यक्तियों को जिन पर अपराध करने का अभियोग लगाया गया है। निम्नलिखित संरक्षण प्रदान करता है –
(क) कार्येत्तर विधियों से संरक्षण। (ख) दोहरे दण्ड के विरूद्ध संरक्षण।
(ग) आत्म अभिशंसन से संरक्षण।
(1) अनु0 20(1) यह उपबन्धित करता है कि किसी व्यक्ति को केवल प्रवृत विधि के उल्लघंन के अतिरिक्त अन्य अपराध के उल्लंघन के लिए दण्डित नहीं किया जायेगा।

II. **दोहरे दण्ड से संरक्षण** (**Double jeopardy**) – अनु0 20 (2) उपबन्धित करता है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दण्डित नहीं किया जायेगा। अनु0 20 (2) के संरक्षण के लिए तीन आवश्यक शर्तें है –

(क) व्यक्ति अभियुक्त होना चाहिए।
(ख) अभियोजन या कार्यवाही किसी न्यायालय या न्यायिक अभिकरण के समक्ष हुई हो तथा वह न्यायिक प्रकृति की रही हो।
(ग) अभियोजन किसी विधि विहित अपराध के सम्बन्ध में हो।

III. **आत्म अभिशंसन से संरक्षण (Self Incrimination)** :–अनु0 20 (3) यह उपबन्धित करता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरूद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जायेगा।इस संरक्षण हेतु निम्न लिखित शर्तें पूरी होनी चाहियें–
(क) व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप हो।
(ख) उसे स्वयं के विरूद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किया गया हो या बाध्य किया जाए।

IV. **प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता (अनु021)** –अनु021 यह उपबन्धित करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा अन्यथा नहीं। **अनु0 21 विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करता है।**
मेनका गांधी बनाम भारत संघ (**A.I.R 1978 S.C.597**) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनु0 21 को एक नया आयाम देकर इसके क्षेत्र को अत्यन्त विशद बना दिया है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्राण का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अनु0 21 में प्रयुक्त ''प्रक्रिया'' से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जो न्यायपूर्ण एवं युक्तियुक्त हो। प्रक्रिया युक्तियुक्त तब ही होगी जब नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन किया जायेगा।

**अनु021(क):– 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।**

**गिरफ्तारी एवं निरोध के विरूद्ध संरक्षण (अनु0 22)** :–अनु022 के खण्ड (1) और (2) किसी अपराध के सम्बन्ध में गिरफ्तार व्यक्तियों को निम्न लिखित अधिकार प्रदान करते हैं –
(क) गिरफ्तारी के आधार अतिशीघ्र बताये जाने का अधिकार।
(ख) अपनी रूचि के वकील से परामर्श एवं बचाव का अधिकार।
(ग) गिरफ्तारी के 24 घण्टे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये जाने का अधिकार।
(घ) 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध से स्वतंत्रता।
**अपवाद – अनु0 22 (3) में उक्त अधिकार के दो अपवाद हैं। शत्रु देश के व्यक्तियों तथा निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त नहीं है।**
**निवारक निरोध विधियां** :– अनु0 22 के खण्ड (4) से (7) किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अन्तर्गत गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करतें हैं। निवारक निरोध के अन्तर्गत निरूद्ध व्यक्तियों को निम्न लिखित संरक्षण प्रदान करते हैं।
(1) सलाहकार बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन।(2) गिरफ्तारी के कारण जानने तथा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार। (3) सलाहकार बोर्ड के अनुमोदन के बिना निरोध से विमुक्ति।

**3. शोषण के विरूद्ध अधिकार** :–दुराचारी एवं स्वार्थी व्यक्तियों तथा राज्य द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने के लिए अनु0 23 तथा 24 में प्रावधान किया गया है। ये अधिकार निम्नलिखित हैं।

i. **मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध** – अनु0 23 के अन्तर्गत मानव के दुष्व्यवहार तथा बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात श्रम प्रतिषिद्ध किया गया है तथा इसका उल्लंघन दण्डनीय घोषित किया गया है। लेकिन राज्य व्यक्तियों पर सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकती है और ऐसा करते समय नागरिकों में धर्म, जाति, मूलवंश, वर्ग या इनमें से किसी आधार पर विभेद नहीं करेगा।

ii. **कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध** :–अनु0 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जायेगा या किसी अन्य परिसंकटमय कार्य में नहीं लगाया जायेगा।

**4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार** –भारत में सभी लोगों को संविधान द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। धार्मिक स्वतंत्रता के सम्बन्ध में अनु0 25 से 28 तक में प्रावधान किये गये हैं, जो निम्न हैं –

I. **अन्तः करण की स्वतंत्रता** – अनु0 25(1) के अनुसार सभी व्यक्तियों को अन्तः करण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार है। लेकिन इस अधिकार पर लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। राज्य धार्मिक आचरण से सम्बद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य सांसारिक क्रिया कलापों के विनियमन या निर्बन्धन के सम्बन्ध में कानून बना सकता है।

II. **धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतंत्रता** :–अनु0 26 द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतंत्रता दी गई है लेकिन स्वतंत्रता धार्मिक संप्रदाय के व्यक्तियों द्वारा स्थापित धार्मिक संस्थाओं को दी गई है। इस क्रिया कलाप के लिए निम्न लिखित अधिकारी को शामिल किया गया है।

(क) धार्मिक और मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण।

(ख) धर्म विषयक कार्यों का प्रबन्ध।(ग) जंगम और स्थावर सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व।

(घ) जंगम और स्थावर सम्पत्ति का, विधि के अनुसार प्रशासन।

लेकिन उक्त अधिकारों पर राज्य द्वारा लोक व्यवस्था,सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है।

III.**धार्मिक कर से मुक्ति ( अनु0 27)** – अनु0 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय की वृद्धि के लिए व्यय किया जाता है। यहां यह ज्ञातव्य है कि कर व शुल्क में अन्तर है। लेकिन राज्य किसी धार्मिक सम्प्रदाय के लिए कार्य करने के प्रयोजनार्थ उस सम्प्रदाय के लोगों से शुल्क वसूल कर सकता है।,

IV. **राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा एवं उपासना का प्रतिषेध (अनु0 28)** –

अनु0 28 में चार प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं का उल्लेख किया है –

(1) राज्य निधि से पूरी तरह पोषित संस्थाएं। (2) राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं।

(3) राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाएं। (4) राज्य प्रशासित किन्तु किसी धर्म या न्यास के अधीन स्थापित संस्थाएं।

नं0 (1) की श्रेणी में आने वाली संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। नं0 (2) व (3) की श्रेणी में आने वाली संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है बशर्ते कि इसके लिए लोगों ने अपनी सम्मत्ति दे दी हो। नं0 (4) की श्रेणी में आने वाली संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।भारतीय संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्षता को सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। भारतीय धर्म निरपेक्षता की निम्न विशेषताएं हैं :–

(1) राज्य किसी धर्म द्वारा नियंत्रित नहीं होगा।

(2)राज्य किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म या आस्था के आधार पर विभेद नहीं करेगा ।

(3) राज्य न तो किसी धर्म का पक्ष लेता है न ही किसी धर्म का विरोध करता है। राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ है।

(4) संविधान की प्रस्तावना में भी ''पंथ निरपेक्ष'' शब्द समाविष्ट किया गया है।

''एस0 आर0 बोम्मई बनाम भारत संघ'' के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धर्म निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढ़ांचा है।

**5. संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार** – अनु0 29 एवं 30 में भारत के नागरिकों को संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी निम्न लिखित अधिकार प्रदान कियें गये है।

(1) अनु0 29 (1) भारत राज्य क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार प्रदान करता है। अनु0 30 का खण्ड (2) इस अधिकार को और भी सुदृढ़ बना देता है, जिसके अनुसार राज्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्प संख्यक समुदाय के प्रबन्ध में होने के आधार पर विभेद नहीं करेगा।

(2) अनु0 29 (2) के अनुसार राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश पाने से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी भी आधार पर वंचित न किया जायेगा।

(3) अनु0 30 (1) द्वारा धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

अनु0 30 द्वारा प्रदत्त अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है किन्तु अनु0 29 द्वारा प्रदत अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है।

**6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार** –अधिकारों का अस्तित्व ही उपचारों पर आधारित है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचारों का भी समावेश किया गया है। अनु0 32 संविधान के भाग तीन में होने के कारण स्वयं एक मूल अधिकार है।

अनु0 32 (1) नागरिकों को संविधान के भाग तीन द्वारा प्रदत्त मूलाधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्यवाहियों द्वारा प्रचालित कराने के अधिकार की गारन्टी प्रदान करता है। अनु0 32 (2) उच्चतम न्यायालय को इन अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित निर्देश या रिट जिनमें अन्तर्गत **बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण** प्रकार की रिट भी सम्मिलित है, जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

अनु0 32(3) के अधीन संसद विधि द्वारा किसी न्यायालय को उसकी सीमाओं के भीतर अनु0 32(2) की शक्तियां प्रदान कर सकती है ।

अनु032 (4) में प्रावधान है कि संविधान द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय इन अधिकारों को निलम्बित नहीं किया जायेगा। **अनु0 32 ''संविधान का आधारभूत ढांचा है ''**

**रिट्स और उनकी प्रकृति :–** रिट पाँच प्रकार की होती है, जो निम्नलिखित हैः–

**1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट ( Writ of Habeas Corpas)** – बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpas) एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है " *निरूद्व व्यक्ति को प्रस्तुत करो*"। यह रिट एक आदेश के रूप मे उन व्यक्तियों के विरूद्व जारी की जाती है जो किसी को बन्दी बनाये हुए है। संक्षेप मे यह रिट निरूद्व व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश है। यदि दिखाये गये कारणों से यह पता चलता है कि निरोध का कोई विधिगत औचित्य नही है तो न्यायालय निरूद्व व्यक्ति को छोड देता है। इस प्रकार इस रिट का मुख्य उद्देश्य गैरकानूनी रूप से निरूद्व किये गये व्यक्ति को शीघ्र उपचार प्रदान करना व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना है। इस रिट के अन्तर्गत निरूद्व व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना एक आवश्यक शर्त थी किन्तु " कानू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जलिंग" (AIR 1974 SC 510) के मामले मे उच्चतम न्यायालय मे यह अभिनिर्धारित किया है कि इस रिट के अन्तर्गत निरूद्व व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नही है। व्यक्तियों को बिना सामने लाये न्यायालय उसे छोडने का आदेश दे सकता है।

**बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट की शर्ते** :– इस रिट को जारी करने की दो मुख्य शर्ते है :–

1. न्यायालय को यह सुनिश्चित हो जाये कि बन्दीकरण अवैध है। यदि बन्दीकरण किसी विधि के उपबन्धो के अनुसार है तो यह लेख जारी नही किया जा सकता। अतुल चन्द बनाम बंगाल राज्य (AIR 1974 SC 2285)

2. रिट जारी करने के समय तक बन्दी रिहा न किया गया हो। यदि बन्दी को पहले ही छोड दिया गया हो तो रिट से कोई लाभ नही हो सकता इसलिए व्यर्थ मे लेख जारी नही करेगा। मोहित चन्द बनाम जिला मजिस्ट्रेट कलकता (AIR 1974 SC 2287)

**2. परमादेश – रिट ( Writ of Mandamus)** – परमादेश का अर्थ है " *हम आदेश देते है*।"इस प्रकार परमादेश उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय का एक आदेश है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या लोक – प्राधिकारी जिसके अन्तर्गत सरकार और निगम भी शामिल है , को उनके विधिक या लोक कर्त्तव्य या किसी विधि के अधीन दिए गये कर्त्तव्य को करने का आदेश दिया जाता है। इस रिट का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को विधि द्वारा विहित कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए विवश किया जाना है। विभागीय अनुदेश जो विधि नही होने का पालन कराने के लिए इस लेख का उपयोग नही किया जा सकता। जे.आर. रघुपति बनाम आंध्रप्रदेश (AIR 1988 SC 1681)

**परमादेश रिट जारी करने की शर्ते** :–

1. परमादेश के लिए याचना करने वाले का कोई न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय विधिक अधिकार होना चाहिए। सी.टी.कॉलेज बनाम चन्द मोहन (AIR 1978 इलाहाबाद 93)

2. परमादेश किसी वर्तमान अधिकार के प्रवर्तन के लिए जारी किया जा सकता है। किसी अधिकार को घोषित या सिद्व करने के लिए नही। लेश राम मनोबी सिंह बनाम कम्पूथांग्जाम (AIR 1978 गौहाटी 131)

3. परमादेश केवल लोक कर्त्तव्य के प्रवर्तन के लिए जारी किया जा सकता है। किसी संविदा द्वारा अधिरोपित कर्त्तव्य के प्रवर्तन के लिए नही। दूबर गोला बनाम भारत संघ (AIR 1952 कलकत्ता 496)

**3. प्रतिषेध रिट(Writ of Prohibition)**– प्रतिषेध रिट मुख्यतया अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायाधिकरणों को अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जान या प्राकृतिक न्याय के नियमो के विरूद्व कार्य रिने से रोकने के लिए जारी किया जाता है है। संक्षेप मे प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा की गई न्यायिक त्रुटियों को ठीक करना है।
सह रिट दोनो अवस्थाओं मे जारी किया जाता है– जहाँ अधिकारिता से बाहर कार्य किया जाता है और जहाँ अधिकारिता है ही नही।
प्रतिषेध रिट जारी करने की शर्ते :–
1. यह लेख केवल ऐसे प्राधिकारी के खिलाफ जारी हो सकता है जिसके कार्य न्यायिक या न्यायिक सदृश (Quasi- judicial) हो।
2. यह लेख तभी जारी हो सकता है, जबकि ऐसा प्राधिकारी अपने क्षैत्राधिकार के बाहर कोई कार्य करता है, जो विधि या प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के खिलाफ हो। मानिक लाल बनाम प्रेम चन्द (AIR 1957 SC 431)
3. जहाँ कुछ कार्यवाही अधिकारिता के अन्दर और कुछ बाहर है वहाँ लेख केवल कार्यवाही के उस भाग के खिलाफ जारी किया जायेगा जो अधिकारिता के बाहर है। शिवपूजन राय इन्द्रासन राय बनाम कलेक्टर ऑफ कस्टम (AIR 1988 SC 845)
**4. उत्प्रेषण रिट ( Writ of Certiorari)** – उत्प्रेषण रिट अधिनस्थ न्यायालयों या न्यायिक अथवा अर्द्व न्यायिक कार्य करने वाले निकायो मे चलने वाले वादों मे वरिष्ठ न्यायालयो के पास भेजने का आदेश दिया जाता है। जिससे उनके निर्णय की जाँच की जा सके और यदि वे दोषपूर्ण ि तो उन्हे रद्द किया जा सके। केवल वही व्यक्ति इस लेख के लिए आवेदन कर सकता है जिसके किसी मूल अधिकार या विधि का अतिक्रमण हुआ हो।
उत्प्रेषण लेख जारी करने की शर्तेः–
1. उत्प्रेषण लेख जारी करने की यह आवश्यक शर्त है कि ऐसी गलती होनी चाहिए जो अभिलेख देखने से ही प्रकट हो, उसको खोजने की आवश्यकता नही होनी चाहिए। हरि विष्णु कामथ बनाम अहमद ईशाक (AIR 1955 SC 233)
2. गलती विधि की होनी चाहिए, तथ्यो की नही। स्वर्ण सिंह बनाम पंजाब राज्य (AIR 1976 SC 232)
3. यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की उपेक्षा की गई हो तो उत्पेषण लेख जारी किया जा सकता है। भारत बैंक बनाम भारत बैंक कर्मचारी (AIR 1950 SC 188)

## प्रतिषेध (Prohibition) और उत्प्रेषण (Certiorari) मे अन्तर

**प्रतिषेध बहुत कुछ उत्प्रेषण से मिलता जुलता है। ये दोनो रिट मुख्यता अधीनस्थ न्यायालयों को अपनी अधिकारिता से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी की जाती है। उच्चतम न्यायालय ने हरिविष्णु** कामथ बनाम अहमद ईशाक (AIR 1955 SC 233) के मामले मे दोनो रिटो के अन्तर िक निम्न शब्दों मे व्यक्तत किया है "जब कोई अधिनस्थ न्यायालय ऐसे मामले की सूनवाई करता है जिस पर उसे अधिकारिता नही प्राप्त है तो वरिष्ठ न्यायालय प्रतिषेध– रिट जारी करके अधिनस्थ न्यायालय को उन कार्यवाहियों को आगे बढाने से रोक सकता है। दूसरी और यदि अधीनस्थ न्यायालय मुकदमे की सुनवाई कर चुका है और निर्णय दे चुका है तो उत्प्रेषण रिट जारी किया जायेगा ओर उक्त कार्यवाही को रद्द कर दिया जायेगा।"
**5. अधिकार पृच्छा रिट ( Writ of Quo- warranto)** – अधिकार पृच्छा का शाब्दिक अर्थ है " आपका प्रधिकार क्या है ?" यह रिट किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्व जारी किया जाता है जो किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किये हुए है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को उस पद के धारण करने से रोकना है। जिसे धारण करने का उसे कोई वैध अधिकार प्राप्त नही है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर बनाम गोविन्द राव (AIR 1985 SC 491)
अधिकार पृच्छा रिट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्त पूरी होनी चाहिए :–
1. प्रश्नास्पद पद एक सार्वजनिक पद हो।
2. व्यक्ति को विधिक रूप से उस पद को धारण करने का अधिकार न हो।

अधिकार – पृच्छा रिट किसी निजी प्रकृति के पद धारण करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध जारी किया जा सकता है। जमालपुर समाज सभा बनाम डा.डी. राम (AIR 1954 पटना 297)

## पुलिस बल के अधिकारों पर निर्बन्धन(अनु0 33)

**अनु0 33ः– इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को, बलों आदि को लागू होने में, उपान्तरण करने की संसद की शक्ति :– (**पुलिस बल के अधिकारों पर निर्बन्धन) संसद अपनी इस शक्ति के प्रयोग में निम्नलिखित व्यक्तियों के संबंध में मूलाधिकारों को उपान्तरित करके यह व्यवस्था कर सकती है कि किस सीमा तक इन व्यक्तियों को मूल अधिकार प्राप्त होंगे–

(क) सशस्त्र बलों के सदस्यों को,

(ख) लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी सुरक्षा बलों के सदस्यों को,

(ग)आसूचना या प्रति आसूचना के उद्‌देश्य के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों को,

(घ) (खण्ड क) से खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणाली में या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को,

लागू होने में, किस विस्तार तक निर्बंधित या निराकृत किया जाए जिससे उनके कर्त्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे।

## मूल कर्तव्य

**अनुच्छेद 51 (क)**–संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात् एक नया भाग 4–क जोड़ा गया है जिसके द्वारा पहली बार संविधान में नागरिकों के मूल कर्त्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। नये अनुच्छेद 51(क) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह–

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे,

(ख) स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को ह्रदय में संजोये रखे और उसका पालन करें,

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और अक्षुण्ण बनाये रखे,

(घ) देश की रक्षा करे और आव्हान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें,

(ड) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं,

(च) हमारी सामासिक (Composite) संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें,

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण (environment) की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव भी हैं, रक्षा करे, उनका संवर्द्धन करे ताकि प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रहे।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे,

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे,

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाईयों को छू ले।

(ट) छः वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के माता–पिता और संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे उन्हें शिक्षा का अवसर दें।

**संविधान में मूल कर्तव्यों की आवश्यकता :–** सरकार द्वारा नियुक्त संविधान संशोधन समिति का मत था कि जहाँ संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, वहां मूल कर्तव्यों का भी समावेश होना चाहिये। अधिकार और कर्तव्य एक–दूसरे के अन्योन्याश्रित होते हैं। प्रस्तुत संशोधन संविधान में इसी कमी को दूर करने के लिए पारित किया गया है। समिति के सदस्यों का यह विचार था कि भारत में लोग केवल अधिकारों पर जोर देते हैं, कर्तव्यों पर नहीं। किन्तु संविधान–समिति के सदस्यों का यह मत बिल्कुल गलत है। प्रारम्भ से ही भारत में कर्तव्यों के पालन पर विशेष बल दिया जाता रहा है। भारत के सभी धर्मग्रन्थों में कर्तव्य–पालन का ही उपदेश प्रमुख है। गीता और रामायण

जैसे महान् ग्रन्थ हमें अपने अधिकारों की परवाह किये बिना अपने कर्तव्यों के पालन करने का ही उपदेश देते हैं। कर्तव्यों का पालन करना व्यक्ति के हित में है और इससे समाज का भी हित होता है। संशोधन–समिति के सदस्यों का यह कहना भी गलत है कि भारतीय संविधान में केवल मूल अधिकारों पर ही बल दिया गया है और समाज के प्रति नागरिकों के मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान के उपबन्धों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे संविधान ने जहाँनागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किये हैं, वहीं उन कर्तव्यों को भी अधिरोपित किया है। नागरिक अपने मूल अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक हित के विरूद्ध नहीं कर सकता है। राज्य को लोकहित में उसके मूल अधिकारों पर निर्बन्धन लगाने की शक्ति प्राप्त है।

**अनुच्छेद (311). संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना–**

(1) किसी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उसकी करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा।

(2) यथोपूर्वक किसी व्यक्ति को, ऐसी जांच के पश्चात् ही, जिसमें उसे अपने विरूद्ध आरोपों की सूचना दे दी गई है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दियागया है, पदच्युत किया जाएगा या पदसे हटाया जाएगा या पंक्ति में अवनत किया जाएगा, अन्यथा नहीं,

परन्तु जहां ऐसी जांच के पश्चात् उस पर ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित करने की प्रस्थापना है वहां ऐसी शास्ति ऐसी जांच के दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित की जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति को प्रस्थापित शास्ति के विषय में अभ्यावेदन करने का अवसर देना आवश्यक नहीं रहेगा।

परन्तु यह और कि यह खंड लागू नहीं होगा–

(क) जहां किसी व्यक्ति को ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत किया जाता है या पद से हटाया जाता है या पंक्ति में अवनत किया जाता है जिसके लिए आपराधिक आरोप पर उसे सिद्धदोष ठहराया गया है या

(ख) जहां किसी व्यकित को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा, यह युक्तियुक्त रूप से साक्ष्य नहीं है कि ऐसी जांच की जाए, या

(ग) जहां, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा केहित में समीचीन नहीं है कि ऐसी जांच की जाए।

(3) यदि यथापूर्वोक्त किसी व्यक्ति के संबंध में यह प्रश्न उठता है कि खंड (2) में निर्दिष्ट जांच करना युक्तियुक्त रूप से साक्ष्य है या नही तो उस व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

## भाग–ब मानवाधिकार

**मानवाधिकार की अवधारणा एवं महत्व–** मानवाधिकार का अभिप्राय उन सभी अधिकारों से है जो मानव होने के नाते व्यक्ति के विकास और कल्याण के लिए अनिवार्य हैं। मानवाधिकारों की परिधि में केवल प्रकृति प्रदत्त उपहार जैसे हवा, पानी आदि ही नहीं आते हैं बल्कि ससम्मान जीने, पोषण ओर रक्षा प्राप्त करने के वे सभी साधन आते है जो व्यक्तित्व विकास के लिए भी अनिवार्य है। जैसे– रोटी, कपड़ा, और मकान चिकित्सा, शिक्षा सस्कृति आदि भी मानवाधिकार की परिधि मे आतें है।

इसका अभिप्राय स्वाभिमान के साथ जीवन जीने की व्यवस्था को प्राप्त करना है मात्र जीने के जरूरी साधन प्राप्त करना नही है। मानवाधिकार व्यक्ति की उन अनिवार्य आवश्यकताओं से सम्बधित भी है जिसके बगैर मनुष्य जीवित नही रह सकता है, न ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता हैं। मानवाधिकार के अभाव में तो व्यक्ति के जीवन की कल्पना ही नही की जा सकती है। वैसे भी किसी भी समाज का विकास आर्थिक या अन्य किसी आधार पर नही मापा जाता हैं। बल्कि मानव कल्याण के लिए दी जाने वाली सुविधाओं को मापा जाता है।

मानवाधिकारों का सम्बध जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक ओर राजनैतिक स्तर पर न्याय प्रदान करना मानवाधिकार है। यें मनुष्य के स्वाभाविक अधिकार हैं।

इसी दृष्टि से देखे तो राज्य का यह दायित्व है की वह व्यक्ति को जीवन जीने तथा विकास वह कल्याण के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए व्यवस्था करें। वैसे भी व्यक्ति वर्तमान मे जिन अधिकारों का उपयोग कर रहा है उन मे सें अधिकाश उसे जन्म से ही प्रकृति–प्रदत होते हैं। इन अधिकारों का उपयोग वह सभ्यता के आरंभ से प्रथा, परम्परा वह रीति–रिवाजों के अनुसार करता है। जैसे जीवन जीने ओर सुरक्षा प्राप्त करने, विचारो को अभिव्यक्त करने, हवा, पानी आदि का उपयोग करने। परन्तु राज्य द्वारा समय समय पर इन अधिकारों को मान्यता ओर सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार इन्हें ओर अधिक परिष्कृत और व्यापक बनाया जाता हैं।

## मानव अधिकार

मानवाधिकार इस दौर का बहुचर्चित विषय है और विशेष रुप से पुलिस संगठनों के संदर्भ में इसका उपयोग अक्सर किया जा रहा है। मानवाधिकार संगठनों, जनसंचार माध्यमों और जनता के द्वारा पुलिस संगठनों पर मानवाधिकार हनन के आरोप लगाये जाते रहे है। पुलिस बल पर लगते हुये आरापों और न्यायालयों द्वारा पुलिस के विरुद्ध मानवाधिकार हनन के निर्णयों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है, जबकि पुलिस संगठनों के निम्नतम से उच्चतम स्तर के अधिकारी मानवाधिकार की अवधारणा को समझें। यह आवश्यक हो गया है कि पुलिस संगठनों द्वारा इन आरोपों की सत्यता और मनवाधिकारों को लागू करने के उपायों के बारे में सार्थक चर्चा की जाए ताकि जनमत को पुलिस संगठनों के विरुद्ध होने से रोका जा सके।

अधिकार को अनेक रुप में परिभाषित किया गया है। एक तथ्य पर सभी विचारक सहमत है कि अधिकार कुछ करने या रखने की स्वाधीनता है। जो विधि द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित है। अधिकार की अवधारणा की प्राप्ति कदम–दर–कदम हुई है। इसका अगला कदम है विधिक अधिकार, जो किसी विशेष विधि के दायरे में आने वाले व्यक्ति को उस विधिक द्वारा प्राप्त होते हैं। ये अधिकार आत्यंतिक नही है और उस विधि द्वारा लगाये गये प्रतिबंधो से सीमित होते है। मूल अधिकार इस अवाधरणा का अगला कदम है। ये ऐसे आधारभूत अधिकार हैं जो किसी नागरिक के बौद्धिक, नैतिक और अध्यात्मिक विकास के लिए अनिवार्य है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जायेगा ओर उसकी शक्तियां अविकसित रह जायेंगी। लेकिन यह अधिकार किसी देश के नागरिक को ही उपलब्ध होते हैं और कोई अ–नागरिक इन अधिकरों को प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता है। मूल अधिकारों पर भी तक्रसंगत प्रतिबंध लगाये जा सकते है। अधिकार की अवधारणा का विकास और आगे जाकर मानवाधिकार के रुप में हुआ है।

सारांश में कहां जाये, तो मानवाधिकार ऐसे अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव प्राणी होने के नाते प्राप्त है, भले ही उसकी राष्ट्रीयता, लिंग, व्यवसाय, वर्ग और सामाजिक–आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में मानवाधिकारों को परिभाषित किया गया है जो धारा 2(डी) में वर्णित है। इसके अनुसार मानवाधिकार का अर्थ व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता व गरिमा से संबंधित उन अधिकारों से है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत है या अंतर्राष्ट्रीय करारों में वर्णित है और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। इन अधिकरों के बिना व्यक्ति की स्थिति पशु की भांति हो जायेगी। इनके माध्यम से ही व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक ओर आत्मिक आवश्यकताऐं पूरी कर पाता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करने में समर्थ हो पाता है। मानव होने की धारणा के साथ ही कुछ अधिकार व स्वतंत्रताएं जुडी हुई हैं, जिनसे वंचित होने पर मानव अपनी मानवता से ही वंचित हो जाता है। इसलिये मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को मानव जाति का महाधिकार पत्र ठीक ही कहा गया है ।

**मानवाधिकार की विश्वव्यापी घोषणा –** इस आयोग द्वारा जून 1948 में मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा तैयार की गई। इस घोषणा को 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। सन् 1950 में महासभा ने प्रस्ताव पारित किया कि 10 दिसम्बर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 10 दिसम्बर का दिन हथियार की बर्बरता के विरूद्व शांति और सहअस्तित्व की भावना का प्रतीक माना गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी घोषणा पत्र में नागरिक, राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारों को प्रतिपादित किया गया है। इस घोषणा पत्र को अन्तर्राष्ट्रीय जनमत का समर्थन प्राप्त है। यही कारण है कि इसे विश्वभर में राजनीतिक और कानूनी दोनों प्रकार की शक्तियां यथा स्थान प्रदान की गई है।

**इस घोषणा पत्र की प्रस्तावना इस प्रकारः–** 'क्योंकि मानव परिवार के सभी सदस्यों के अन्तर्निष्ठ गौरव तथा सम्मान एवं असंक्राम्य अधिकारों की मान्यता विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की आधारशिला है।

**मानवाधिकार के क्रियान्वयन के लिए संगठनात्मक व्यवस्था –** मौलिक अधिकारों को स्वीकार करने के पश्चात् राष्ट्र संघ द्वारा सन् 1966 में दो संविदाओं को स्वीकार किया गया –

➢ नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय संविदा। इसे 23 मार्च 1976 से लागू किया गया। इन संविदाओं के द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक मानवाधिकार समिति का गठन किया गया, जो सम्बन्धित सदस्य देशों तथा अन्य देशों के मानवाधिकार हनन सम्बन्धी शिकायतों को स्वीकार करती है। साथ ही इस संविदा को उस राज्य में लागू कराने के लिए सम्बन्धित राष्ट्र से बातचीत करती है।

**भारतीय संविधान में मानवाधिकार –** भारतीय संविधान में मानवाधिकारों को मुख्यतः मौलिक अधिकार एवं राज्य के निति निर्देशक सिद्धांतों वाले भाग में स्थान दिया गया है।

मगर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि मौलिक अधिकार और मानवाधिकार एक ही हैं। दरअसल दोनों में मूलभूत अंतर है। सभी अधिकार मानवाधिकार नहीं माने जा सकते हैं जबकि सभी मानवाधिकारों को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा जा सकता है। मौलिक अधिकारों में मानवाधिकारों के साथ नागरिक अधिकार भी शामिल होते हैं। जैसे– अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या मताधिकार। इनके बगैर मनुष्य का अस्तित्व कायम रह सकता है।

जबकि जीवन जीने और सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार मानवाधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी क्योंकि इसके बगैर मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो सकता है।

**मौलिक अधिकार और मानवाधिकार –**भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार वस्तुतः मानवाधिकार ही हैं। प्रो0 लास्की के अनुसार–'मौलिक अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां है, जिनके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता।'

प्रो0 लास्की का यह कथन इसी बात का प्रमाण है कि मौलिक अधिकारों के रूप में भारतीय नागरिकों को मानवाधिकार ही दिए गए हैं। मानवाधिकार भी व्यक्ति के विकास की परिस्थितियां ही निर्मित करते हैं। मौलिक अधिकारों का संबंध भी मानवाधिकारों की तरह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से है। ये भी व्यक्ति की उन अनिवार्य आवश्यकताओं से संबंधित हैं जिनके बगैर न तो वह जीवित रह सकता है, न अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है।

भारतीय संविधान में दिए मौलिक अधिकार नागरिकों के जीवन जीने तथा विकास कल्याण के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवस्था करके मानवाधिकारों का ही विस्तार करते हैं।

इस तथ्य को मानवाधिकारों के घोषणा पत्र और भारतीय संविधान में लिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना के द्वारा भली–भांति जाना जा सकता।

**मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993**

**Sec- 2(D)** मानव अधिकार से अभिप्राय संविधान द्वारा राष्ट्रीकृत तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रंसविदाओं में सम्मिलित एवं भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से है।

## <u>विभिन्न आयोगः–</u>

**राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन व कार्य –** भारतीय सविधांन द्वारा दिए गए व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता ओर प्रतिष्ठा से संबंधित मूलभूत अधिकारों के उपयोंग को सुनिश्चित कराने ओर इन अधिकारों के उल्लघन को रोकने के लिए भारत में 12 अक्टूबर 1994 को मानवाधिकार आयोग की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश के द्वारा की गई।

भारतीय संसद द्वारा इस अध्यादेश के स्थान पर एक अधिनियम बनाया गया। यह 8 जनवरी 1994 से लागू किया गया। आयोग का प्रमुख उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा करना ओर देश में मानवाधिकारो की संस्कृति का विकास करना है।

**आयोग के अनुसार मानवाधिकारों की परिभाषा इस प्रकार है–**'मानवाधिकारों का संबंध स्वतंत्रता, समानता और प्रत्येक व्यक्ति को गरीमामय जीवन जीने के अधिकार से हैं। जो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अन्तर्गत तथा मानवाधिकार के विश्व घोषण पत्र मे दिए गऐ हैं।

**गठन**

❖ राष्टीय मानवाधिकार आयोग में कुल आठ सदस्य होते हैं। इनमे एक अध्यक्ष तथा सात अन्य सदस्य होतें है।

❖ आयोग के अध्यक्ष पद पर उच्चतम न्यायलय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती हैं।

❖ सात सदस्यो में से एक सदस्य उच्चतम न्यायालय के वर्तमान या पद मुक्त न्यायाधीश होते है।

❖ एक सदस्य उच्च न्यायालय के वर्तमान या पद मुक्त न्यायाधीश होते है।

❖ दो सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित पर्याप्त अनुभव और ज्ञान हो।

❖ तीन पदेन सदस्यो में– एक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता, एक राष्ट्रीय अल्पसख्यक आयोग के अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकारो का आयोग मुख्यालय दिल्ली में हैं आयोग अपने कार्यों का संचारण सेक्रेटरी जनरल के माध्यम से करता हैं जो आयोग के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का है।

**अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति के अधिकार –**

1. प्रधान मंत्री– अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार
2. स्पीकर, लोकसभा– सदस्य
3. गृहमंत्री, भारत सरकार – सदस्य
4. लोकसभा मे प्रतिपक्ष के नेता– सदस्य
5. राज्य सभा मे प्रतिपक्ष के नेता– सदस्य
6. राज्य सभा के उपसभापति – सदस्य

**मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कार्य–**भारत जैसे देश में जहाँमानवाधिकारो की स्थिति बहुत अच्छी नही हैं। यहां व्यापक गरीबी की स्थिति है। मानवाधिकार आयोग के भूमिका ओर कार्य  अत्यन्त चुनौतीपुर्ण हैं। सामाजिक–आर्थिक विषमता समाप्त करके सभी के लिए खुशहाल जीवन की व्यवस्था करना चुनौती भरा काम ही हैं।

1. **तथ्यों का पुनरीक्षण –**राष्ट्रीय मानवीय अधिकार आयोग का मुख्य कार्य उन तथ्यों का पुनरीक्षण करना होता है। जो मानवाधिकारो के उपयोग में आने वालें तथ्यों की उपेक्षा से संबंधित होते हैं।

2. **शिकायतो की जाँच–**पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई मानवाधिकार हनन की शिकायत की जाँच करना राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्य कार्य है। यह शिकायत पुलिस, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, श्रमिक संबंधित, महिला व बच्चो या विकलांगों किसी से भी संबंधित हो सकती है।

3. **संविधान प्रदत्त मानवाधिकारों को लागू करना –**संविधान द्वारा मौलिक अधिकारो के रूप में नागरिको को मानवाधिकार ही दिऐ गयें है। ये मौलिक अधिकार संविधानके अनुच्छेद 14 से 32 तक है। इन्हे समुचित ढंग से लागू कराने तथा इसके उल्लघन के दोषी व्यक्तियो पर कार्यवाही करने की अनुशंसा भी मानवधिकारो आयोग के ही कार्यों का महत्वपूर्ण भाग है।

4. **मानवाधिकार के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनो के प्रयासों का बढ़ावा देना–**देश के अनेक स्वैच्छिक संगठन मानवाधिकारो की रक्षा के लिए कार्य कर रहे है। इनमे कई तो अन्तराष्ट्रीय स्तर के भी है। जैसे रेडक्रॉस सोसायटी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय, प्रादेशिक स्तर पर भी कई संस्थाऐं यह कार्य कर रही हैं। ये संस्थाऐं एक तरह से मानवाधिकार आयोग ाके सहयोग ही कर रही हैं। प्राकृतिक पर्यावरण व अन्य वन्य प्रणाली सरक्षंण, स्त्रियों व बच्चों के हितो की रक्षा करना श्रमिको के हित की रक्षा करना, कमजोर वर्गो को कानुनी सहायता प्रदान करना, उनके आर्थिक हितो की रक्षा करना, उन्हें जागरूक बनाना, इन वर्गों के कल्याण के लिए बनाई गई विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकरी देना व संस्थाओं के प्रत्यनों एवं कार्यो को प्रोंत्साहित करना भी मानवाधिकार आयोग का कार्य है। क्योकि आयोंग मानवाधिकारों की उन्नति के लिए आवश्यक समझे जाने वाले कार्यों को पुरा करने के लिए कृत संकल्पित है।

5. **अधिकारों के अनुपालन की सुरक्षा–**समाज के प्रत्येक व्यक्ति के मानवाधिकारों कर सम्मान किया जाने से ही अधिकारों के अनुपालन की सुरक्षा प्राप्त हो सकती हैं। इस दृष्टि से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी राज्य तथा केंन्द्र शासित प्रदेशो को राज्य स्तरीय मानवाधिकारों का  आयोंग बनाने के लिए निर्देश दिए है।

इसी तरह आयोग ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों तथा सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि हिरासत ममे हाने वाली मौतो तथा बलात्कार आदि की घटनाओं की जानकारी 24 घटें के भीतर किसी भी हालत में उन तक भेज दी जानी चाहिए। मानवाधिकारो आयोग की इस भुमिका के संबंध मे उल्लेखनीय है कि विवादास्पद टाडा अधिनियम को असंगत करवाने का साहस मानवाधिकरों आयोग ने ही किया है।

पुलिस द्वारा मानवाधिकारों एवं उल्लघन के तुलनात्मक रूप से अधिक मामले पाऐ जाने के कारण आयोग ने पुलिस संगठन में सुधार तथा उनके पाठ्यक्रम में मानवाधिकारों संबंधी प्रशिक्षण जाड़नें की अनुशंसा की है।

6. **अदालत में लंबित मामलो में हस्तक्षेप**–मानवाधिकार आयोग अदालत के अनुमोदन से अदालत के अनुमोदन से अदालत में लंबित मानवाधिकरो उल्लंघन संबंधी किसी मामले की कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है।

7. **जेल आदि संस्थाओं की स्थिति को देखना** –आयोग राज्य सरकार कों सूचित कर उसके नियत्रंण में कोई भी जेल या अन्य किसी भी संस्था, जहाँ व्यक्तियों सुधारे या इलाज आदि करने के उद्देश्य से रखा जाता है, वहां कि स्थिति को देख सकता हैं ओंर उस पर अपनी संस्तुति भी दे सकता है।

8. **रक्षा उपायों का पुनरीक्षण**–संविधान में दिए गयें मानवाधिकारों कि रक्षा के लिए लागू किसी अन्य कानुन द्वारा दिऐ गयें रक्षा उपयों का पुनरीक्षण करने ओर उन्हें प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए कार्यवाही करना आयोग के कार्यों की सुची में शामिल है।

9. **मानवाधिकरो के उपयोग की रूकावट को दुर करने का प्रयत्न** –आयोंग आतंकवादी कार्यों के समेत उन सभी कार्यों का पुनरीक्षण भी करता है जो मानवाधिकारो का उपयोग करने में बाधा डालतें हैं। आयोग ने दूर करने के लिए उचित कार्यवाही करने के लिए भी अनुशंसा करता हैं।

10. **मानवाधिकारों का प्रचाार–प्रसार**–मानवाधिकारों के संबंध मे नागरिकों में सजगता बढ़ने से वे केवल अपने अधिकारो के उपयोंग के लिए जागरूक होगें बल्कि दूसरों के मानवाधिकारो का हनन भी नही करेगें। इसके लिए आयोग –

(अ) साक्षरता कार्यक्रमों, पाठ्यक्रमों आदि स्तरों पर मानवाधिकार विषयों को शामिल करने का आग्रह करता हैं।

(ब) मानवाधिकार विषय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करता है।

(स) विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशाला आदि भी आयोजित करवाता हैं।

(द) मानवाधिकारो की रक्षा के लिए उपायों को प्रकाशन, संचार माध्यम व अन्य माध्यमों के जरिए जन–जन तक पहुंचाकर जागरूकता बढ़ाना भी आयोग का कार्य है।

(ई) मानवाधिकारों के क्षेत्र मे शोध करवाना और ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करना भी आयोग का महत्पूर्ण कार्य है।

इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध की उन्नति के लिए आवश्यक समझें जाने वालें सभी कार्य करना मानवाधिकारों आयोग का दायित्व हैं। इस सार्थक प्रयत्न के सकारात्मक परिणाम भी सामने है।

आयोग की कार्यप्रणाली पूर्णतया पारदर्शी हैं जिसे भी व्यक्ति के मानवाधिकारों का हनन हो, वह आयोग को शिकायत कर सकता है। आयोग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति शिकायत कर सकता हैं। आयोग द्वारा प्रत्येक शिकायत की गंभीरतापूर्वक जाँच–पड़ताल और कार्यवाही की जाती है।

वस्तुतः मानवाधिकरों आयोंग का प्रमुख कार्य दमन की स्थितियों को ही कम करना हैं ताकि स्वास्थ्य सामाजिक परिवेश में मानव जीवन का विकास और आवश्यकताओं की पूर्ति गरिमामय तरीके से संभव हो सके।

## राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन ''मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1993'' की धारा 21 के अनुसार किया गया है। आयोग में एक अध्यक्ष, चार सदस्य एवं एक सचिव नियुक्त किया जाएगा। अध्यक्ष के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है, आयोग का एक सदस्य राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो जबकि दूसरा सदस्य जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहा हो या हो। इसके अतिरिक्त आयोग में दो ऐसे सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा जिन्हें मानव अधिकारों से सम्बन्धित विषयों का व्यवहारिक ज्ञान हो।

आयोग की नियुक्ति मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 22(1) के अनुसार एक विधान मंडलीय समिति द्वारा की जाएगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे –

(क) मुख्यमंत्री – अध्यक्ष
(ख) विधान सभा के अध्यक्ष – सदस्य
(ग) राज्य का गृहमंत्री – सदस्य
(घ) विधानसभा के विपक्ष का नेता – सदस्य

**आयोग के कार्य** –मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य निम्न प्रकार है –

1. किसी पीडित व्यक्ति की शिकायत पर निम्नलिखित मामलों की जाँच करना –

(क) मानव अधिकार उल्लंघन या दुष्प्रेरण के लिए दंड।
(ख) मानव अधिकार के उल्लंघन को रोकने में उपेक्षा के लिए लोक सेवक के विरूद्व कार्यवाही।

2. आयोग ऐसे मामले की कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है जो किसी न्यायालय में लम्बित है लकिन हस्तक्षेप करने से पूर्व सम्बन्धित न्यायालय से अनुमति लेना जरूरी है।
3. राज्य सरकार के अधीन किसी कारागार या अन्य संस्था में रखे गये व्यक्ति को यातना से संरक्षण दिलाने हेतु उसका निरीक्षण करना।
4. मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु संविधान या उस समय प्रचलित किसी कानून द्वारा प्रदत्त प्रक्रिया को सुचारू रूप से कार्यान्वित करना।
5. मानव अधिकार में बाधक होने वाले कार्यों विशेषकर आतंकवाद सम्बन्धी कार्य का पुनः अवलोकन करना।
6. मानव अधिकारों से सम्बन्धित किसी अन्तराष्ट्रीय संन्धि या प्रसंविदाओं का अध्ययन करना।
7. मानव अधिकार के क्षेत्र में होने वाली खोजों को प्रोत्साहित करना।
8. मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने वाले संचार माध्यमों को सुलभ कराने के संदर्भ में प्रयास करना।
9. गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा मानव अधिकारों के क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों को प्रोत्साहित करना।
10. ऐसे अन्य कार्यो को करना जिन्हें आयोग मानव अधिकारों के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए किये जाऐ।
11. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा या सरकार द्वारा सौपे गए अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना।

## पुलिस का दायित्व

पुलिस का कर्तव्य है कि राज्य में कानून एवं शान्ति व्यवस्था कायम रखने के साथ साथ आम नागरिकों के मानव अधिकारों की सुरक्षा करे। आयोग द्वारा पुलिस को जो निर्देश/आदेश दिये जायें उन्हें बिना किसी लापरवाही व पक्षपात के पूर्ण करे। आयोग पुलिस से किसी मामले की अन्वेषण या जॉच करने की अपेक्षा कर सकता है या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या उसके कथन दर्ज करने के लिए निर्देश दे सकता है। अतः पुलिस का कर्तव्य बनता है कि वह आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशों का पालन कर उसके अनुसार कार्य करते हुए सहयोग करें। पुलिस के लिए यह जरूरी है कि वह आम नागरिकों के मानव अधिकारों के सरंक्षण, उन्नति और विकास में पर्याप्त सहयोग दे और स्वयं भी किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंधन न करें व न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए उत्प्रेरित करें। किसी पुलिस अधिकारी को नागरिकों के अधिकारों का उल्लघंन होते हुए देखने पर अनदेखी नहीं करनी चाहिए। आयोग को अधिकार है कि वह मानव अधिकारों के उल्लंधन के दौरान लापरवाही बरतने वाले या उपेक्षा करने वाले या उत्प्रेरित करने वाले पुलिस अधिकारी के विरूद्व जॉच या अन्वेषण कर सकता है और दोषी पाये जाने पर उसके विरूद्व कार्यवाही की सिफारिश कर सकता है। अतः पुलिस का कर्तव्य है कि आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हरसम्भव उपाय करे और मानव अधिकारों की सुरक्षा करने वाले कानून की पूरी निष्ठा, तत्परता, निष्पक्षता एवं ईमानदारी से पालन करें।

**राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग**–भारत के गृह मंत्रालय के संकल्प दिनांक 12.1.1978 की परिकल्पना के तहत अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी जिसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि संविधान तथा कानून में संरक्षण प्रदान किए जाने के बावजूद अल्पसंख्यक असमानता एवं भेदभाव को महसूस करते हैं। इस क्रम में धर्मनिरपेक्ष परंपरा को बनाए रखने के लिए तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा

देने के लिए भारत सरकार अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करने पर विशेष बल दे रही है तथा समय–समय पर लागू होने वाली प्रशासनिक योजनाओं, अल्पसंख्यकों के लिए संविधान, केंद्र एवं राज्य विधानमंडलों में लागू होने वाली नीतियों के सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रभावशाली संस्था की व्यवस्था करना। वर्ष 1984 में कुछ समय के लिए अल्पसंख्यक आयोग को गृह मंत्रालय से अलग कर दिया गया था तथा कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नए रूप में गठित किया गया।

**अल्पसंख्यक समुदाय–**कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 23 अक्टूबर 1993 को अधिसूचना जारी कर अल्पसंख्यक समुदायों के तौर पर पांच धार्मिक समुदाय यथा मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी समुदायों को अधिसूचित किया गया था। 2001 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में पांच धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिशत 18.42 है।

27 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 की धारा 2 के अनुच्छेद (ग) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित कर दिया।

**कार्य–**

निम्नलिखित कार्यों के सम्पादन का आदेश दिया गया हैः–

1. संघ तथा राज्यों के अर्थात अल्पसंख्यकों की उन्नति तथा विकास का मूल्यांकन करना।
2. संविधान में निर्दिष्ट तथा संसद और राज्यों की विधानसभाओं/परिषदों के द्वारा अधिनियमित कानूनों के अनुसार अल्पसंख्यकों के संरक्षण से संबधित कार्यों की निगरानी करना।
3. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुशंसा करना।
4. अल्पसंख्यकों को अधिकारों तथा संरक्षण से वंचित करने से संबधित विशेष शिकायतों को देखना तथा ऐसे मामलों की संबधित अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करना।
5. अल्पसंख्यकों के विरूद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव से उत्पन्न समस्याओं के कारणों का अध्ययन और इनके समाधान के लिए उपायों की अनुशंसा करना।
6. अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास से संबधित विषयों का अध्ययन, अनुसंधान तथा विश्लेषण की व्यवस्था करना।
7. अल्पसंख्यकों से संबधित ऐसे किसी भी उचित कदम का सुझाव देना जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा उठाया जाना है।
8. अल्पसंख्यकों से संबधित किसी भी मामले विशेषतया उनके सामने होने वाली कठिनाइयों पर केन्द्रीय सरकार हेतु नियतकालिक या विशेष रिपोर्ट तैयार करना और
9. कोई भी अन्य विषय जिसे केन्द्रीय सरकार के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है, रिपोर्ट तैयार करना।

केंद्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित, क्षमतावान, सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में नामित एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा पांच सदस्यों को मिलाकर आयोग का गठन किया जाएगा । आयोग के अध्यक्ष सहित पांच सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होंगे ।

केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को नामित करती रहेगी ।

## राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग

इस आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है जिसके अनुसार अनुसूचित जातियो व जनजातियो के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसुचित जाति ओर अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जायेगा। यह आयोग एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और पांच अन्य सदस्यो से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यो की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐंसी होगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें।

**आयोग के कार्य –**

1.अनुसुचित जातियो ओर जनजातियो के लिए संविधान के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन प्रदत अधिकारों के सभी मामलो मे जाँच करना।

2.आयोग का कार्य इन जातियो के सामाजिक ओर आर्थिक उन्नति के लिए जो योजना प्रकिया मे भाग लेना।

3.इनके विकास के लिए तैयार की जाने वाली योजनाओं मे सलाह देना।

4.इनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

## राष्ट्रीय महिला आयोग

इस आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अन्तगर्त किया गया हैं महिला आयोग अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यो को वहीं वेतन और भत्तें दिऐं जाते हैं जों केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जातें हैं।

**आयोग के कार्य –**

1. भारतीय संविधान एवं अन्य कानुन के अधीन महिलाओ से सम्बधित कानुनी उपबधों से सम्बधित सभी मामलों का अन्वेषण व परीक्षण करना।

2. शिकायतो की सुनवाई करना तथा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना।

3. महिला सुधार गृह, जेल तथा महिला संस्थाओं का निरीक्षण एंव उनमें सुधार कार्य करवाना।

4. महिलाओ से सम्बधित कानुनो तथा संविधान मे उपबधिंत अधिकारों के उल्लघन के मामलो को उचित अधिकारियों के साथ अपने हाथ मे लेंना ।

**राजस्थान महिला आयोग –** राजस्थान महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम नं. 20 स्न 1990 के अधीन किया गया है। महिला आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों को वही वेतन और भत्ते दिये जाते है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते है। महिला आयोग को आवश्यकतानुसार सरकार द्वारा अधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध कराये जाते है, आयोग अपनी आवश्यकतानुसार कर्त्तव्यों का निर्वहन करता है।

**आयोग के मुख्य कार्यः–**

1.भारतीय संविधान एवं अन्य कानून के अधीन महिलाओं के सम्बन्धित किये गये कानूनी उपलब्धों से सम्बन्धित सभी मामलों का अन्वेषण व परीक्षण करना।

2.शिकायतों की सुनवाई करना तथा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना।

3.संघ और राज्यों के अधीन महिलाओं के विकास की प्रकिया का मूल्याकंन एवं उनके लिए कल्याण कार्य सुनिश्चित करना।

4.महिला सुधार गृह, जेल तथा महिला संस्थाओं का निरीक्षण एवं उनमें सुधार कार्य करवाना।

5.महिलाओं से सम्बन्धित संविधान एवं अन्य कानूनों के उपबंधों के उल्लघंन के मामलो को उपयुक्त अधिकारियों के साथ अपने हाथ में लेना।

**पुलिस के दायित्वः–**

1. महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहे वह शिकायतकर्ता या अपराधी हों।
2. महिलाओं से पूछताछ शालीनतापूर्वक तथा सभ्य भाषा में करनी चाहिए।
3. महिला अपराधी की तलाशी एवं गिरफ्तारी महिला पुलिस द्वारा ही करवानी चाहिए।
4. किसी मकान की तलाशी के समय मकान में महिला मौजूद होने पर महिला पुलिस को साथ लेकर ही तलाशी की कार्यवाही करनी चाहिए तथा सभ्यता से पेश आना चाहिए।
5. गिरफ्तारी महिला अपराधी के साथ महिला पुलिस की डयूटी होनी चाहिए।

**राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग**

NCPCR राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण अधि0 2005 के अन्तर्गत वर्ष 2007 मार्च महीने में की गई कमीशन का कार्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि भारतीय संविधान में दिए गए बाल अधिकारों के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा वैधानिक नीतियाँ व आयोजना एवं प्रशासनिक मशीनरी द्वारा बाल कल्याण एवं बाल अधिकारों को सुनिश्चित करना है।

किसी मामले की जाँच के समय आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती है।

## Organogram of National Commission for Protection of Child Right

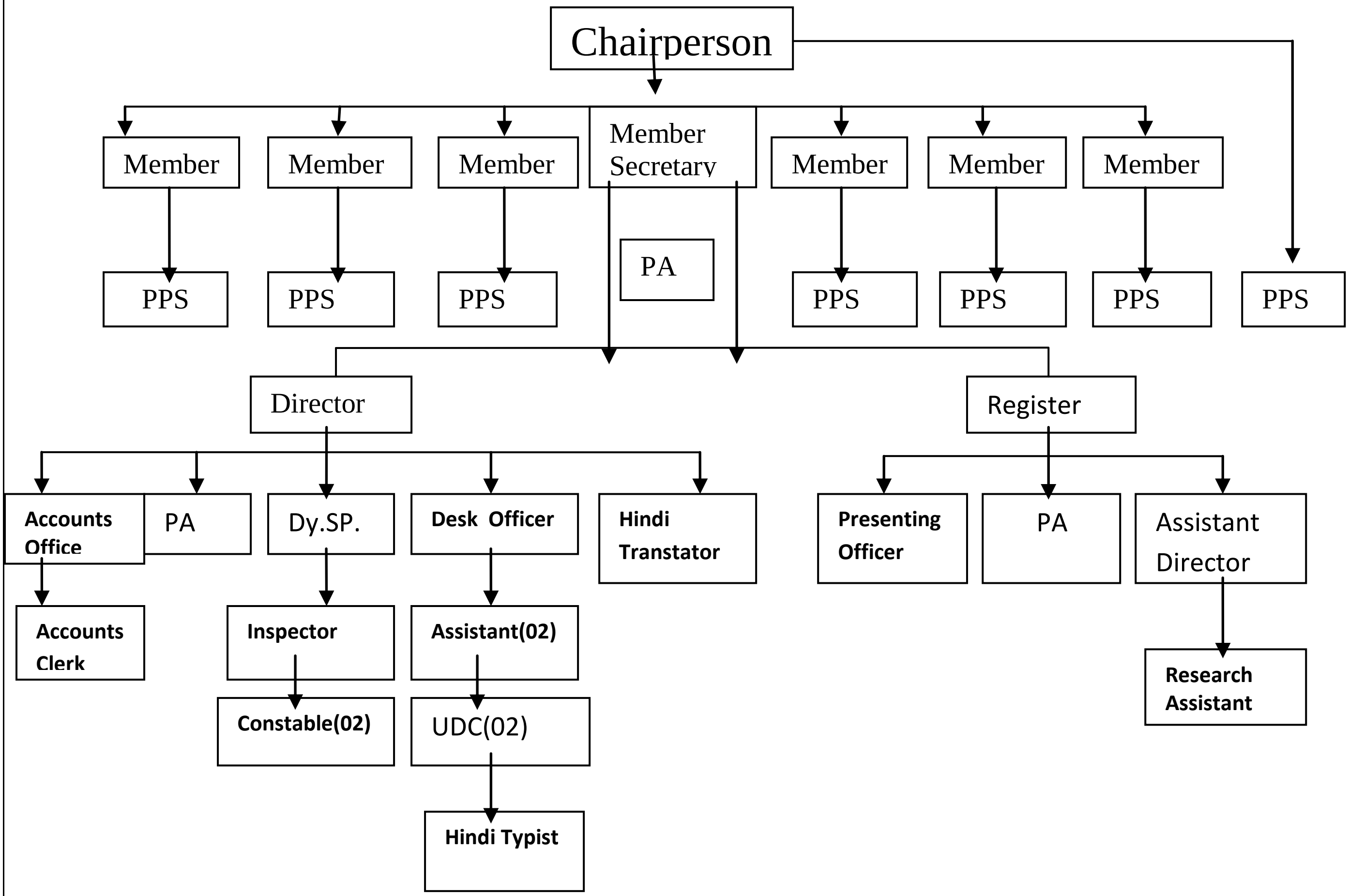


**राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग**—राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन वर्ष 2005 में बाल अधिकर संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रत्येक राज्य में किया आना तय किया गया । प्रत्येक राज्य में बालकों के अधिकारों के रक्षण परिरक्षण एवं संवर्धन हेतु राज्य आयोग का गठन किया गया। आयोग में एक अध्यक्ष एवं छः सदस्य होंगे। जो बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु कार्य करते रहे है। एक सदस्य का महिला होना आवश्यक है। आयोग को राज्य सरकार को एक वार्षिक कार्य रिपोर्ट देनी होती है।

कार्यः—

1. बाल अधिकारों कानूनों के संरक्षण हेतु संवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों का परीक्षण करना।
2. बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु अपने सुझाव राज्य सरकार को देना।
3. बाल अधिकारों के हनन की घटनाओं पर जॉच करना।
4. आतंकवाद, संप्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, HIV/AIDS अवैध मानव व्यापार, कुपोषण, शोषण एवं अत्याचार, पोर्नोग्राफी, वैश्यावृति से प्रभावित बालकों के लिए न्याय एवं क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षण एवं अनुषंशा देना।
5. बालगृहों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना जहॉ बालकों को रखा जाना।
6. मानवाधिकार हनन एवं इस संबंध में राज्य सरकार के असफल रहने के मामलों की जांच करना।
7. बाल अधिकारों से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय संधि पत्रों का अध्ययन करना एवं उनको लागू करवाना।
8. बाल अधिकारों के क्षेत्र मं उत्तरोतर शोध करना।
9. विभिन्न माध्यमों द्वारा बाल अधिकारों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना।

## भाग स– आधुनिक भारत में पुलिस

### 1. लोकतान्त्रिक कल्याणकारी राज्य में पुलिस की भूमिका एवं मानवाधिकार संरक्षण :–

**मानव अधिकार संरक्षण में पुलिस की भूमिका**–कानून एवं शांति व्यवस्था कायम रखना पुलिस का प्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्य है। राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा का भार सरकार के कंधों पर है। सरकार ने इस कार्य के लिए सशस्त्र बलों की नियुक्ति की है। आन्तरिक अव्यवस्था से निपटने के लिए सरकार ने पुलिस बल की नियुक्ति की है। पुलिस बल की नियुक्ति राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। राज्य पुलिस बलों का संगठन सम्बन्धित राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर किया गया है। राज्य का पुलिस बल के सदस्य कई बार मानव अधिकारों का उल्लंघन जाने अनजाने में कर बैठते है जो अपने आप में एक अपराध है। सिपाही पुलिस विभाग के एक सम्पर्क अधिकारी के रुप में कार्य करता है। अतः उसे अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों की सीमाओं का पूरा–पूरा ज्ञान होना चाहिए। ताकि किसी भी व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंधन न करें।

कर्तव्य पालन सही ढंग से करने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना अत्यावश्यक है। क्योंकि जब तक एक सिपाही को यह नही मालूम होगा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिये तब तक वह अपना कर्तव्य पालन अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। अतः एक सिपाही को निम्न बातों का पालन करना चाहिए।

**निम्न बातों का ध्यान देना चाहिये –**

1.संविधान को सर्वोच्च मानते हुए उसे उचित सम्मान दें ,संविधान में नागरिक को दिये मौलिक अधिकरों की रक्षा करे।

2.कर्तव्यपालन करते समय पुलिस आचरण के सिद्धान्तों का पालन करे।

3.कर्तव्यपालन के दौरान शिष्टाचार के नियमों का भी पालन करें, ताकि किसी नागरिक को कोई पीड़ा न हो।

4. अपने आचरण को शिष्ट एवं शालीन रखें और जनता का विश्वास एवं सहायता प्राप्त करने के लिए हर संभव उचित प्रयास करे।

5.कानून व्यवस्था लागू करने को प्राथमिकता दे ताकि आपराधिक तत्वों को बढावा न मिल सके।

6.प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें और उसे उचित सम्मान दें।

7.कर्तव्य का पालन निष्पक्षता ईमानदारी, बिना डर या भेदभाव के दृढ़ता से करें।

8.कर्तव्य पालन के दौरान अपने अहम् या बदले की भावना को नियंत्रित रखे।

9.कानूनी अधिकारों एवं शक्तियों का प्रयोग कानून की सीमाओं में रहकर करें।

10. गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती एवं पूछताछ करते समय प्रत्येक नागरिक के मानव अधिकारों तथा कानूनी प्रावधानों का ध्यान रखें।

11. प्रत्येक व्यक्ति से साथ सहानूभूतिपुर्ण व्यवहार करें।

12. शिकायकर्ता को उचित सम्मान देते हुए तुरन्त पुलिस कार्यवाही करें ताकि पुलिस में विश्वास बना रहे।

13. प्रत्येक व्यक्ति को जान व माल की सुरक्षा के लिए पर्याप्त एवं यथासम्भव उपाय करें। चाहे वह आम नागरिक हो या एक अपराधी, अमीर हो या गरीब।

14. बल प्रयोग करने से पूर्व चेतावनी अवश्य दें और यदि बल प्रयोग करना ही पड़े तो कम से कम बल का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से किया जाये। हथियारों का प्रयोग केवल उसी अवस्था में किया जाये, जब किसी जान या माल की सुरक्षा खतरे में हो। बल प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को कम से कम हानि पहुंचाना होना चाहिये न कि जान से मारना था।

15. गिरफ्तार करते समय प्रत्येक नागरिक के साथ सभ्यता से व्यवहार करे यदि वह गिरफ्तारी से बचता है या बल प्रयोग करता है तब सभी साधनों का प्रयोग करे।

16. पुलिस हिरासत में सभी नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार करे।

17. गिरफ्तारी के बाद यदि जमानत पर छोड़ जा सकता हो तो जमानत पर छोड़ दे अन्यथा चौबीस घंटों के पश्चात् जमानत हेतु मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश कर दे।

18. यदि कोई गिरफ्तारशुदा व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसकी डॉक्टरी परीक्षा कराये।

19. पूछताछ के दौरान मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करे।

20. न्यायालय सरकार तथा उच्च अधिकारियों द्वारा जारी किये गये आदेशों का तुरन्त पालन अनुशासन में रहते हुए सद्भावना से कर्तव्यपालन करें।
21. प्रत्येक धर्म का आदर करें।
22. हमेशा स्वच्छ वर्दी पहने।
23. महिलाओं, वृद्व एवं असहाय व्यक्तियों का सम्मान व सहायता करे।

**क्या नहीं करना चाहिए ?**

1.संविधान या किसी अन्य प्रचलित कानून का उल्लंघन न करे।
2.किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंधन न करे।
3.किसी भी नागरिक, शिकायतकर्ता, गवाह, संदिग्ध व्यक्ति और दोषी से साथ दुर्व्यवहार (अपमान) या अत्याचार न करें।
4.किसी भी व्यक्ति से साथ, धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, स्थान, वर्ग या समुदाय के आधार पर भेदभाव न करें।
5.किसी भी कमजोर व्यक्ति, संदिग्ध, गवाह या दोषी, की असहाय स्थिति का अनुचित लाभ न उठाये।
6.किसी व्यक्ति के साथ थर्ड डिग्री मैथड्स का प्रयोग न करें, यह गैरकानूनी है चाहे वह हिरासत में है या नही है।
7.किसी व्यक्ति को आर्थिक या अन्य हानि न पहुंचाये।
8.किसी व्यक्ति से किसी कार्य को करने या न करने के लिए किसी प्रकार का इनाम,पारितोषिक या धन तथा कीमती वस्तु न ले।
9.कानून का अपने हाथ में न लें और अपनी शक्तियों व अधिकारों का प्रयोग अनुचित ढंग से न करें।
10. किसी व्यक्ति के धर्म, पूजा स्थल रीति रिवाज या परम्परा का अपमान करके उसके मन को ठेस न पहुंचाये।
11. बोलचाल के दौरान असभ्य ढंग से पेश न आये और किसी के साथ गाली–गलौच न करें।
12. कर्तव्यपालन के दौरान गुस्से या चिड़चिड़ेपन वाला रुखा व्यवहार न करें।
13. अपने कर्तव्यों का पालन पक्षपातपूर्ण ढ़ंग या बदले की भावना से न करें।
14. आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग न करें।
15. किसी भी व्यक्ति या जीव के साथ अन्याय न करें और उसे किसी अधिकार से वंचित न करें।
16. किसी महिला का अपमान न करें और नही उससे किसी प्रकार की छेडछाड़ या बलात्कार करें।
17. किसी मामले में स्वयं सजा न दें, सजा देने का कार्य न्यायपालिका का है।
18. गन्दी या गलत वर्दी न पहने।
19. प्रेस व अन्य विभागों के साथ असहयोग की नीति न अपनाए।
20. बिना वजह अफवाहें न फैलायें।
21. असामाजिक एवं गुंडा तत्वों का सहयोग न करें।

## पुलिस अवधारणा

**सेवा–उन्मुखी दृष्टिकोण एवं छवि सुधार**

**पुलिस प्रशिक्षण में सुधार की आवश्यकता** –पुलिस की छवि को सुधारने हेतु पुलिस प्रशिक्षण में चहुँमुखी परिवर्तन सुधार एवं उसके स्तर में वृद्धि की जाये। प्रशिक्षण के समय अपराधिक व्यववहार को पढ़ाते समय यदि मनौवैज्ञानिक बातों पर अधिक बल दिया जाये तो अपराधों के नियंत्रण में मदद मिलेगी जिससे पुलिस की छवि सुधरेगी।

**पुलिस बल की संख्या में वृद्धि** –वर्तमान समय में समाज में अपराधों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो गई है तथा नये–नये तरीकों से अपराध घटित होने लगे हैं लेकिन पुलिसकर्मियों की संख्या अपराधों की तुलना में शून्य के बराबर है। अतः पुलिस बल में वृद्धि अपरिहार्य है।

**पुलिस का आधुनिकीकरण** –पुलिस की छवि को सुधारने के लिये पुलिस को आधुनिकतम उपकरणों से सुसज्जित करने की आवश्यकता है। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को अभियोजित करने के लिये दूरदर्शन आकाशवाणी से शिक्षित करने के साथ–साथ उनको पकडने के लिए सी.सी. टी.वी. सिस्टम लगाये जाने चाहिए। आपराधिक प्रकरणों की विवेचना को वैज्ञानिक स्वरूप देने के लिय फोनेन्सिक साइन्स एवं वाहनों से सुसज्जित कर अपराधों की रोकथाम की जा सकती है जिससे जनता में पुलिस की छवि सुधर सके।

**न्याय व्यवस्था में सुधार** –वर्तमान समय में न्याय न केवल महंगा ही है बल्कि काफी विलंब से भी मिलता है। पुलिस को न्याय दिलवाने में पहल करनी चाहिये तथा जनता द्वारा दी गई रिपोर्ट पर तुरंत कार्यवाही कर जनता में छवि को सुधारने का प्रयास करना चाहिए।
**प्रशासनिक हस्तक्षेप में कमी** – व्यक्ति और विभाग के मनोबल पर स्थानांतरण का बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अधिक मात्रा में प्रशासनिक वरन् राजनैतिक हस्तक्षेप पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि पुलिस को राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाए और उसे स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने दिया जाये। जिससे पुलिस की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिल सकें।
**कठोर अनुशासन** –अनुशासन भ्रष्टाचार, चोरी, अनैतिकता, कार्य में विलंब मनोबल में गिरावट और अन्यायपूर्ण कार्य को रोकता है और संगठन में नैतिकता चारित्रिक एवं आत्ममार्मिक उत्थान करता है।
**शासक नहीं सेवक** –जनता के लिये पुलिस को शासक नहीं सेवक के रूप में कार्य करना चाहिए। आपसी समन्वय की आवश्यकता है। समन्वयता प्रशासन की कुंजी है जनता के साथ पुलिस का आचरण शासक का न होकर सेवक का होना चाहिए। इसके लिए पुलिस को शिष्ट व विनम्र होना चाहिए।
**शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही करना** –जनता की मात्र आशा पुलिस ही होती है वह चाहती है कि पुलिस उसकी शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही करे लेकिन सच तो यह है कि जनता थानों पर जाने से डरती है। कार्यवाही में विलम्ब अपराधी को बच निकलने का अवसर प्रदान करता है। तुरंत कार्यवाही कर अपराधी को तुरंत पकड कर जनता में छवि को सुधारा जा सकता है।
**पुलिसकर्मियों में अच्छी आदतों पर सदगुणों का विकास** –पुलिसकर्मियों में कुछ गंदी आदते होती हैं जैसे सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना वर्दी में शराब पीना,जुआ खेलना ऐसी गंदी आदतों को बढावा नहीं दिया जाना चाहिए।
**संचार माध्यमों में मधुर व्यवहार** –पुलिस का संबंध संचार माध्यमों से भी रहता है। संचार माध्यमों के द्वारा ही पुलिस की अकर्मण्यता एवं कार्य कुशलता का प्रचार प्रसार होता है यही पुलिस के अच्छे व बुरे कार्यों को जनता तक पहुँचाते है। अतः संचार माध्यमों से अच्छे संबन्ध स्थापित करें इस कार्य के लिए विभाग में जनसंपक्र अधिकारी रखे जाने चाहिये जो पुलिस उपलब्धियों सफलताओं व कार्यकुशलता के बारे में सच्ची जानकारी जनता में सीधी पहुँचा सकें।

**पुलिस की आदर्श आचार–सहिंता**

1. पुलिस के लिए संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा और जैसी कि संविधान में गारंटी दी गई है, नागरिकों के प्रति सम्मान तथा उनके अधिकारों को बनाए रखना आवश्यक है।
2. पुलिस को नियमानुसार पारित किसी भी कानून के औचित्य या उसकी आवश्यकता के बारे में प्रश्न नहीं करना चाहिए। उन्हें कानून दृढ़ता पूर्वक और भेद–भाव, डर या पक्षपात और दुर्भावना या बदले के भाव के बिना लागू करने चाहिंए।
3. पुलिस को अपने अधिकार क्षेत्र और अपने कर्त्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए और इनका पालन करना चाहिए। उन्हें न्यायपालिका के अधिकार नहीं हथियाने चाहिंए और न ही यह लगना चाहिए कि वे ऐसी कोशिश कर रहे हैं, और न ही व्यक्तियों से बदला लेने तथा अपराधी को दंड देने के लिए फैसले को रोके रहना चाहिंए।
4.कानून का पालन करवाने के लिए, जहाँ तक व्यावहारिक हो, समझा–बुझा कर और सलाह या चेतावनी देकर काम चलाना चाहिए। जब ताकत का इस्तेमाल जरूरी हो ही जाए तो परिस्थितियों के अनुसार कम से कम ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए।
5.पुलिस का प्रथम कर्त्तव्य है कि अपराध और अशांति को रोके। पुलिस को पक्के तौर पर समझ लेना चाहिए कि उनकी कुशलता की परख इसी में है कि अपराध और अशांति हो ही नहीं न कि इस बात में कि पुलिस की कारवाई दिखाई पड़े।
6.पुलिस को यह महसूस कर लेना चाहिए कि वे जनता में से ही हैं, अंतर केवल इतना है कि समाज के हित में और समाज की ओर से उन्हे नियुक्त किया है ताकि वे उन कर्त्तव्यों के प्रति पूरे समय ध्यान दे सकें जो अन्यथा सभी नागरिकों को भी निर्वाह करने होते हैं।
7.पुलिस को यह अनुभव करना चाहिए कि जितना सहज सहयोग उन्हें जनता से मिलेगा उतना ही उन्हें कुशलता से अपना काम करने में मदद मिलेगी। फिर यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे अपने आचरण और कार्यों के बारे में लोगों का कितना विश्वास प्राप्त कर सकते हैं।

8.पुलिस को हमेशा लोगों की भलाई दिमाग में रखनी चाहिए उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। उन्हें लोगों की आर्थिक सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर ध्यान दिए बिना सबकी सेवा और सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
9.पुलिस को स्वंय से पहले कर्त्तव्य को रखना चाहिए। खतरों के समय किसी के भला बुरा कहने पर या किसी के खिल्ली उडाने जैसी परिस्थितियों में शांत रहना चाहिए तथा दूसरों की प्राण रक्षा में अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
10.पुलिस को हमेशा शिष्ट और सदाचारी रहना चाहिए, उन्हें ऐसा होना चाहिए कि लोग उन पर भरोसा करें उन्हें पक्षपात से अलग रहना चाहिए, उनमें उदारता और साहस होना चाहिए तथा उन्हें उच्च चरित्र बनाना चाहिए ताकि वे लोगों का विश्वास प्राप्त कर सकें।
11. पुलिस की प्रतिष्ठा का मूल आधार ईमानदारी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपना निजी जीवन सादा ओर सयंमित रखना चाहिए और उनका निजी तौर पर या सरकारी नौकर के रूप में विचारों और कार्यों में सच्चा व ईमानदार होना जरूरी है ताकि लोग उन्हें आदर्श नागरिक के रूप में सम्मान दे सकें।
12. पुलिस को महसूस करना चाहिए कि राज्य के लिए वे पूरी तरह से तभी उपयोगी हो सकते हैं जब वे कानून के अनुसार अनुकरणीय अनुशासन और निष्ठा के साथ कर्त्तव्य निर्वाह कर सकें तथा अपने उच्चाधिकारियों के कानूनी निर्देशों का सही सही अनुपालन करें। अपने बल अर्थात पुलिस सगंठन के प्रति पूरी वफादारी रखें तथा अपने को लगातार प्रशिक्षित तथा तैयारी में रखें।
13. धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते पुलिस को हमेशा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। भारत के सभी लोगों के बीच एकता और भाई चारे की भावना पैदा करनी चाहिए। चाहे वे किसी भी धर्म, भाषा, क्षेत्र अथवा वर्ग के हों और ऐसी रीतियों को त्यागना चाहिए जो नारी जाति तथा समाज के दलित वर्ग की प्रतिष्ठा के प्रति अपमानजनक हों।

## आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की भुमिका एवं चुनौतियां

**देश की सुरक्षा व्यवस्था को मोटे तौर पर दो रूपों में विभक्त किया जाता है–**

(1) बाहय सुरक्षा व्यवस्था (2) आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था

**(1) बाहय सुरक्षा व्यवस्था :–** एक राष्ट्र को उसके बा्हय पड़ौसी व दुश्मन राष्ट्रों द्वारा जो खतरा उत्पन्न होता है एवं बाहरी सीमाओं पर जो सुरक्षा व्यवस्था इसकी हिफाजत के लिए प्रयोग में लायी जाती है व बाहय सुरक्षा व्यवस्था कहलाती है। इसके लिए हमारे पास राष्ट्र की तीनों सेनाओं (जल, थल, वायु) का समान रूप से दायित्व निर्धारित है। साथ ही साथ ही साथ बी.एस.एफ. एवं आई.टी.बी.पी. जैसे केन्द्रीय संगठन भी पूरी सहायता करते हैं तथा व्यापक गुप्तचर व्यवस्था भी रखी जाती है।

**(2) आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था :–** किसी भी देश में कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु जो सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। ऐसे उपाय किये जाते है जहाँ किसी देश की बाहय सुरक्षा आवश्यक है वहीं किसी भी राज्य के लिए उस के आन्तरिक भागों मे कानून एवं व्यवस्था, लोक व्यवस्था जन जीवन को अस्त–व्यस्त होने के लिए जो कार्य किये जाते है उन्हें उस देश की आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था कहते है। देश मे शासन करने वाली सरकार का यह दायित्व है कि वह उस देश में ऐसी व्यवस्था करें कि आम व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक अपना जीवन यापन कर सके उसे असुरक्षा की भावना न सताये।

**आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की चुनौतियाँ :–** भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में उसके धर्म निरपेक्ष समाजवादी व सामाजिक न्याय के प्रति स्वरूप के कारण आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था को भी खतरा है। अनियंत्रित रूप से बढ़ती आबादी, तीव्र औद्योगिकीकरण, शहरीकरण की समस्या, सामाजिक व नैतिक मूल्यों का ह्रास, सामाजिक न्याय की मांग, बढ़ते जन आन्दोलन व अपराधों के कुप्रभावों से बचाव हेतु भी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होती हैं आज बढ़ता आतंकवाद, साम्प्रदायिक आन्दोलन, अन्तर्राष्ट्रीय जासूसी व गुप्तचरी, धर्म व भाषावाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। देश की सुरक्षा व्यवस्था का उन सभी छोटे बड़े तत्वों, क्षेत्रो आदि से गहरा सम्बन्ध है जो मिलकर एक राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण करते हैं। कट्टर धार्मिकता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिक असन्तोष, बढ़ता आतंकवाद, पूर्वोत्तर का असंतोष, शहरी औद्योगीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च व निम्न वर्गों व जातियों के मध्य असमानता के कारण उत्पन्न समस्याएँ, राजनैतिक असंतोष, सामाजिक असंतोष आदि मुख्य तत्त्व है वहीं आंतरिक सुरक्षा के लिए खुली चुनौतियाँ भी हैं। जन समूह में किसी कारण उत्पन्न हुआ असंतोष

ही एक मुख्य तत्त्व जिसके इर्द–गिर्द ही अन्य तत्त्व कार्य करते हैं। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के अध्ययन में मुख्यतः यह पाया गया कि समस्याओं के ट्रेड्स विशालता व आयामों के अनुसार कुछ न कुछ परिवर्तित होते रहते हैं। हर समस्या यथा साम्प्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयता, औद्योगिकता, कृषि, आतंकवाद या युवा असंतोष आदि समय व परिस्थितियों के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेते है। समय–समय पर देश में गृह व रक्षा मंत्रालय द्वारा अनेक आयोग, समितियाँ नियुक्त कर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने हेतु उपाय प्राप्त किये गये हैं जिसके अनुसार पाक समर्थित गतिविधियाँ, जन असंतोष, आतंकवाद, विघटनकारी गतिविधियाँ व इनके फलस्वरूप उत्पन्न अव्यवस्थाएँ आंतरिक सुरक्षा के लिए मुख्य खतरें (Threats) है।

**1. बाहरी आक्रमण** :– दुश्मन राष्ट्रों द्वारा हमारे देश पर आक्रमण करना एवं अपने ऐंजेन्ट्स भेजकर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को खतरा पहुँचाने वाले कार्य जैसे – आतंकवाद, बम विस्फोट जैसी गतिविधियों के द्वारा छद्मयुद्व आदि बाहरी आक्रमण में शामिल हैं।

**2. आर्थिक कारण :–**

(क)कृषक असंतोष (ख)औधोगिक श्रमिक आंदोलन (ग)आर्थिक अपराध बैंक फ्राड्स, स्मगलिंग व फर्जी नोटों का प्रचलन ।

**3. राजनैतिक कारण**

(क) क्षेत्रीय आन्दोलन । (ख) भाषायी आन्दोलन ।

(ग) आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगो को मनवाने के लिए धरना, हड़ताल ।

(घ) राज्य कर्मचारियों की हड़ताल ।

**4. सामाजिक कारण** :–

(क) Corruption पद services शासकीय सेवाओं मे भ्रष्टाचार ।

(ख) जातिवाद । (ग) नस्लवाद एवं रंग भेद ।

**5. साम्प्रदायिक असंतोष।**

**6. आतंकवाद।**

**7. विदेशी एजेन्ट्स द्वारा जासूसी एवं विध्वंसकारी गतिविधियाँ ।**

**आंतरिक सुरक्षा योजना का पूर्वाभ्यास :–**योजना का पूर्वाभ्यास करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निम्नांकित बिन्दुओं की व्यवस्थाए किस प्रकार व कैसे रखी जाएगी।

1. लोक खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था।
2. डी.एम, एस.पी., क्षेत्र में तैनात सैनिक अधिकारियो व अन्य आवश्यक विभागों के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई जावे।
3. प्रतिबंधित, संरक्षित व सुरक्षित स्थानों का विवरण जहाँ फोटोग्राफी व आवागमन की मनाही होगी।
4. उन व्यक्तियों की सूची जिन्हें गोपनीय दस्तावेज बाँटे जाने हैं।
5. जिला व उपखण्ड मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूम की व्यवस्था।
6. डी.एस.बी. व एस.एस.बी. द्वारा इंटेलीजेंस एकत्रण संबंधी गाईडलाईनस्।
7. विश्वसनीय सूत्र व मुखबिर तैयार करना।
8. प्रेस प्रकाशन व लाइव मीडिया पर पूर्ण नियंत्रण तथा जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक व डी.एस.बी. स्टाफ का संवाददाताओं से सम्पर्क।
9. डाक अन्तावरोध व टेलीफोन टेपिंग की व्यवस्था।
10. प्राप्त आसूचनाओं का मूल्यांकन व उन पर कार्यवाही।
11. सुरक्षा बलों की उपलब्धता व उसकी तैनाती।
12. जनता को आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले विभागों व उनके स्टाफ की उपलब्धता व ऐसे समय में उनकी कार्य योजना।

इस प्रकार रिहर्सल के दौरान उपरोक्तानुसार व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करने पर हड़बड़ाहट व अफरा तफरी नहीं होगी।

**महत्वपूर्ण दस्तावेजो की सूची** :–आन्तरिक सुरक्षा योजना की तैयारी हेतु निम्नांकित दस्तावेज तेयार कर रखने चाहिए।

1. जिले का नक्शा। 2. हथियार विक्रेताओं के नाम व पते।

3.पेट्रोल पम्पों, रसोई गैस, मिट्टी के तेल आदि के डीलरों के नाम पते व उनका विवरण।

4.पुलिस थानो, चौकियों की सूची। 5.डाक तार, दूरभाष, विद्युत व पी.एच.ई.डी. विभाग के कर्मचारियों की सूची। 6.उस क्षेत्र के शस्त्रागारो की सूची।
7.जिले में रहने वाले विदेशियो की सूची। 8.नहरों, नदियों, पुलों, रेल व सड़क मार्गों की सूची।
9.सैन्य स्थानों व सैन्य आपूर्ति के ठेकेदारों की सूची। 10.फोटोग्राफर्स व मुख्य मीडियाकर्मियों की सूची।

## सामाजिक बुराईयाँ और उनके निवारण में पुलिस की भूमिका

1. **जातिवाद** –प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विरासत में मिली चीजों पर गर्व होता है लेकिन जातिवाद एक ऐसी समस्या है जिस पर कोई गर्व नही कर सकता है क्योंकि इसके कारण लोगों को शिक्षा से वंचित होना, निर्धनता में रहना, महिलाओं को शोषण एवं उत्पीड़न का शिकार होना पडा। जातिवाद देश के लिए एक गम्भीर समस्या है इससे देश का विघटन होता है। व्यक्तिगत स्वार्थ ही जातिवाद को बढावा देते है। पुलिस को अपने कर्तव्यों का पालन निष्पक्षता एवं ईमानदारी से करते हुए जन साधारण के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।
2. **बाल–विवाह** –बाल विवाह के कारण देश की जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ महिलाओं के साथ शोषण भी बढा है। बाल विवाह देश के विकास पर भंयकर प्रभाव डालता है। बाल विवाह के कारण अनेक समस्याऐं पैदा हो रही है जैसे बेरोजगारी, जन्म दर व मृत्यु दर में वृद्वि तथा प्रसूति के समय महिलाओं की मृत्यु दर में वृद्वि। पुलिस को चाहिए कि बाल विवाह कानून का सख्ती से पालन करे तथा उल्लघंन करने वाले को गिरफ्तार कर सजा दिलाये तथा कानून के बारे में समाज में जन चेतना पैदा करें।
3. **दहेज प्रथा** –दहेज विवाह के समय वधू के माता पिता द्वारा दिया गया सामान या धन दहेज कहलाता है। दहेज प्रथा वर्तमान में काफी विकराल रूप ले चुका है जिससे देश की प्रगति भी बाधक होती है। इसके कारण से स्त्रियों की दशा में काफी गिरावट आई है तथा इसके कारण से स्त्रियों का विकास काफी कम हो गया है तथा उनके अधिकारों का भी हनन होता है। पुलिस को दहेज प्रथा को रोकने के लिए बनाये दहेज विरोधी कानून का कठोरता से पालन करना चाहिए तथा सजातीय वर वधू परिचय समारोहों का आयोजन करवाने मे ंअपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। पुलिस को दहेज के लोभियो द्वारा सताई गई स्त्रियों की रक्षा तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं से सहायता दिलवानी चाहिए।
4. **मद्यपान** –मद्यपान भी एक सामाजिक बुराई है इससे भी समाज तथा देश का पतन होता है। शराब स्वास्थ्य, समाज, परिवार तथा देश सभी के लिए काफी हानिकारक है। मद्यपान करके व्यक्ति अपराध करते है। सरकार ने मद्यपान विरोधी कानून बनाये है परन्तु सरकार को आय होने के कारण इसे सख्ती से लागू नही किया जाता है। पुलिस को चाहिए कि इस कानून का सख्ती से पालन करे ताकि भावी पीढियों को एक स्वस्थ सामाजिक वातावरण प्रदान किया जा सके।
5. **मादक द्रव्य सेवन** –आजकल मादक द्रव्यों एवं नशीले पदार्थो का सेवन निरन्तर बढ रहा है। मादक पदार्थो का सेवन पुरूष अधिक मात्रा में करते है। मादक द्रव्य सेवन न केवल व्यक्ति अपितु समाज और परिवार के लिए हानिकारक है। मादक पदार्थो का सेवन व्यक्ति दवा के रूप में, नशेबाजों की संगत में, थकान दूर करने, आनन्द प्राप्त करने, आर्थिक व सामाजिक समस्याओं से घिरे होने के कारण, मनोरंजन के लिए तथा सामाजिक प्रतिष्ठा इत्यादि कारणों से करता है। पुलिस को रोकथाम करने के लिए एन.डी. पी.एस. एक्ट का सख्ती से पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नशे की लत वाले व्यक्ति को अस्पताल में इलाज करवाकर, कॉलेज–स्कूल के आसपास निगरानी रखकर तथा प्रचार करके, मादक पदार्थो के विज्ञापनों पर रोक, नशामुक्ति शिविर लगाकर इस भयावह बीमारी को दूर करने के प्रयास करने चाहिए।
6. **वेश्यावृति** –वेश्यावृति मानव के विनाश का मूल कारण बनती जा रही है। इससे एडस जैसी गम्भीर बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है। वेश्याऐं सामाजिक जीवन को प्रभावित तथा कलुषित करती है। सरकार ने अनैतिक व्यापार अधिनियम बनाया है। पुलिस को वैश्यावृति से सम्बन्धित कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए तथा इसके साथ साथ समाजसेवी संस्थाओं के साथ जनचेतना अभियान चालू करवाने चाहिए।
7. **जुआ** – भारतीय समाज में कुछ लोग जुए को सामाजिक प्रतिष्ठा मानते है जबकि कुछ लोग पैसा कमाने के लिए। जुआ खेलने वाले कभी–कभी अपने घर–बार, जमीन जायदाद ही नही अपितु अपनी स्त्री तक को भी दाँव पर लगा देते है। सरकार द्वारा जुआ अधिनियम बनाया हुआ है। पुलिस को इसका कठोरता से पालन करना चाहिए।

**पुलिस का दायित्व** –एक कल्याणकारी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि लोगों को न्याय दिलवाने उनके हितों की रक्षा करने और उनकी सुरक्षा का दायित्त्व पुलिस पर ही होता है। अतः एक कल्याणकारी राज्य में पुलिस का विशेष योगदान एवं महत्व होता है। इसलिए एक कल्याणकारी राज्य में पुलिस की भूमिका इस प्रकार से होनी चाहिए –

1.पुलिस का कर्तव्य है कि वह संविधान को सर्वोच्च मानकर उसका सम्मान करें और उसके आदर्शो एवं सिद्वांतों का पालन करें ताकि सभी को समान रूप से न्याय मिल सके और कल्याणकारी राज्य की धारणा को मजबूत किया जा सके।

2.यदि कोई नागरिक अपनी समस्या लेकर पुलिस के पास आता है तो पुलिस को चाहिए कि वह बिना किसी भेदभाव के उसकी सहायता करते हुए उसकी समस्याओं का हल ढूॅढने में उसकी मदद करें और उसकी सुरक्षा करें।

3.पुलिस का कर्तव्य है कि वह कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों की रक्षा करे ताकि प्रत्येक नागरिक अपना व्यक्तित्व का विकास कर सके और प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सके।

4.पुलिस को चाहिए सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण एवं विकास के सम्बन्ध में लागू की गई नीतियों एवं कार्यक्रमों को तुरन्त बिना किसी भेदभाव के करें।

5.समाज के पिछड़े व कमजोर वर्ग के लोगों की उनकी सामाजिक स्तर को ध्यान में रखे बिना सहायता करे व उन्हे उचित सम्मान देते हुए अपना कार्य निष्पक्षता से करें ताकि सभी लोगों को न्याय मिल सके और उनको अधिकारों का उपयोग करने में कोई कठिनाई न हो।

6.समाज में फैली अनेक कुरीतियों एवं सामाजिक बुराईयों की रोकथाम करने में सरकार एवं समाज की सहायता करें।

7.पुलिस को प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों का उचित सम्मान करते हुए उन्हें लागू करने में और उपयोग करने में सहायता प्रदान करें।

8.प्रत्येक नागरिक के साथ सहयोग करें ताकि यदि कोई नागरिक शिकायत लेकर आता है तब उस पर तुरन्त कार्यवाही करके सहायता करें।

9.अपने कर्तव्यों का पालन एक लोक सेवक के रूप में करने का भरसक प्रयास करें। स्वयं किसी नागरिक को पीडा नही पहॅुचाऐं और ना ही किसी नागरिक के अधिकारों का अतिक्रमण करें।

10. अपने कर्तव्यों का पालन साहस, निष्पक्षता, ईमानदारी के साथ करना चाहिए।

**पुलिस कर्मियों में जातिवाद दुर्भावना के दुष्परिणाम** –हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने के साथ ही जब वयस्क मताधिकार प्रणाली को प्रारम्भ किया गया तो जातिगत संस्थाए अधिक महत्वपूर्ण बन गई तथा जाति का राजनीतिकरण हो गया है जातिवाद ने देश की व्यवस्था के हर पक्ष को प्रभावित किया है। जाहिर है कि पुलिस भी इससे अछूती नहीं है और पुलिस कर्मियों में भी जातिवाद नासूर की तरह फैलता जा रहा है जो किसी भी संगठन की तरह पुलिस संगठन के लिए अत्यन्त हानिकारक है जिसके केवल दुष्परिणाम ही सामने आते है।

1. वर्तमान में पुलिस कर्मी अपने संगठन में विश्वास करने की अपेक्षा जातिवाद में विश्वास अधिक करने लगे है तथा अपनी जाति विशेष के लाभकारी पदों पर बैठे लोगों के प्रति अपनी सम्बद्धता दिखाते है तथा सांगठनिक कमजोरी (Organistional Weakness) को बढावा देते ह।

2. पदस्थापन, स्थानान्तरण, मेडल, पदोन्नति आदि सभी कार्यो में जातिगत लाभ प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है। जिसके कारण वास्तविक व योग्यतापरक भावना को दरकिनार किया जाता है तथा असन्तुष्ट वातावरण पैदा होता है।

3. बहुत बार पुलिस कर्मियों में पल रही जातिवाद की दुर्भावना किसी बडी समस्या का कारण बनती है तथा साम्प्रदायिक तनाव तक की समस्या पैदा हो जाती है।

अतः पुलिस कर्मियों में बढ रही जातिगत दुर्भावना को कम करने हेतु (Hierarchial System) को मजबूत कर उसमें विश्वास कायम करने की महत्ति आवश्यकता है राजनीतिज्ञों के प्रति सम्बद्वता को खत्म करने के प्रयास करने चाहिए पुलिस कर्मियों व अधिकारियों को एक दूसरे की भावनाओं को व समस्याओं को समझ कर उपाय करने चाहिए। जातिगत आरोपों के साबित होने पर सम्बन्धित व्यक्ति को प्रताडित भी किया जाना चाहिए।

**पुलिस कर्मियों के अपराध में लिप्त होने पर समाज पर पडने वाला बुरा प्रभाव** –समाज, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का वह दर्पण है जिसमें अपराध, दुर्गुण एवं बुराईयों को घृणात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है। समाज में रहने वाले अन्य व्यक्ति व्यवहार को अच्छा या बुरा बताते है क्योंकि वे सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के आधार पर मूल्यांकन करने के बाद व्यक्ति के व्यवहार को अच्छा या बुरा बताते है। अपराधी व्यक्ति को समाज में घ्णात्मक दृष्टि से देखा जाता है। जिस प्रकार से अच्छाई समाज में लोगो पर प्रभाव डालती है उसकी प्रकार अपराधी भी समाज पर समान रूप से प्रभाव डालता है। अपराध एवं अच्छाई दोनो एक साथ परिस्थतियों के अनुसार प्रभाव डालतें है।

जब एक पुलिसकर्मी अपराध करता है तो उसका दुष्प्रभाव तीव्र गति से पडता है और अन्य लोगों की आलोचना का शिकार होता है। एक अपराधी पुलिसकर्मी का समाज पर निम्नलिखित दुष्प्रभाव पडता है–

1.समाज के द्वारा निर्धारित किये गये नैतिक मूल्य, आदर्शो, नियमों एवं कानून का उल्लघंन होता है।

2.समाज में आलोचना का शिकार होता है जिससे पुलिस की छवि खराब होती है।

3.सामज में जनता व पुलिस सम्बन्धों को ठेस पहॅुचती है,जनता की नजरों में पुलिस गिर जाती है।

4.अपराधों में लिप्त होने के कारण व्यक्तित्व का विघटन होने लगता है।

5.सामाजिक व आर्थिक हितों को ठेस पहॅुचती है और समाज को आर्थिक हानि होती है।

6.अन्य व्यक्ति भी अपराधी पुलिस आफिसर को देखकर उसकी नकल करने लगते है जिसमें अपराधों को बढावा मिलता है।

7.समाज के सामाजिक व आर्थिक विकास का मार्ग अवरूद्व होने लगता है और नागरिकों को अनेक जन सुविधाओं से वंचित होना पडता है।

8.समाज में भ्रष्टाचार, बेईमानी, हेराफेरी तथा कालाबाजारी जैसे अपराधों में वृद्वि होने लगती है।

9.आम नागरिकों को भ्रष्टाचार के फलने फूलने से न्याय नही मिल पाता है और उनके अधिकारों का अतिक्रमण होता है।

आम जनता नागरिक उत्तरदायित्वों की उपेक्षा करने लगती है जिससे समाज में आलस्य, कामचोरी, मुफ्तखोरी और अपराधों की वृद्धि होने लगती है जिससे समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। इससे मद्यपान, मादक द्रव्य व्यसन एवं वेश्यावृति को बढावा मिलता है जो समाज को धीरे–धीरे खोखला करके विनाश के कगार पर लाकर खडा कर देता है।

## जिला प्रशासन एंव अन्य विभागों के साथ पुलिस के संबंध

**जिला स्तर**–जिला प्रशासन राज्य के मूल इकाई हैं। यह नागरिको ओर सरकार के बीच सहयोग की कडी तथा प्रशासन की रीढ़ हैं। जिले का प्रशासनिक मुखिया जिलाधीश होता हैं। जो जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों कें लिए जिम्मेदार है। वह जिले का दण्डनायक भी होता हैं।

**उपखण्ड स्तर**–उपखण्ड स्तर पर प्रशासन का मुखिया सब डीवीजनल मजिस्ट्रेट (SDM) होता हैं। यह जिला एवं उपखण्ड के बीच कडी का काम करता है। यह अपने ईलाके का कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता हैं जो अपने उपखण्ड क्षेत्र में कानुन एंव शान्ति व्यवस्था बनाये रखने का कार्य करता हैं तथा उपखण्ड दण्डनायक होता हैं।

**तहसील एवं ग्राम स्तर**–तहसील भारतीय प्रशासन का केन्द्र बिन्दु हैं। तहसील प्रशासन बहुआयामी है। तहसील में मुखिया तहसीलदार होता हैं जिसके अधीन नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, कर्मचारी व चौकीदार होतें हैं। भू–राजस्व, सामान्य प्रशासन, कोषालय तथा भुमि रिकार्ड आदि के लिए तहसील को एक मुल एकाई माना गया है। तहसीलदार भू–राजस्व अधिकारी के रूप में, न्यायिक अधिकारी के रूप में तथा प्रशासनिक अधिकारी के रूप मे कार्य करता है। तहसील के नीचे उपतहसील, नायब तहसीलदार राजस्व निरीक्षक एवं ग्राम स्तर पर पटवारी अधिकारी होते हैं। जो भू–राजस्व का कार्य करते हैं।

## भारतीय न्याय व्यवस्था

**उच्चतम न्यायालय**–भारतीय सविंधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय कि स्थापना एवं गठन का कार्य किया गया है। जिसके अनुसार भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा तथा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति एवं संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नही करती तब तक सात से अनधिक अन्य न्यायाधीशो से मिलकर बनेगा। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशो से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा

उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा ओर वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष आयु प्राप्त नही कर लेता अथवा उसे उसके पद से हटाया नही जाता हैं। तथा अन्य 29 न्यायाधीश कार्यरत हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली मे स्थित हैं।

**उच्च न्यायालय**—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में राज्यो के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति एवं अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगां जिन्हे राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशो की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायूमुर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा मे उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च के न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त नही कर लेता अथवा उसको पद से हटाया नही जाता है। वर्तमान में राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरूण कुमार मिश्रा है। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर मे स्थित हैं तथा जयपुर में इसकी बैंच है। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय मे एक मुख्य न्यायाधीश तथा 39 न्यायाधीश कार्यरत है।

**जिला न्यायालय** —भारतीय संविधान के अध्याय 6 में अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे मे प्रावधान किया गया हैं इसी राज मे जिला न्यायाधीश नियुक्ति होने वाले व्यक्तियो की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीशों की पद स्थापना व पदोन्नति उस राज्य का राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के सम्बध मे अधिकारिता का उपयोग करने वाले उच्च न्यायालय सें परामर्श करके करेगा। जिला स्तर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा उनके अधीन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्य करतें हैं।

**राज्य अभियोजन शाखा**—प्रत्येक राज्य में एक राज्य अभियोजन विभाग होता है जिसका प्रमुख जिला न्यायाधीश स्तर का अधिकारी होता है। यह विभाग कानून मंत्रालय के अधीन कार्य करता हैं जिला स्तर पर सहायक निदेशक अभियोजन (ए.डी.पी.), सहायक लोक अभियोजक (ए.पी.पी प्रथम एवं द्वितीय) राज्य अभियोजन शाखा के अधिकारी है जिनका कार्य पुलिस को कानूनी राय देना, जिला प्रशासन को कानूनी राय देना हैं इसके अलावा सरकार की तरफ से न्यायालयो में पैरवी करना तथा मुल्जिमों को सजा दिलाना शामिल है।

## भाग द – पुलिस संगठन और प्रशासन

**भारतीय पुलिस का इतिहास**—पुलिस के उदभव एवं विकास की दृष्टि से 800 से 300 ई0 पू0 का काल महत्वपूर्ण माना जाता है। इस काल में मनु, गौतम, नारद तथा अन्य ऋषियों ने कानून को धर्मशास्त्रों में विधि का रूप प्रदान किया तथा अपराधों के अन्वेषण की जिम्मेदारी धर्मपालकों पर डाली। मनु ने लिखा है कि पुलिस प्रशासन उन्हीं लोगों के हाथों में रहे जिन्हें स्थानीय लोगों और क्षेत्रों का पूरा ज्ञान हो।

मौर्यकाल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा हिंसा को रोके। कौटिल्य दण्ड के प्रति जागरूक था एवं उनके अर्थशास्त्र में ''नागरक'' (Nagrak) शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अभिप्राय नगर पुलिस के मुखिया से है। वह गोपों यानि वार्ड प्रधानों की सहायता से नगर को नियंत्रित करता है एवं महत्वपूर्ण पुलिस कार्य सम्पादित करता है। यूनानी नागरिक मैगस्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक ''इंडिका'' में तत्कालीन पाटलीपुत्र शहर का वर्णन करते हुए पुलिस जिसे उसने ''दंडपाशिन'' नाम दिया है यातायात व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों को दंड दिलवाने की व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। शुद्रक की कृति ''मृच्छकटिकम्'' में भी पुलिस के कार्यों, अनुशासन, सेवा का वर्णन करते हुए, रात्रिगस्त, तलाशी, पारपत्र जारी करना एवं यात्रा की सुरक्षा की गारन्टी आदि पुलिस कार्यों का वर्णन किया गया है।

गुप्त काल में आकर पुलिस एक पृथक संगठन के रूप में स्थापित हो गया। विशाखादत्त द्वारा रचित ''मुद्राराक्षस'' में उसकी पुष्टि होती है। मुद्राराक्षस में ''गुलामस्थाना'' शब्द आया है। जिसमें ''स्थाना'' का अर्थ प्राकृत थाना अर्थात आधुनिक थाना या पुलिस थाना से लिया गया है। ह्वानचांग चीनी यात्री ने अपनी भारत यात्रा के वर्णन में हर्षकालीन पुलिस संगठन का जिक्र किया है। इसी क्रम में आगे के साम्राज्यों में भी पुलिस संगठन का जिक्र आता है। हिन्दु साम्राज्यों में देवराय द्वितीय के काल में पुलिस संगठन में ''प्रिफेक्ट'' की नियुक्ति का वर्णन आया है जिसे हम आज के समय में पुलिस कमीश्नर के नाम से जानते हैं। अध्ययन से स्पष्ट है कि विभिन्न कालों में पुलिस व्यवस्था क्रमशः विकसित होती

गयी। प्रत्येक राज्य में आन्तरिक सुरक्षा एवं गृहनीति का कुशलता पूर्वक निर्धारण व क्रियान्वयन होता रहा है। भारत में पुलिस प्रशासन विश्व में सबसे प्राचीन है।
मुस्लिमकाल के दौरान पुलिस पद्धति का विकास हुआ। लोकशांति की दृष्टि से नगर पुलिस के प्रधान के रूप में कोतवाल की नियुक्ति की गयी थी। कोतवाल का कार्य नगर में शांति व कानून व्यवस्था बनाना, अपराधों की रोकथाम करना एवं अपराधियों को पकडकर दण्ड दिलवाना था। कोतवाल जन सहयोग से पुलिस के कार्य सम्पादित करता था। जिसे वर्तमान में हम सामुदायिक पुलिस प्रणाली कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग फौजदार करता था। शेरशाह सूरी के द्वारा प्रथम बार पुलिस थानों की व्यवस्था की गई एवं इंचार्ज थाने को प्रथम बार थानेदार शब्द से सम्बोधित किया गया।
ब्रिटिश काल में मुगलों के पतन के बाद कानून व्यवस्था भंग हो गयी तथा अराजकता फैल गयी। अंग्रेजों ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के रूप में भारत में व्यापार के लिए प्रवेश किया एवं धीरे–धीरे यहाँ की सत्ता को अपने कब्जे में करली। सत्ता में आने के साथ ही 1672 में बम्बई में पहली बार पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर की। सन् 1808 में डकैती उन्मूलन हेतु कलकत्ता, ढाका एवं मुर्शीदाबाद में जिला पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति की गई। पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु अनेक प्रयोग होते रहे एवं 1858 में सभी जिलों में पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति की गयी।
अगस्त 1860 में ब्रिटिश भारत में पुलिस प्रशासन की जाँच हेतु एक आयोग की नियुक्ति की गई एवं इसी आयोग की सिफारिश पर 1861 का पुलिस अधिनियम पारित किया गया। सन् 1920 में भारतीय पुलिस का कार्य भारतीयों के हाथों में सौपा गया 1947 में जब भारत आजाद हुआ उस वक्त कुल 516 I.P.S. में से मात्र 193 I.P.S. भारत और पाक के थे। भारत में वर्तमान पुलिस व्यवस्था का स्वरूप पुलिस अधिनियम, 1861 पर आधारित है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्तमान में विभिन्न राज्यों में 1861 के पु0 अधिनियम के स्थान पर अपना–अपना पुलिस अधिनियम बनाने का आदेश पारित हुआ जिसेकी क्रियान्विति में राजस्थान सरकार द्वारा भी राज0 पुलिस अधिनियम 2007 एवं राज0 पुलिस नियम 2008 बनाये गये हैं। वर्तमान में उपरोक्त की अनुपालना में पुलिस संगठन कार्य कर रहा है।
**केन्द्रीय पुलिस संगठन**–दूसरा विश्वयुद्ध शुरू होने के बाद भारत को अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्व में शामिल होना पड़ा क्योंकि यूनाइर्टड किंगडम इस युद्व में एक पक्ष था और भारत उसके अधिकार क्षेत्र में था। जैसे जैसे यह युद्ध आगे बढा, भारत सरकार ने देखा कि युद्ध सम्बन्धी इसका खर्च मजबूरन बहुत अधिक बढ गया था। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसमें अनैतिक तथा समाज विरोधी व्यक्तियों, सरकारी तथा गैरसरकारी दोनों ही राजकोष की कीमत पर बेईमानी पूर्वक अपनी जेबें गरम करनी शुरू कर दी। इस स्थिति का सामना करने के लिए भारत सरकार ने युद्ध सम्बन्धी कारवाई के मामले में अपराधों की जॉच हेतु दिल्ली क्षेत्र के लिए एक अलग पुलिस सगंठन स्थापित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के परिणामस्वरूप 1941 में केन्द्रीय सरकार के एक प्रशासनिक आदेश द्वारा विशेष पुलिस का गठन किया गया था। इस संगठन को एक पुलिस उपमहानिरीक्षक के अधीन रखा गया था जिसका मुख्यालय लाहौर में और शाखाएं बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, जबलपुर, रांची, पेशावर, कोटा तथा रावलपिण्डी में थी। शुरू में इस सगंठन को ऐसे मामलों में घूस खोरी तथा भ्रष्टाचार की जाँच का काम सोंपा गया था जिनका सम्बन्ध भारत सरकार के युद्ध तथा आपूर्ती विभागों से था। ऐसी उम्मीद की जाती थी कि अधिकतर मामले युद्ध विभाग (रक्षा विभाग को उस समय इसी नाम से जाना जाता था) से संबंधित होंगे, इसलिए इस संगठन के अधीक्षक को युद्ध विभाग में ही तैनात कर दिया गया था।
1942 के अंत तक इस संगठन के कार्याकलापों में विस्तार करके रेल विभाग में भ्रष्टाचार के मामलों को भी इसके अन्तर्गत लाया गया क्योंकि सामरिक दृष्टि से परिवहन और युद्ध सामग्री को ढोने का सम्बन्ध रेल विभाग से था। 1943 में, जब विशेष पुलिस स्थापना में कार्यरत पुलिस अधिकारियों की कानूनी क्षमता को लेकर कुछ सवाल उठ खड़े हुए तो 1943 के अध्यादेश सं0 22 के द्वारा एक विशेष पुलिस बल का गठन किया गया और इसे ब्रिटिश भारत में कहीं भी केन्द्रीय सरकार के विभागों के मामलों मे किये गए कुछ अपराधों की जाँच करने का अधिकार सौंपा गया। यह अध्यादेश जिससे विशेष पुलिस स्थापना को कानूनी आधार प्राप्त हुआ था, 30 सितम्बर,1946 को समाप्त हो गया जिसकी वजह से 1946 में अध्यादेश संख्या–22 की घोषणा करनी पड़ी जिसका स्थान अन्ततः दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25 वां अधिनियम ) ने ले लिया। इस अधिनियम के फलस्वरूप

विशेष पुलिस स्थापना की देखरेख तत्कालीन गृह विभाग को स्थानान्तरित कर दी गई थी और भारत सरकार के सभी विभागों को इसके कार्यक्षेत्र में लें आया गया था।

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम,1946 ने अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत गृह विभाग द्वारा अधिसूचित अपराधों के सम्बन्ध में मुख्य आयुक्त के प्रांतों और राज्यपालों के प्रान्तों की सरकार की सहमति से राज्यपाल के प्रांतों में विशेष पुलिस स्थापना को अधिकार प्रदान किए। प्रांतीय सरकारों की सहमति प्राप्त की गई और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों तथा अधिकार क्षेत्र को 1 अक्टूबर, 1946 को जारी एक अधिसूचना के जरिए सभी प्रान्तों तक बढा दिया गया। तथापि, विशेष पुलिस स्थापना को भूतपूर्व भारतीय राज्यों में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था।

स्वतंत्रता प्राप्त होने पर विशेष पुलिस स्थापना के कार्य क्षेत्र को राजसी राज्यों में उनकी सहमति प्राप्त करने के बाद बढा दिया गया था। यह सहमति उन्होने इस समझोते की शर्त पर दी थी कि विशेष पुलिस स्थापना केवल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध मामलों तथा भारत सरकार के हितों से सम्बन्धित मामलों में ही जाँच करेगा।

1947 तक विशेष पुलिस स्थापना लाहौर स्थित अपने मुख्यालय से कार्य करती रही।स्वतंत्रता तथा विभाजन से कुछ ही पहले इसके मुख्यालय को नई दिल्ली स्थानान्तरित कर दिया गया और इस संगठन को निदेशक, आसूचना ब्यूरो के अधीन रखा गया जो फरवरी,1948 तक जब इसे अलग किया गया, महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना के रूप में अतिरिक्त पद भी संभाले हुए थे। इसके साथ ही स्थापना को गृह मंत्रालय से संलग्न कर दिया गया।

**टेकचन्द समिति** –1949 में सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने, भ्रष्टाचार मिटाने में विशेष पुलिस स्थापना की सफलता का मूल्याकंन करने और इसे जारी रखने, सुदृढ बनाने आदि के बारे में सिफारिशें करने के लिए बक्शी टेकचन्द की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति ने 1952 मे यह सिफारिश की कि विशेष पुलिस स्थापना को जारी रखा जाना चाहिए और इसकी उपयोगिता तथा कार्यक्षमता को बढाया जाना चाहिए।

दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम, 1946 में 1952 के अधिनियम 26 द्वारा संशोधन करके इसे नये संवैधानिक ढांचे के अनुरूप बनाया गया। तबसे विशेष पुलिस स्थापना 1952 के अधिनियम 26 द्वारा यथा संशोधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम ,1946 के संवैधानिक अधिकार के अधीन कार्य कर रही हैं। 25.09. 56 को लागू हुए जम्मू काश्मीर, 1956 की धारा 2 के अनुसार दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम,1946 को जम्मू और काश्मीर राज्य में भी लागू कर दिया गया है। इस विस्तार के बाद से यह अधिनियम अब पूरे भारत में लागू है।

1953 में, आयात एवं निर्यात विनियमों के उल्लंघन से सम्बन्धित अपराधों से निपटने के लिए विशेष पुलिस स्थापना में एक प्रवर्तन विंग जोड़ा गया । शुरू में,इस विगं का प्रभारी एक अलग पुलिस अधीक्षक था जिसका मुख्यालय ,दिल्ली में था ओर बम्बई,मद्रास तथा कलकता के पुलिस उपधीक्षक ओर अन्य स्टाफ उसके कार्य में उसकी सहायता करते थे ।

**सन्थानम समिति**–6 जून, 1962 को गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के दौरान जब कुछ संसद सदस्यों ने प्रशासन में बढते भ्रष्टाचार के खतरे का उल्लेख किया तो तत्कालीन गृह मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह प्रस्ताव रखा कि कुछ संसद सदस्यों और यदि संभव हो तो अन्य लोगों से अनुरोध किया जाए कि भ्रष्टाचार की समस्या की समीक्षा करने और सुझाव देने के लिए वे उनके मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करें। इस घोषणा के अनुसरण में श्री के0 सन्थानम, संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति, जिसमें कुछ संसद सदस्य और 2 केन्द्रीय सरकारी अधिकारी शामिल थे, ने विशेष पुलिस स्थापना को सुदृढ बनाने के लिए अनेक सुझाव दिए और सरकार द्वारा अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया।

## केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल(Central Reserve Police Force (CRPF))

सैनिक पद्धति पर आधारित प्रांतीय सरकारों को सहायता देने के लिए एक बटालियन की संख्या से जुलाई, 1939 में क्राउन रिप्रेजेनटेटिव पुलिस के नाम से सर्व प्रथम बटालियन का गठन मध्य प्रदेश राज्य के नीमच स्थान पर किया गया । हरियाली भरी पहाड़ियों वाला स्थान, प्रशिक्षण की दृष्टि से खुले मैदानों की सुविधा एवं मालवा और राजपूताना की प्रांतीय सरकारों पर निगरानी रखने हेतु ही नीमच को अंग्रेजों ने चुना था। राजपूताना के रेजीडेन्ट का पुलिस सलाहकार इस बल का महानिरीक्षक था। कार्यपालन में इस बल के जवान देशी राज्यों के कानूनों की परिधि से बाहर थे।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 1936 में हुए मद्रास के अधिवेशन से देशी राज्यों में राजनैतिक चेतना जागी अैर आंदोलनों को जन सहयोग मिलने लगा। अंग्रेज शासकों ने इस बढ़ते क्रांतिकारी आंदोलनों से निपटने के लिए ही इस बल का गठन किया था। प्रारंभ में इसकी संख्या एक कमान अधिकारी, सात उच्च एवं तीस अधीनस्थ अधिकारी, 100 हैडकांस्टेबल और 870 कांस्टेबल थे। इनमें से अधिकतर भूतपूर्व सैनिक थे।

द्वितिय महायुद्ध के समय 1942 से 1944 में इस बल को सिंध प्रदेश में अनेक बार गैर–सैनिक प्रशासन की सहायता हेतु कार्रवाईयां करनी पड़ी। इसका उपयोग विशेष तौर से हर उपद्रवों को समाप्त करने के लिए किया गया। अन्य देशी राज्यों में राजनैतिक आंदोलनों को दबाने के लिए भी इसकी टुकड़ियों को भेजा गया।

प्रारंभ में कानून व्यवस्था बनाए रखने में, प्रांतीय सराकरों को सहायता देने के लिए इस हरफन मौला बल की उपयोगिता और उच्च संभावनाओं को तत्कालीन भरत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अतीव दूरदर्शिता से पहचाना और इसको केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का नाम दिया। पिछले 48 वर्षों में देश में हुए परिवर्तन को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने देखा, झेला और समाज को एकजुट रखनपे के लिए विभिन्न पद्धतियों को बनाए रखा। अपनी भूमिका को कारगर रूप से निभाने के लिए, इस बल को बदल–बदला कर, नए ढ़गों और दाव–पेचों के अनुरूप स्वयं को ढालना पढ़ा। श्री बल्लभ भाई पटेल ने इसके गठन पर विशेष महत्व दिया था जिसके फलस्वरूप यह अपने रूप और संस्कृति को बरकरार रख सकी। स्वतंत्रता के पश्चात् राजनैतिक विभाग द्वारा यह भी प्रयास किया गया था कि इस बल का अब कोई महत्व नहीं रह गया है, अतः इसे समाप्त कर देना चाहिए। परन्तु सरदार बल्लभ भाई पटेल के हस्तक्षेप के कारण यह संभव न हो पाया। 22 दिसम्बर, 1949 को संसद ने एक बिल पारित कर इसके नाम में परिवर्तन किया। 19 मार्च, 1950 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को ध्वज प्रदान किया।

**गठनः–** सन् 1939 में इस बल की संख्या एक बटालियन की थी और इसका मुख्यालय नीमच में स्थित था। सन् 1948 में दूसरी बठालियन की संरचना की गई। एक का कार्य पूर्वी रियासतों और दूसरी का पश्चिमी रियासतों की आपातकाल में सहायता करना था। 1956 में तीसरी बटालियन के गढनसे इसमें बढ़ोत्तरी हुई। अतः भारत सरकार ने 1956 और 1957 में तीन बटलियनें और गठित करने के आदेश दिए।

ज्यों–ज्यों इसकी संख्या में बढ़ोतरी होती गई इसके संगठन में भी परिवर्तन होने लगे। राजपूताना में रेजिडेंट के पद समाप्त पर दिल्ली का पुलिस महानिरीक्षक ही इस बल का मुख्य अधिकारी बना। प्रारंभ में इस बल के कार्य को अजमेर–मेरवाड़ा का उप–महानिरीक्षक ही देखता था। नवम्बर, 1956 को अजमेर के राजस्थान में विलय के कारण केन्द्रीय सुरक्षित बल के लिए एक उप–महानिरीक्षक स्वतंत्र रूप से कार्य देखने लगा। 1960 तक इसकी संख्या दस बटालियनों तक जा पहुंची। इसके प्रशिक्षण हेतु नीमच में एक केन्द्रीय प्रशिक्षण महाविधालय प्रारंभ किया गया। सन् 1961–62 में इस बल की देश के विभिन्न राज्यों में मांग बढ़ने लगी। चार और नई बटालियनों का बठन किया गया। इन चौदह बटालियनों को दो भागों में बांटा गया और प्रत्येक भाग को एक उप–महानिरीक्षक के अधीन रखा गया। 1963 से बल को स्वतंत्र रूप से एक पुलिस महानिरीक्षक के अधीन कर दिया गया। 1964–65 में तीन और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की बटालियनें खड़ी की गई और सात भारतीय आरक्षित बटालियनें इसमें सम्मिलित कर दी गई। अब इसकी संख्या 24 बठालियनें हो गई। सिगनल बटालियन और बेस अस्पतालों को स्थापित करने की स्वीकृति के साथ–साथ उप–महानिरीक्षक के दो अतिरिक्त पदों का सृजन भी किया गया। केन्द्रीय पुलिस बल का सम्पूर्ण नियंत्रण महानिदेशक के पास है। जिसका मुख्यालय सी.जी.ओ. नई दिल्ली में स्थित है।

सन् 1967–68 में केन्द्रीय आरक्षित बल के संगठनात्मक ढ़ांचे के परिवर्तन के साथ–साथ 19 केन्द्रीय रिजर्व बटालियनों का गठन किया। बल की संख्या अब तक 46 बटालियनों तक पहुंच गई थी। इसके कुशलपूर्वक संचालन के लिए भारत सरकार ने महानिदेशक के पद का सृजन किया। महानिदेशक को सहायता देने के लिए तीन उपनिदेशक तथा एक वायरलैस सलाहकार अधिकारियों के पदों की भी स्वीकृति दी गई। सशस्त्र बल को दो सेक्टरों मे बांटा गया और आगे रेन्जों में जिसके अधिकारी उप–महानिरीक्षक रखे गए। प्रथम बार ग्रुप केन्द्रों के दायित्वों में सामान की व्यवस्क्था करना, लेखा–जोखा रखना और बटालियनों के लिए आवश्यकतानुसार अन्य वस्तुओं को अपलब्ध कराना

सम्मिलित था। इस पद्धति से बटालियनें अपने परिचालन क्षेत्र में अधिक मुस्तैदी से कार्य कर सकने में समर्थ हुईं। प्रारभिक चरण में दस ग्रुप सेन्टरों की स्थापना की गई। इसके पश्चात् लगभग 75,000 के इस बल की सुव्यवस्था के लिए 16 ग्रुप सेंन्टरों की संख्या निर्धारित की गई। इसके अलावा एक ग्रुप सेन्टर सिगलन यूनिटों के लिए स्थापित किया गया। सन् 1969 में दो और आरक्षित बटालियनों को सम्मिलित और चार नई बटालियनों को खड़ा किया गया। इस प्रकार इस बल की संख्या 52 बटालियनों तक पहुंच गई।

यद्यपि सन् 1965 में सीमा सुरक्षा बल का भारत सरकार द्वारा सीमाओं की सुरक्षा हेतु ही गठन किया गया परन्तु पश्चिम बंगाल में नक्सलवादियों के आतंक, नागालैण्ड और मिजोरम की बिगड़ती कानून व्यवस्था व देश के अन्य भागों में हुए उत्पातों के कारण केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की मांग निरंतर बढ़ती ही रही। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि एक समय इस बल के पास इन स्थितियों से निपटने के लिए आरक्षित सैनिक भी नहीं थे। इस स्थिति से निपटने के लिए 1971 में 8 और बटालियनों को खड़ी करने की सरकार ने अनुमति प्रदान की। 1978 तक इसकी संख्या 60 बटालियन की थी। परिचालन की दृष्टि से देश को पांच सेक्टरों और 11 रेन्जों में विभाजित किया गया। प्रत्येक सेक्टर का मुख्याधिकारी महानिरीक्षक और रेन्ज का अधिकारी उप–महानिरीक्षक पद का अधिकारी नियुक्त किया गया। पांच सैक्टरों के मुख्यालय दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता, चण्डीगढ़ और शिलांग में हैं।

सन् 1975 में इस बल के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउण्ट आबु में स्थापित की गई। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों को प्रशिक्षण के अलावा यह अकादमी पुलिस एवं प्रशासन के उच्च अधिकारियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम का आयोजन भी करती है। इस अकादमी का निदेशक महानिरीक्षक पुलिस पद का अधिकारी नियुक्त किया गया।

आर्थिक नीति और समन्वय सम्बन्धी केबीनेट समिति ने 1977 में समस्त अर्ध–सैनिक बलों की संख्या का विवेचन कर यह निश्चय किया कि इस बल की दो बटालियनों को कम कर दिया जाए और फिर हर तीसरे वर्ष एक बटालियन कम की जाए। 1978 में इस बल की दो बटालियनें समापत कर दी गई। देश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने इसी वर्ष बल की और कमी न करने के आदेश दिए। देश की बदलती परिस्थितियों केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के महत्व को फिर से जाना गया। कन्याकुमारी से श्रीनगर और पंजाब से मिजोरम तक इस बल की बटालियन शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्यरत हैं। आज इसकी संख्या 88 बटालियन तक पहुंच गई है और निकट भविष्य में इसमें और बढ़ोत्तरी होने की भी आशा है।

**कार्य** –प्रारम्भ में क्राउन रिप्रजेंटेटिव पुलिस का गठन देशी रियासतों में राजनतिक उथल–पुथल को रोकना था। स्वतन्त्रता के पश्चात् इन रियासतों का राज्यों में विलय हो गया और इस कारण इस बल का कार्यक्षेत्र भी परिवर्तित हो गया। स्वतन्त्रता के तुरन्त बाद यह पुलिस बल जो अब केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से जाना जाने जाने लगा, को अन्य प्रकार की समसयाओं और स्थितियों से निपटना पड़ा। डकैत उन्मूलन एवं राजस्थान और कच्छ से लगी भारतीय सीमाओं की चौकसी के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी । इस बल ने हैदराबाद आपरेशन और कश्मीर में हुए भारत–पाकिस्तान युद्ध में भी अपनी अह्म भूमिका को सराहनीय ढ़ंग से निभाया। पंजाव और चंवल घाटी में डकैतियों को रोकने के लिए भी इस बल को उपयोग में लाया गया। सून् 1965 तक सीमाओं की चौकसी का कार्यों के साथ–साथ सेना की सहायता और डाकू उन्मूलन अभियानों तथा देश में हुए दंगों में असैनिक प्रशासन की सहायता करती रही।

सन् 1965 में सीमा सुरक्षा बल के गठन के अन्तर्राष्टीय सीमाओं की चौकसी का काम इस बल से ले लिया गया और इसे देश की आंतरिक सुरक्षा केकार्यों में लगाया गया । इसकी कड़ियों को रेल्वे भूमि एवं तटीय कस्टम और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को उनकी सुरक्षा के लिए दिया गया।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का गठन अर्ध–सैनिक बल के समान ही किया गया है। इसे पंजाब, नागालैण्ड, भारत और पाकिस्तान सीमा और तंगला देश सीमा पर भी लगाया गया है। इसके अलावा देश में कहीं भी गड़बड़ होने पर यह बल प्रदेश की पुलिस की सहायता के लिए तुरन्त भेजी है। इस प्रकार इस बल के जिम्मे निम्न कार्य हैं :–

1. सीमाओं की रक्षा करना,
2. प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ने पर सहायता करना,
3. उग्रपंथियों के विरूद्ध कार्रवाई करना,

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सबसे पुराना अर्द्ध–सैलिक बल है, जिसने सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा, राजद्रोह–संघर्ष, उग्रवाद और आतंकवाद, विनाशकारी घटनाओं से निपटना तथा सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शत्रु से लोहा लेना जैसे विविध सेना भार उठाए। कार्यक्षमता से जन उत्तरदायित्वों का क्षेत्र बढ़ा, तब सीमा सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जैसे विशेष बलों का निर्माण हुआ और उनके कार्यक्षेत्र बांटे और सुनिश्चित किए गए। संगठन की परंपरा, संस्कृति ओर प्रशिक्षण में, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सिविल पुलिस के सबसे अधिक निकट है और देश की सुरक्षा में इसे महत्तवपूर्ण स्थान मिलने का गौरव प्राप्त हैं।

**आंतरिक सुरक्षा अकादमी**–केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु सन् 1975 में माउण्ट आबू (राजस्थान) में स्थापित की गई। यहीं पर पूर्व में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी थी जिसका स्थानान्तरण हैदराबाद कर दिया गया था। उसका उद्देश्य (1) केन्द्रीय रिजर्व बल में सीधे भरती किए गए राजपत्रित अधिकारियों को प्रशिक्षण देना (2), नवीकरण पाठ्यक्रमों को चलाना, (3) राज्य यूनियन टेरीटरी, केन्द्रीय पुलिस संगठनों के पुलिस अधिकारियों तथा जिलाधीश एवं सहायक जिलाधीशों के स्तर के अधिकारियों के लिए आंतरिक सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण देना और (4) उप महानिरीक्षक एवं जिलाधीशों के लिए आंतरिक सुरक्षा में सेमीनारों का आयोजन किया गया है।

**महिला बटालियन का गठन** –देश में महिला बटालियन को खड़ा करने की आवश्यकता सदैव रही है, परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में इसकी काफी आवश्यकता महसूस की जा रही है। कुछ समय पहले मिजो महिलाओं ने मिजोरम के मुख्य सचिव का घेराव किया था, लेकिन उन पर लाठी चार्ज करना एक समस्या बन गई। इसी प्रकार असम आंदोलन के दौरान कॉलेज की छात्राओं ने तेल प्रतिष्ठानों में धरना दिया और रास्तों पर रूकावटें पैदा की। अहमदाबाद में आरक्षण के विरूद्ध 1958 में हुए झगड़ों में महिलाओं द्वारा सुरक्षा कर्मियों को पीटने की ,खबरें मिली। इसके तत्काल बाद ही मई, 1985 में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के अन्तर्गत महिला बटालियन खड़ी करने की स्वीकृति दे दी।

इस बल द्वारा एशिया में सर्वप्रथम अर्द्ध–सैनिक महिला बठालियन को 1986 में खड़ी करने का गौरव प्राप्त हुआ। इसके प्रशिक्षण का कार्य छः स्थानों पर दिल्ली, रायपुर, दुर्गापुर, जम्मू, त्रिवेन्द्रम और गोहाटी में हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि हरेक राज्य के पुलिस संगठनों में महिला दस्ता है, मगर वे मुख्यतया अपराधों में छानबीन में उनकी मदद लेते हैं। यह पहला अवसर है कि देश में अव्यवस्था और हिंसा की चुनौतियों का सामना करने के लिए महिलाओं को व्यापक रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

## सीमा सुरक्षा बल (Border Security Forcesबी.एस.एफ.)

सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में ससंद में एक विधेयक पास करके संघ के एक सशस्त्र बल के रूप में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए की गई थी। केन्द्रीय गृह मंत्रालय में महानिदेशक के नेतृत्व में इसका जन्म 1 दिसम्बर 1965 में हुआ। बी.एस.एफ ने राज्यों की सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान से लगी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की चौकसी का दायित्व लेकर कार्य प्रारंभ किया ।

अपने अस्तित्व के इस छोटे से अरसे में सीमा सुरक्षा बल ने शान्ति और युद्व काल में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। वर्ष 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के अवसर पर सीमा सुरक्षा बल के कार्य की सराहना प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी की थी। प्रधान मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल के तत्कालीन महानिदेशक श्री रूस्तम जी को अपने पत्र में लिखा था– हमारी रक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में सीमा सुरक्षा बल को ही शुत्र के आक्रमण का पहला झटका सहन पड़ा ।सीमा सुरक्षा बल देश की पाकिस्तान, बंगलादेश और बर्मा के साथ लगने वाली सीमा तथा जम्मू और कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात है  और 7219 किलो मीटर लम्बी सीमा की देखभाल करता है।

**संगठनः**–सशस्त्र पाकिस्तानियों द्वारा रन आफ कच्छ में हुए आक्रमण ने यह सुझाया कि भारतीय सीमाओं की चौकसी के लिए एक विशेष बल होना चाहिए। तत्कालीन गृह सचिव श्री एल0पी0 सिंह और सेना के मुख्य अधिकारी जनरल जे0एन0 चौधरी की परस्पर मंत्रणा के पश्चात् इस बल के गठन का निश्चय किया गया। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री के0 एफ0 रूस्तम जी को इसका सर्वप्रथम महानिदेशक नियुक्त किया गया। इस बल से अपेक्षा की गई कि सीमाओं पर रहने वाले नागरिकों में विश्वास और साहस पैदा करेगा तथा तस्करी और सीमा पार अपराधों को रोकने में अहम् भूमिका निभायेगा ।

प्रांरभ में भारतीय सीमाओं पर तैनात राज्यों की सशस्त्र बटालियनों का इस बल में विलय किया। अनेक राज्यों नें आरंभ में अपने सशस्त्र पुलिस बटालियनों को देने में आनाकानी की परन्तु भारत के तत्कालीन

प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के हस्तक्षेप से इस समस्या का समाधान हो गया। सीमा सुरक्षा बल को सबल बनाने तथा उचित नेतृत्व देने हेतु अनेक विशिष्ट पुलिस तथा सेना अधिकारियों की सेवाएं ली गईं। 1 दिसम्बर,1965 को श्री रूस्तम जी के नेतत्व में गृह मंत्रालय के अधीन अर्द्ध सैनिक बल के रूप में सीमा सुरक्षा बल ने अपना कार्य प्रारंभ किया।

इस बल में सम्मिलित होने वाली राज्यों की बटालियनों का अपना अपना प्रशिक्षण ओर कंट्रोल का ढंग था। सेना ओर पुलिस से अधिकारी लिए गए जिनका अपना दृष्टिकोण था। आवश्यकता थी उनमें एक भावना पैदा करना तथा कमांड और कंट्रोल में एकरूपता लाना। प्रारम्भ से ही इसने देश की सीमाओं की रक्षा हेतु कार्य में लगे होने के कारण गौरवान्वित महसूस किया । यही देश प्रेम की भावना प्रत्येक जवान में थी जिस कारण उन्होंने अनके कठिनाइयों का सामना बड़ी बहादुरी से किया।

प्रारम्भ में इसकी संख्या राज्यों से प्राप्त 25 बटालियनों की थी। ये बटालियनें गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा राज्यों ने सीमा सुरक्षा बल में विलय के लिए दी थीं। 1966 में इसके अतिरिक्त और बटालियनें भी खड़ी की गईं। इसके पश्चात् इसकीं बटालियनों में और भी बढोत्तरी की गई। इसके बाद में बंग्लादेश से आए गैर कानूनी व्यक्तियों को रोकने, आतंकवाद से निपटने जम्मू–कश्मीर तथा पूर्वी क्षेत्र में विध्वंसकारी गतिविधियों को समाप्त करने हेतु इस बल की संख्या बढाने की आवश्यकता महसूस की गई।

प्रभावी कंट्रोल और नेतृत्व के लिए सीमा को सीमांतों में बांटा गया। उत्तरी सीमांत श्रीनगर,पश्चिमी सीमांत जालन्धर और पूर्वी सीमांत कलकत्ता में महानिरीक्षक पुलिस के पद के अधिकारियों के नेतृत्व में स्थापित किए गए। प्रशासनिक सुविधा और प्रभावी कंट्रोल हेतु इन सीमांतों को आगे सेक्टरों मे बांटा गया। प्रत्येक सेक्टर का मुख्य अधिकारी उप महानिरीक्षक पुलिस पद का अधिकारी है। सैक्टरों के अधीन बटालियनें सीमाओं की सुरक्षा तथा अन्य कार्यो में लगी हुई हैं।

**सीमा सुरक्षा बल के मुख्य रूप में निम्नलिखित कार्य है :–**

**शांति के समयः–**

(1) सीमा क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों में सुरक्षा की भावना बनाए रखना ।

(2) सीमा के आस पास होने वाले अपराधों की रोकथाम तथा भारत में अवैध रूप से आने वाले व अवैध रूप से जाने वाले व्यक्तियों को रोकना ।(3) सीमा पर तस्करी और घुसपैठ को रोकना ।

**युद्व के समयः–**

1. कम खतरे वाले क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करना 2.सीमित अग्रघर्षी युद्व में भाग लेना ।
3.शत्रु के क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखना4.अनुरक्षी प्रदान करना (काउंटर डिफेंस देना)।
5.युद्व कैदियों पर पहरा देना 6.कमांडों आक्रमण तथा छोटे छोटे हमलों जैसे विशेष कार्य करना ।
7.घुसपैठियों के विरूद्व कार्रवाई करना ।

**आंतरिक सुरक्षाः–** सीमा सुरक्षा बल को कई बार कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिविल प्रशासन की मदद के लिए बुलाया गया है। गुजरात में हुए दंगों, जम्मू कश्मीर में साम्प्रदायिक दंगों,पश्चिम बंगाल में दार्जीलिंग के इलाके में तथा असम, नागालैण्ड और मिजोरम में भी सीमा सुरक्षा बल ने कठिन परिस्थितियों में नागरिक प्रशासन का साथ दिया और अपने कार्य से जनता का विश्वास अर्जित किया तथा अधिकारियों से प्रशंसा पाई।

बल की अनेक कंपनियां पंजाब में आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी में लगी हुई हैं और सिविल प्रशासन को उग्रवादियों की गतिविधियों से पैदा हुई स्थिति से निपटाने में सहायता दे रही हैं। सीमा सुरक्षा बल ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की सक्रिय सहायता दी है और कई कार्यवाहियों की हैं जिसमें उग्रवादियों के छिपने के ठिकानों पर छापे मारना, शक की जगहों की तलाशी लेना, व मोटर गाड़ियों की जाँच करना शामिल है। ये काम स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर किए गए हैं जिससे बहुत से उग्रवादियों को पकड़ने में सफलता मिली, खतरनाक आतंकवादी मारे गए और बहुत बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद तथा आतंकवादियों की गतिविधियों में मदद करने वाली बहुत सी दूसरी चीजें बरामद की गईं।

**सीमा की चौकसीः–** सीमा सुरक्षा बल को सीमा के आर–पार होने वाले अपराधों की रोकथाम की अपनी ड्यूटी के दौरान आमतौर पर अवैध वस्तुओं की तस्करी और ज्यादातर बंग्लादेश पर अवैध व्यक्तियों व वस्तुओं की तस्करी और म्याँनमार के नागरिकों की घुसपैठ की रोकथाम करनी होती है। जब से पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा उग्रवादियों की घुसपैठ के कारण नाजुक हुई है, पंजाब की सीमा

पर एक नई स्थिति का सामना सीमा सुरक्षा बल को करना पड़ा है । पंजाब में धर्म परक राजनीतिक आतंकवाद पनपने, भारत में आतंकवाद बढाने के पाकिस्तान के रवैए तथा हथियारों व तस्करी के समान को लाने ले जाने और प्रशिक्षित उग्रवादियों की चोरी छिपे घुसपैठ से सीमा सुरक्षा बल की सीमा की चौकसी की जिम्मेवारियां और समस्याएं बढ़ गई हैं। बल ने इन चुनौतियों को स्वीकार किया है और इन गतिविधियों की रोकथाम के लिए अपनी चौकसी बढाई है।

## भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस(Indo-Tibetan Border Police -ITBP)

प्राचीन काल से ही हिमालय पर्वत भारतीयों की सांस्कृतिक एवं भौगोलिक सीमाओं का रक्षक/प्रहरी का कार्य करता रहा है। इसमें भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि सन् 1962 में चीनी आक्रमण से पूर्व भारत की उत्तरी सीमाऐं अजेय समझी जाती थी परन्तु चीनी आक्रमण ने भारतीय शासकों को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि भारतीय–तिब्बत सीमा सुरक्षित नहीं है। इसकी सुरक्षा करने के लिए एक ऐसे बल के गठन की आवश्यकता है जो प्रतिकूल और असामान्य परिस्थितियों का सामना करने और उत्तरी–पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह से दक्ष हो। इसी बात को ध्यान में रखकर सन 1962 में भारतीय–तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय आर.के. पुरम नई दिल्ली में स्थित है। सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस को सैक्टरों और रेंजों में विभाजित किया गया है। इस बल का सर्वोच्च अधिकारी महानिदेशक पद का अधिकारी होता है। प्रत्येक सेक्टर का इंचार्ज महानिरीक्षक एवं रेंज का इंचार्ज उपमहानिरीक्षक पद का अधिकारी होता है। इस समय इस बल की लगभग दस बटालियनें है। प्रत्येक बटालियन का इंचार्ज कमांडेन्ट होता है जिसके अधीन दो सहायक कमांडेन्ट, एक ऐंडज्यूडेंट होता है तथा एक क्वार्टर मास्टर कार्य करता है। ऐंडज्यूडेंट एवं क्वार्टर मास्टर का पद उप पुलिस अधीक्षक रैंक का होता है। प्रत्येक बटालियन में 7 कम्पनियॉ होती है और प्रत्येक कम्पनी कमान्डर होता है। प्रत्येक कम्पनी में तीन प्लाटून होती है जिनके इंचार्ज प्लाटून कमांडर होते है। प्रत्येक प्लाटून में प्लाटून हवलदार होते है और प्रत्येक प्लाटून में तीन सेक्शन होते है और प्रत्येक सेक्शन में नौ सिपाही होते है। यह बल केवल भारतीय सीमाओं की सुरक्षा नही करता बल्कि तस्करी करने वालों की निगरानी एवं रोकथाम भी कर सकता है।

**भारतीय–तिब्बत सीमा पुलिस के कार्य –** अन्य अर्द्धसैनिक बलों की भाँति भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल केवल भारतीय सीमाओं की सुरक्षा ही नही करता अपितु आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पुलिस बल द्वारा प्रायः निम्नलिखित कार्य सम्पन्न किये जाते है –

1.भारतीय–तिब्बत सीमा की सुरक्षा एवं निगरानी रखना तथा अवैध घुसपैठ की रोकथाम करना है।
2.अवैध व्यापार एवं तस्करी करने वालों की निगरानी एवं रोकथाम करना है।
3.आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने में केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों की सहायता करना है
4.प्रजातांत्रिक प्रणाली के अन्तर्गत राजनैतिक चुनावों को शांतिपूर्ण एवं वैध तरीके से सम्पन्न कराने में सहायता करना।
5.प्राकृतिक विपदाओं जैसे– बाढ़, भूकम्प एवं महामारी के दौरान जनता की सहायता करना और उनकी जान व माल की सुरक्षा करना।
6.आपातकाल के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाये रखने में सरकार की सहायता करना।

कर्तव्य को सर्वोपरि मानकर साहस, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से अपना कर्तव्य पालन करना ही भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का प्रमुख ध्येय है।

## केन्द्रीय औधोगिक सुरक्षा बल(Central Industrial Security Force (CISF) )

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन 1968 में सशस्त्र बल के रूप में हुआ । इसका उद्देश्य राजकीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करना है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

जनवरी ,1964 में रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में लगी भंयकर आग से चालीस लाख रूपये की सम्पत्ति की क्षति हुई। इसके तुरन्त बाद ही रांची, राउरकेला ओर जमशेदपुर में दंगे हुए। इन विषम स्थितियों की जाँच हेतु न्यायमूर्ति श्री बी0 मुखर्जी के नेतृत्व में हुई न्यायिक जाँच इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह सब कांड अन्तःघ्वंस द्वारा ही सम्भव हुआ। उसने सुरक्षा की दयनीय दशा पर भी प्रकाश डालते हुए सरकारी प्रतिष्ठानों में सुव्यवस्थित सुरक्षा पर बल दिया । उन्होने यह भी सुझाव दिया कि समस्त भारत से भर्त्ती किए हुए व्यक्तियों का एक ‘‘केन्द्रीय सुरक्षा बल’’ का गठन किया जाए। यह शस्त्रों से लैस होने के साथ साथ अग्नि–शमन सेवाओं से भी सुसज्जित हो।

इन घटनाओं के पश्चात् केन्द्रीय औद्यौगिक सुरक्षा बल के गठन पर विचार किया गया । अगस्त,1966 में संसद के सम्मुख केन्द्रीय औधागिक सुरक्षा बल के गठन पर एक विधेयक प्रस्तुत किया गया । संसद द्वारा विधेयक पारित करने के पश्चात् 2 दिसम्बर 1968 को इसे राष्ट्रापति की स्वीकृति प्रदान की गई। सन् 1969 में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने तीन बटालियनों से अपना कार्य आरम्भ किया। इस समय इसकी कुल संख्या लगभग 95,485 पहुंच गई है।

**सगंठनः—** औधोगिक सुरक्षा बल में एक रिजर्व बटालियन एक ट्रेनिंग कॉलेज, तीन रिक्रूट ट्रेनिंग स्कूल, एक सेन्ट्रल स्टोर और चार जोनल स्टोर हैं। भिलाई में एक ट्रेनिंग सेन्टर भी चलाया जा रहा है। देवली में हाल ही में एक अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्र भी आरम्भ किया गया है। इसकी सेवाओं का उपयोग 160 राजकीय उपक्रमों द्वारा किया जा रहा है लगभग 100 उपक्रमों ने इसकी सेवाएं लेने के लिए आवेदन कर रखा है।

केन्द्रीय औधोगिक सुरक्षा बल केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। जिसका मुख्यालय सी0जी0ओ0 कोम्पलेक्स नई दिल्ली में स्थित है ।इसका प्रमुख निदेशक पद का अधिकारी है कार्य की दृष्टि से सी0आई0एस0एफ0 को पांच जोनों (पूर्व,पश्चिम,उत्तर दक्षिण,मध्य ) में बांटा गया है । जिनके प्रमुख महानिरीक्षक पुलिस/उप महानिरीक्षक पुलिस रैंक के अधिकारी हैं।

**केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्य :—**

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य हैं :—

(1) महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुनियोजित आक्रमणों, तोड़फोड़ और अन्य प्रकार की क्षतियों से सुरक्षा।

(2) प्रतिष्ठानों को चलाने वाले प्रबंधकों की सुरक्षा के साथ साथ उनकी जान—माल की रक्षा करना।

(3) प्रतिष्ठानों की सम्पत्ति के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम।

(4) अपराधों में लगे व्यक्तियों की तलाशी लेना और उन्हें पकड़ना।

(5) प्रतिष्ठानों की नगदी और बहुमूल्य माल उदाहरणतः हीरे, जवाहरात, रेडियम और अणु सामग्री के भण्डार और उसको लाते ले जाते समय सुरक्षा प्रदान करना।

(6) गाड़ियों, रेल वाहनों, तेल टैंकरों आदि के आने—जाने की व्यवस्था और निरीक्षण करना।

(7) प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की दृष्टि से स्थानों की सुरक्षा करना।

(8) प्रबंधकों को तकनीकी मामले जैसे भण्डारों का निरीक्षण,लेखा निरीक्षण,सुरक्षा पद्धति, महत्वपूर्ण वस्तुओं की सुरक्षित रखने आदि मामलों पर व्यावसायिक सलाह देना ।

(9) आने जाने वाले कार्मिकों और सामान को लाने ले जाने के लिए पहचान प़त्रों /अनुमति प़त्रों को जारी करना।

(10) इलैक्ट्रॉनिक साधनों जैसे क्लोज सक्रिट टी0वी0, इन्फ्रारैड तथा चार दीवारी अलार्म आदि के स्थापित करने तथा उन्हें सुचारू रूप से चालू रखना।

(11) प्रतिष्ठानों की संपति को नष्ट करने वाले अपराधियों के बारे में सूचनाएं एकत्रित करना ।

(12) सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए आदेशों के अनुपालन में आपातकालीन स्थितियों में सशस्त्र बल की तरह गैर सैनिक प्राधिकारियों की सहायता करना।

15 जून,1983 से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को भारत संघ का एक सशस्त्र बल घोषित किया गया । अतः दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 45 अनुच्छेद (1)के तहत इस बल के किसी भी सदस्य को केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना अपने सरकारी कार्य निहित किए गए किसी भी कार्य के लिए पकड़ा नहीं जा सकता।

## रेलवे सुरक्षा बल Railway Protection Force (RPF)

1854 में रेल्वे की सुरक्षा के लिए जिन कर्मचारियों को नियुक्त किया गया उन्हें पुलिस कहा जाता था। सर्वप्रथम बंगाल में अलग रेल्वे पुलिस गठित की।

1870 में जी.आर.पी. को रेलगाडियों में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी सौपी गई। रेल्वे कम्पनियों की निजी पुलिस रेल्वे की सम्पति की रक्षा का कार्य देखती थी।

1902 में पुलिस आयोग ने रेल्वे को अपनी सम्पति की सुरक्षा हेतु वॉच एण्ड वक्र रखने का अनुमोदन किया। 1907 में सरकारी रेल्वे पुलिस को दो वर्गो में विभाजित किया—

1.अपराध की रोकथाम एवं नियन्त्रण। 2.रेल्वे क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखना।

1918 तक यह व्यवस्था चलती रही। न तो अपराधों में कमी आई 1921 से 1945 तक यही प्रथा सभी रेल्वे विभागों में लागू रही। देश की आजादी के बाद 1953 में रेल्वे ने वॉच एवं वक्र विभाग का पुर्नगठन किया। 24 मई 1954 से इस दल का नाम रेल्वे सिक्यूरिटी फोर्स हो गया तथा इसके लिए बने इसके कर्मचारी ना तो यूनियन में भाग ले सकते थे न ही उन पर मजदूर कानून होते थे। 13 जनवरी 1956 को इसका नाम रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स बना दिया गया।
1957 में आर.पी.एफ. एक्ट के तहत रेल्वे सम्पति की सुरक्षा एवं बचाव के लिए इस बल को पाबंद किया गया। इस एक्ट के अनुसार इस बल का अधीक्षण केन्द्र सरकार के अधीन निहित हुआ। इसका प्रशासन आई.जी. के अधीन रखा गया।
प्रत्येक रेल्वे मण्डल में डी.आई.जी. मुख्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया वह सम्बन्धित रेल्वे के महाप्रबंधक के अधीन कार्यरत था।

**इस बल के अंग–**

1. सशस्त्र सैनिक 2.वर्दीधारी सैनिक
3.सूचनाएं एकत्रित करने वाले 4.अग्निशमन सैनिक

इनका कार्य रेल्वे सम्पत्ति की सुरक्षा और रेल्वे संपत्ति को बिना रोक–टोक के लाना व ले जाना।
आर.पी.एफ. एक्ट की धारा 12, 13, 14 के तहत उन्हें अपने कार्य के समय अपराधी को पड़ने तलाशी व माल बरामदगी के अधिकार प्राप्त है। 1955 में रेल्वे स्टोर एक्ट में जॉच और रेल्वे सम्पति सम्बन्धी मामलों में अभियोजन का अधिकार भी प्राप्त था।
रेल्वे सम्पति एक्ट 1966 के अनुसार आर.पी.एफ. के कर्मचारियों को उस स्थितियों को अपराधियों को पकडने अन्वेषण करने तथा अभियोजन के अधिकार दिये। इससे आर.पी.एफ. का कर्मचारी, न्यायाधिकारी की आज्ञा के बिना भी अपराध की जॉच कर सकता है।
वर्तमान भारतीय रेल्वे अधिनियम की धारा 150 से 153 की कार्यवाही जी.आर.पी. करेगी व अन्य धाराओं में एफ.आई.आर. दर्ज करना, जॉच करना, अपराधियों को गिरफ्तार करना तथा न्यायालय में चालान पेश करने का अधिकार आर.पी.एफ. को अधिकार दिया गया है।

**रेल्वे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की धारा 11 के अन्तर्गत इनके कर्मचारियों के निम्न कर्तव्य है–**

1. उन तमाम आदेश का तत्काल पालन करना जो उनके उच्च अधिकारियों द्वारा उचित रूप से जारी किये गये हो।
2. रेल्वे सम्पति की सुरक्षा एवं बचाव करना।
3. रेल्वे सम्पति के यातायात में आने वाली रूकावटों को दूर करना।
4. कोई ऐसा कार्य करना जो रेल्वे सम्पति की सुरक्षा व बचाव के लिए अधिक उपयोगी हो।

**संगठन**

महानिदेशक – मुख्यालय – नई दिल्ली

1. आसूचना शाखा 2. अभियोजन शाखा
3. विवेचना शाखा 4. अग्निशमन शाखा

सुरक्षा की दृष्टि से सभी भारतीय रेलों पर सभी क्षेत्र या मण्डल महानिदेशक के अधीन कार्य करते है इस बल का मुख्य अधिकारी डी.जी. रेल्वे बोर्ड का पदेन सदस्य भी होता है। कार्य का सुचारू रूप से चलाने के लिए एक एडीजी तथा डीआईजी है जो अलग अलग आर.पी.एफ. और रेल्वे विशेष सुरक्षा बलों का कार्य देखते है। 8 बटालियन विशेष सुरक्षा, आवश्यकतानुसार और संकट के समय उपयोग में लाया जाता है। रेल्वे सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय रेल्वे को 16 मण्डलों में विभाजित किया गया है उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, उत्तर पूर्व मध्य, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम आदि। यद्यपि आर.पी.एफ. के प्रमुख का कार्यालय रेल्वे बोर्ड में उपस्थित होता है फिर भी प्रत्येक क्षेत्रीय रेल पर रेल्वे सुरक्षा बल के विभाग के मुख्य अधिकार आई.जी., ए.डी.जी. या डी.आई.जी. होते है जो उसी रेल्वे के महाप्रबन्धक के अधीक्षण में कार्य करते है। क्षेत्रीय रेल्वे को विभिन्न मण्डलों तथा उप मण्डलों में बांटा गया है। मण्डल का प्रमुख अधिकारी निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, नायक तथा आरक्षी आदि कार्यरत होते है।
20 सितम्बर 1985 से रेल्वे सुरक्षा बल को भारत गणराज्य का सशस्त्र बल घोषित किया है।

## आसूचना ब्यूरो Intelligence Bureau (IB)

मुख्यालय – नई दिल्ली सर्वोच्च अधिकारी – निदेशक

आसूचना ब्यूरो का अधिकांश कार्यक्रम गुप्त होता है और बाहर के किसी व्यक्ति को इसकी जानकारी नही होनी चाहिए। यह भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों एवं विभागों को या तो अपनी पहल पर या उनके अनुरोध पर ऐसी सूचना जो उसके लिए महत्वपूर्ण हो एकत्रित करने, समन्वय करने व देने के लिए उत्तरदायी है। आसूचना ब्यूरो का निदेशक केन्द्रीय सरकार की ओर से केन्द्र एवं राज्यों में विभिन्न सुरक्षा ऐजेन्सियों के बीच समन्वय एवं सम्पर्क कार्य करता है। वह कानून व व्यवस्था बनाये रखने सहित शासकीय गुप्त अधिनियम के अधीन अपराधों तथा राज्यों के विरूद्व अपराधों से सभी मामलों पर भारत सरकार पर प्रमुख सलाहकार भी है। इसे वह आवधिक रिपोर्टो और परामर्शो के द्वारा करता है। आसूचना ब्यूरों के कार्य के अन्तर्गत आन्तरिक राजनीति, भारत में विदेशियों के कार्यकलापों पर प्रति पर्यवेक्षण, देश में प्रवेश और गमन पर सुरक्षा नियन्त्रण और सभी विद्रोही दलों के कार्यकलाप आते है। थोडे समय पहले तक शत्रु देशों से सम्बन्धित सूचना के लिए यही विभाग उत्तरदायी था अब यह कार्य अन्य एजेन्सियाँ करती है।

इसकी मुख्य सूचनाऐं 2 जगह से सम्बन्धित होती है। एक तो भारत के अन्दर तथा दूसरी सीमा पार सूचनाऐं। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। जो सीमाक्षेत्र हैं उनके अलग टुकड़े बंटे हुए हैं। हर राज्य में इसकी एक शाखा है जिसके एस.आई.बी. कहते है तथा ये सारी सूचनाऐं केन्द्र को देते है।

**आसूचना ब्यूरो के कार्य –**

1.राज्य आसूचना का समन्वय एवं मार्गदर्शन। 2.राज्य के आसूचना अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था और उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम चलाना है।

3.पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षकों, खुफिया विभाग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के सम्मेलनों का आयोजन।

4.अखिल भारतीय पुलिस की ड्यूटी सम्मेलन आदि का आयोजन।

पुलिस में आई.बी के जो भी प्रतिनिधि है वह राज्यपालों के सलाहकार के रूप में भी कार्य करते है जो राज्यों में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते है। राज्य में कानून व व्यवस्था के बारे में जानकारी देते है ताकि वह राष्ट्रपति को वहॉ की स्थिति बता सके। राज्य आई.बी. की सूचना व केन्द्रीय आई.बी. की सूचनाओं का समन्वय करने का कार्य आसूचना ब्यूरों का है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को दिये गये निर्देशों की पालना होने व न होने की सूचनाएं देता है।

## केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation C.B.I.)

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विशेष पुलिस स्थापना , जो स्वरूप इसका उस समय था, देश की निरन्तर बढ़ती अर्थव्यवस्था से उत्पन्न समस्याओं में समर्थ नही होगी, सरकार ने अपने संकल्प संख्या–4/31/61–टी दिनांक 1.4.1963 द्वारा उन अपराधों जो पहले विशेष पुलिस स्थापना द्वारा निपटाए जाते थे तथा भारत सुरक्षा अधिनियम और नियमों विशेषकर आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी के ऐसे महत्वपूर्ण मामलों जिनका असर और प्रभाव अनेक राज्यों पर पडता हो के अन्वेषण के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना की। साथ ही इसे कुछ विशेष प्रकार के अपराधों से सबंधित आसूचना एकत्र करने अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन से संबंधित कार्य में राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो के रूप में भाग लेने अपराध आंकड़े रखने ओर विशिष्ट मामलों विशेषकर भारत सरकार के हितों से सबंधित अथवा अखिल भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों के अध्ययन के लिए अपराध तथा अपराधियों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने और अपराध संबंधी कानूनों के समन्वय का भी काम सौंपा गया। विशेष पुलिस स्थापना को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में मिला दिया गया और यह उसका एक प्रभाग बन गई। जुलाई,1964 में (भारत सरकार संकल्प सं–24/66/64–ए.वी.डी–2 दिनांक 29.2.1964 द्वारा) इसमें एक आर्थिक अपराध स्कन्ध जोड़कर ब्यूरो को सुदृढ़ किया गया। अगस्त,1964 में एक खाद्य अपराध स्कन्ध भी खोला गया लेकिन उसे चौथी लोक सभा की आंकलन समिति (1968–1969) की सिफारिश पर बन्द कर दिया गया है ।

**फिलहाल केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का भ्रष्टाचार निवारण प्रभाग निम्नलिखित प्रकार के मामलों में अन्वेषण कार्य करता है:–**

(1) ऐसे मामले जिनमें केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी कर्मचारी या तो स्वयं अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों ओर अथवा अन्य व्यक्तियों सहित शामिल हैं।

(2) ऐसे मामले जिनमें केन्द्रीय सरकार,सांविधिक निगम अथवा भारत सरकार द्वारा स्थापित और वित्तपोषित निकाय के हित जुड़े हो।

(3) ऐसे केन्द्रीय कानूनों जिनसे भारत सरकार विशेष रूप से संबंधित हो को तोड़ने से संबंधित मामले, उदाहरणार्थ –

(a) आयात एवं निर्यात नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन,

(b) विदेशी मुद्राविनियमन अधिनियम के उल्लंघन संबंधी गम्भीर मामले,

(c) पासपोर्ट में धोखाधड़ी।

(d) केन्द्रीय सरकार के कार्यो से संबंधित सरकारी गोपनीयता अधिनियम के अन्तर्गत मामले।

(e) भारत सुरक्षा अधिनियम अथवा नियमों के अंतर्गत कुछ विशिष्ट प्रकार के ऐसे मामले जिनेसे केन्द्रीय सरकार विशेष रूप से संबंधित हो।

(f) रेल अथवा डाक एवं तार विभाग से संबंधित धोखाधड़ी अथवा ठगी के ऐसे गंभीर मामले जिनमें विशेषकर अनेक राज्यों में कार्यरत पेशेवर अपराधी शामिल हो ।

(g) खुले सागर(हाईसीज)संबंधी अपराध,

(h) हवाई कम्पनियों संबंधी अपराध,

(i) संध शासित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण गंभीर मामले विशेषकर पेशेवर अपराधियों द्वारा किए गए मामले,

(j) पब्लिक ज्वाइटं स्टाक कम्पनियों से संबंधित ठगी धोखाधड़ी तथा गबन के गंभीर मामले,

(k) संगठित गिरोहों अथवा पेशेवर अपराधियों द्वारा किए गए अन्य गम्भीर प्रकृति के मामले,अथवा ऐसे मामले जो संघ शासित क्षेत्रों सहित अनेक राज्यों में हों अवैध दवाओं के गम्भीर मामले,अपहरण के महत्वपूर्ण मामले (ये मामले केवल संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के अनुरोध पर /अथवा उनकी सहमति से हाथ में लिए जाएगें)

(l) सरकारी सेवाओं में तथा सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं ओर उद्यमों में भ्रष्टाचार के बारे में आसूचना एकत्र करना ।

(m) इस प्रभाग द्वारा अन्वेषित मामलों में अभियोजन ।

(n) जाँच अधिकारियों के सम्मुख ऐसे मामले प्रस्तुत करना जिनमें इस प्रभाग की सिफारिश पर विभागीय कार्रवाई की जाती है ।

**संगठन और इसकी कार्यप्रणाली** –फिलहाल केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो निम्नलिखित सात प्रभागों में विभाजित है जिसमें से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना प्रभाग सबसे बड़ा हैः–

1. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना प्रभाग

(1) भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (2) विशेष अपराध शाखा

2. विधि प्रभाग
3. नीति एवं संगठन प्रभाग
4. तकनीकी प्रभाग
5. प्रशासन प्रभाग
6. समन्वय,अपराध अभिलेख तथा इन्टरपोल प्रभाग

(क) समन्वय स्कन्ध (ख) अपराध अभिलेख स्कन्ध (ग) इन्टरपोल स्कन्ध

7. केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का संचालन विशेष रूप से चुने गए कार्मिकों के हाथ में है ओर अनेक वर्षों के उपरान्त इन अधिकारियों ने अत्यधिक विशेषता हासिल कर ली है ।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जो विशेषज्ञता हासिल की है उसके परिणामस्वरूप ही उसे घोषित अपराधों सहित विभिन्न प्रकार के अपराधों के अन्वेषण का काम सौंपा गया है । जब भी ऐसे जटिल अथवा विवादास्पद मामले जिनका बहुत अधिक प्रचार हो, सामने आते हैं तो उन्हे राज्यों द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा जाता है। इसके दो मुख्य कारण हैं, एक तो राज्यों को इन मामलों से छुटकारा मिल जाता है तथा दूसरे उन्हे यह यकीन होता है कि मामले का अन्वेषण अच्छे ढंग से किया जाएगा। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो उच्च न्यायालयों तथा भारत के सर्वोच्य न्यायालय के निर्देशों के अर्न्तगत भी जाँच के लिए मामले हाथ में लेता है।

भ्रष्टाचार रोकने की प्रमुख जिम्मेदारी विभागाध्यक्षों की है और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो भ्रष्टाचार दूर करने के काम में विभागों की सहायता करता है। एक विशिष्ट एजेंसी होने की वजह से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो जाँच के लिए केवल ऐसे मामले लेता है जिन्हे विभाग अनेक कारणों से स्वंय निपटाने में असमर्थ होते हैं, जैसे कि

(1) जहाँ गैरसरकारी व्यक्तियों से सबूत इकट्ठे करने होते हैं।(2) जिनका फैलाव व्यापक हो।
(3) जिनमें फौजदारी संबंधी अपराध शामिल हों।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अपने विशेष पुलिस स्थापना प्रभाग के माध्यम से केन्द्रीय सरकार की एक प्रमुख अन्वेषणात्मक एजेन्सी है और केन्द्रीय सरकार तथा उसके सहयोगी उपक्रमों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों द्वारा कदाचार के मामलों, और ऐसे मामले जिनमें केन्द्रिय सरकार अथवा इसके द्वारा स्थापित एवं वित्तपोषित किसी निगम अथवा निकाय का हित सम्मिलित हो, के अन्वेषण से संबंधित है। ब्यूरो, केन्द्रीय कानूनों, जिनके प्रर्वतन में केन्द्रीय सरकार रूचि रखती हो, के उल्लंघन से संबंधित मामलों ठगी, धोखा–धड़ी तथा गबन के बडे मामलों तथा संगठित गिरोहों अथवा पेशेवर अपराधियों द्वारा किए गए ऐसे अपराधों की भी जाँच करता है जिनका अन्तर्राज्यीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक फैलाव हो।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो उपरोक्त अपराधों के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम,1946 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करता है ।

निदेशक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो,विशेष पुलिस स्थापना,जिसकी शाखाएं विभिन्न राज्यों में स्थित है के प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक के रूप में भी कार्य करता है। प्रत्येक शाखा की अमलदारी सामान्यतयः उस पूरे राज्य में होती हैं, जिस राज्य में यह स्थित है। राज्यों में स्थित शाखाओं के अलावा दिल्ली में केन्द्रीय अन्वेषण यूनिटें भी स्थित हैं। विभिन्न शाखाएं तथा केन्द्रीय यूनिट्स एक पुलिस उपमहानिरीक्षक के अधीन हैं, जो अपने क्षेत्र/जोन में स्थित शाखाओं के कार्य के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देश के लिए उत्तरदायी होता है।

## पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरों

पुलिस प्रशासन को आज जिन समस्याओं का सामना करना पड रहा है वे समस्याएं पहले से कहीं अधिक पेचीदा एव विशालकाय है। आज पुलिस अनुसंधान की केवल इसलिये ही आवश्यकता नही है कि पुलिस का कार्य क्षेत्र एवं अपराधों के जन्म– जात पहलू बढ गये है तथा विज्ञान और टैक्नोलॉजी का विकास हो रहा है बल्कि उनकी पेचीदगियों को समझना अत्यंत आवश्यक हो गया है। संसार के विभिन्न भागों में यह बात बराबर महसूस की जाती है कि इन समस्याओं को केवल तभी प्रभावी ढंग से सुलझाया जाये। यह तभी हो सकता है जब वर्तमान प्रक्रिया के उद्देश्य मूल्यांकन किये जायें और जो समस्याएं पुलिस के आडे आती है, चाहे वे परिचालन संबंधी हो या प्रशासन संबंधी उन्हे जानकारी मे लाकर उनका उचित ढंग से निराकरण किया जाये। इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर बहुत से देशों की सरकारों ने अनुसंधान कार्य प्रारंभ करने तथा प्रोत्साहित करने के लिये कुछ संगठन स्थापित किये है।

भारत मे सर्वप्रथम 1956 में इस प्रकार के अनुसंधान कार्य की आवश्यकता महसूस की गई। उल्लेखनीय बात यह है कि इस संबंध में पहल भी स्वयं पुलिस ने ही की पुलिस महानिरीक्षकों के हुये एक सम्मेलन में यह सिफारिश की गई कि सभी राज्यों के पुलिस बलों में अनुसंधान अनुभाग की स्थापना की जाये और साथ ही केन्द्र में भी ऐसी अनुसंधान एक हो जो देश के सभी अनुसंधान अनुभागों के साथ एक कडी के रूप मे कार्य करें। 1960 में आयोजित पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में फिर इस विषय पर परिचर्चा हुई तथा यह सिफारिश की गई की सभी राज्यों में पुलिस अनुसंधान केन्द्र प्रारंभ किये जाये तथा तीव्र गति से उनका विकास किया जाये। भारत सरकार ने इन सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही रूप में राज्य सरकारों से पत्र–व्यवहार किया जिससे इस दिशा मे कुछ प्रगति हुई।

1963 में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों के अंतर्गत रिकॉर्ड तथा सांख्यिकी और अनुसंघान प्रभाग स्थापित करके केन्द्रीय सरकार ने पुलिस अनुसंधान के बढावा देने के लिये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। तीन वर्ष पश्चात् केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों के अनुसंधान प्रभाग के मार्ग दर्शन और देखभाल के लिये सरकार ने पुलिस अनुसंधान और विकास परामर्श कौंसिल का गठन किया।

## एस.एस.बी. (Sashastra Seema Bal सशस्त्र सीमा बल)

एस.एस.बी. यानि ''सशस्त्र सीमा बल'' भी एक केन्द्रीय पुलिस संगठन है। इस बल को उसके कार्य के आधार पर ''स्पेशल सर्विस ब्यूरो'' के नाम से भी जाना जाता है। एस.एस.बी. का गठन 1962 के भारत–चीन युद्ध के बाद सन् 1963 में किया गया था। सन् 1962 के युद्ध में चीन से मात खाने के बाद

भारत सरकार द्वारा यह महसूस किया गया कि चीन सीमा पर चीन की सेना से सीधा मुकाबला करना कठिन होगा अतः स्थानीय लोगों का साथ लेकर एक बल तैयार किया जावे जो गुरिला युद्ध पद्धति द्वारा चीनी सेना का मुकाबला कर सके। इस प्रकार सन् 1963 में एस0एस0बी0 के नाम से एक नया केन्द्रीय पुलिस संगठन गठित किया गया। एस0एस0बी0 एक अर्द्धसैनिक पुलिस संगठन है। उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके सर्वोच्चय अधिकारी डी0जी0 एस0एस0बी0 होता है। यह गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है।

एस0एस0बी0 का कार्य क्षेत्र शुरू में चीन, नेफा आदि नोर्थ ईस्ट का क्षेत्र रखा गया था। बाद में धीरे–धीरे उसका कार्य क्षेत्र बढ़ाकर पूरा नोर्थ–ईस्ट, जम्मू –कश्मीर गुजरात एवं राजस्थान तक कर दिया गया।

एस0एस0बी0 का मुख्य कार्य सीमा क्षेत्र के लोगों में देशभक्ति की भावना एवं लगाव पैदा करना है एस0एस0बी0 के कर्मी लगातार सीमाक्षेत्र के लोगों के सम्पर्क में रहते हैं एवं उन्हें मोटीवेट करना, प्रशिक्षण देना, और उनके विकास और कल्याण का कार्य करते हैं। एस0एस0बी0 गठन के 40 वर्षों के अरसे में सीमा क्षेत्र के लोगों में, सेवा, सुरक्षा एवं भाईचारे के नाम की पहचान बनाई है। वर्ष 2001 जनवरी में Group of Minister की सिफारिश पर एस0एस0बी0 को इण्डो, नेपाल बोर्डर, ''Border Guarding Force'' और (LIA) ^^Lead Intelligence Agency'' घोषित किया गया है, जो 1751 K.M ds Indo-Nepal Border की गार्डिंग का कार्य देखेगी।एस0एस0बी0 संगठन का मुख्यालय स्तर जिसे फोर्स हैड क्वाटर के नाम से जाना जाता है। जो नई दिल्ली में है। D.G S.S.B एक I.P.S अधिकारी है उनकी सहायतार्थ संगठन को फ्रन्ट हैड क्वाटर, सेक्टर हैड क्वाटर में बांटा गया है। तीन (FHQ) है जो D.I.G.P रैंक के अधिकारी सुपरवाईज करते हैं। सेक्टरों में कई बटालियने तैनात हैं जो CO द्वारा कमाण्ड की जाता है। उपरोक्त सभी पद I.P.S अधिकारी के है। अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठन की तरह ही बटालियन स्टाफ का संगठन होता है।

## राजस्थान पुलिस का संगठन

### 1. राजस्थान पुलिस का संगठनात्मक व कार्यक्षेत्र का ज्ञान

**1. पुलिस मुख्यालय–**महानिदेशक पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। महानिदेशक पुलिस, पुलिस विभाग के विभागाध्यक्ष हैं जिन पर विभाग के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण तथा राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व है। इस दायित्व के निर्वहन के लिये पुलिस मुख्यालय पर कार्य को कई शाखाओं में विभाजित किया हुआ है। शाखाओं के कार्य का विवरण आगे किया जायेगा। इन शाखाओं का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे जिनमें कई वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं। श्रीमान निदेशक महोदय,पुलिस की सहायतार्थ निम्नलिखित अधिकारीगण कार्यरत हैं जो मुख्य रूप से निम्न प्रकार से हैं:–

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, योजना एवं कल्याण
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, विशेष शाखा
4. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा
5. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, मानवाधिकार
6. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, विशेष अपराध
7. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, मुख्यालय
8. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, रेल्वे
9. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण
10. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, पुलिस वायरलैस एवं तकनीकी
11. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सशस्त्र बटालियन
12. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी
13. महानिरीक्षक पुलिस, स्टेट क्राइम रिकार्ड ब्यूरो
14. निदेशक, पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला
15. पुलिस महानिरीक्षक,जयपुर रेन्ज प्रथम

16. पुलिस महानिरीक्षक, जयपुर रेन्ज द्वितीय
17. पुलिस महानिरीक्षक, बीकानेर रेन्ज
18. पुलिस महानिरीक्षक, जोधपुर रेन्ज
19. पुलिस महानिरीक्षक, अजमेर रेन्ज
20. पुलिस महानिरीक्षक, उदयपुर रेन्ज
21. पुलिस महानिरीक्षक, कोटा रेन्ज
22. पुलिस महानिरीक्षक, भरतपुर रेन्ज
23. सहायक महानिरीक्षक पुलिस प्रथम

राज्य में तीन महानिदेशक स्तर के अधिकारी जेल, होमगार्डस व भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में भी पदस्थापित हैं। जिनके कार्यों का विवरण आगे अंकित किया जायेगा।

**राजस्थान राज्य को 8 रेन्जों एवं 2 कमीशनरेट में विभाजित किया गया है जो निम्नलिखित हैः–**

**1. जयपुर शहर कमीशनरेट :–**

1.जयपुर शहर मुख्यालय    4. जयपुर शहर पूर्व
2. जयपुर शहर पश्चिम    5. जयपुर शहर उत्तर
3. जयपुर शहर दक्षिण    6. जयपुर शहर यातायात

2.**जोधपुर कमीशनरेट :– 1.** जोधपुर शहर पूर्व 2. जोधपुर शहर पश्चिम

**रेंज हैड क्वाटर्स**

**1. जयपुर रेन्ज :–** 1. सीकर 2. झुन्झुनु 3. दौसा 4. अलवर 5. जयपुर ग्रामीण
**2. बीकानेर रेन्ज :–** बीकानेर 2. श्रीगंगानगर 3. चुरू 4. हनुमानगढ़
**3. जोधपुर रेंज–** 1. जोधपुर ग्रामीण 2. पाली 3. सिरोही 4. बाड़मेर 5. जालौर 6. जैसलमेर
**4. अजमेर रेन्ज :–**1. अजमेर 2. भीलवाड़ा 3. नागौर 4. टोंक
**5. उदयपुर रेन्जः–** 1.उदयपुर 2. बांसवाड़ा 3. डूंगरपुर 4. राजसमन्द 5. चितौड़गढ़ 6. प्रतापगढ़
**6. कोटा रेन्जः–** 1. कोटा शहर 2. कोटा ग्रामीण 3. झालावाड़ 4. बूंदी 5. बांरा
**7. भरतपुर रेन्जः– 1.**भरतपुर 2. सवाई माधोपुर 3. धौलपुर 4. करौली
**8.जी.आर.पी रेंज (मुख्यालय जयपुर)** –1.जी.आर.पी अजमेर 2.जी.आर.पी जोधपुर

**रेंज कार्यालय का गठन –** रेंज में महानिरीक्षक पुलिस पद का अधिकारी सर्वोच्च होता है। ये कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। ये जिलों का निरीक्षण करते हैं। गम्भीर घटना घटने पर दुर्घटना स्थल पर पहुँचते हैं ओर पुलिस अधीक्षक को निर्देश देते हैं। इनके अधीन निम्नलिखित अधिकारी व शाखायें होती हैः–

1.**लीव रिजर्व उप अधीक्षक पुलिस :–** जनता द्वारा प्रस्तुत परिवादों की जॉच करता है तथा कानून और व्यवस्था स्थापित करने में पुलिस की मदद करता है।

2.**स्टाफ अफसर :–** यह निरीक्षक स्तर का अधिकारी होता है। अपराध शाखा के कार्य का परिवीक्षण करता है तथा परिवादों का तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करता है तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही को देखता हैं।

3.**अपराध शाखाः–** इसका प्रभारी रीडर होता है जो उप निरीक्षक के पद का होता हैं। यह निम्नलिखित कार्यवाही करता हैः–

1. अनुशासनात्मक कार्यवाही 2. विशेष प्रतिवेदन 3. सम्मन वारन्ट 4. सांख्यिकी कार्य 5. विविध कार्य

4. **फोर्स शाखा :–** इसमें मंत्रालयिक कर्मचारी होते हैं। ये उप निरीक्षको का सेवा अभिलेख तैयार करते हैं तथा स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश तैयार करते हैं।

5. **लेखा शाखा :–**इसमें कर्मचारीयों के वेतन, भत्ते, बिल आदि तैयार किये जाते हैं।

6. **स्टेनो :–**अर्द्धशासकीय पत्रों के उत्तर आदि भिजवाना तथा वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन तैयार करवाना, उनका अभिलेख रखना व अन्य महत्वपूर्ण कार्य करना।

7. **कार्यालय सहायक :–** यह वरिष्ट लिपिक को पदोन्नति देकर बनाया जाता है। यह पूरे कार्यालय के कार्य के प्रति जिम्मेदार होता है तथा उनका पर्यवेक्षण करता है।

**जिला स्तर पर संगठन**–प्रत्येक जिले की पुलिस का अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक होता है जो जिले की पुलिस में अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी है। यह जिलें में शांति स्थापित करने में जिला कलेक्टर की सहायता करता है और और कुछ मामलों में जिला कलेक्टर के परामर्श एंव सहयेाग से काम करता है। पुलिस अधीक्षक का मुख्यालय जिले का मुख्यालय होता है पुलिस अधीक्षक पुलिस सम्बन्धी कार्यों के लिये महानिरीक्षक रेन्ज के प्रति उत्तरदायी होता है। पुलिस अधिक्षक की सहायता के लिए अधिकारी व कर्मचारी भी होते हैं। संक्षेप में जिला स्तर पर संगठन निम्न प्रकार होता है –

**1. पुलिस अधीक्षक :–** जिले का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस अधीक्षक होता है। यह सम्पूर्ण जिले का पुलिस प्रशासन एवं कानून और व्यवस्था बनाने रखने के लिये उत्तरदायी होता है। महत्वपूर्ण घटनास्थल पर पहुँच कर निरीक्षण करता है। पुलिस स्टेशनों व पुलिस लाईन का भी निरीक्षण करते हैं।

**2. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) :–** इनका कार्यालय जिला मुख्यालय पर होता है। मुख्यालय स्थित लेखा शाखा, सामान्य प्रशासन तथा पुलिस लाईन्स के कार्य को देखना मुख्य कर्तव्य है।

**3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) :–** बड़े शहरों में कानून तथा शांति व्यवस्था रखने का दायित्व इन पर होता है। मध्यम श्रेणी के शहरों में यही कार्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (जिला) करते हैं।

**4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) :–** बड़े जिलों को जब शहर व ग्रामीण भागों में बांटा जाता है तब ग्रामीण क्षेत्र का कार्य देखने का दायित्व इनका होता है।

**5. अपराध शाखा :–** इस शाखा का कार्य चार अपराध सहायक के जिम्में होता है। ये पुलिस निरीक्षक के पद के होते हैं। इसमें उप निरीक्षक पद का रीडर होता है। यह अपराध शाखा के कार्य की रिर्पोट तैयार करता है। इनके कार्य निम्न प्रकार हैं:–

1.अनुशासनात्मक कार्यवाही 2. मुकदमों के विशिष्ट प्रतिवेदन
3.सम्मन–वारन्ट 4. पुलिस स्टेशनों से प्राप्त माल को पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भिजवाना।
5. अपराध सारणियां बनाना। 6.निरीक्षण की अनुपालना करवाना।
7.मेंलों, हथियारों, जूलुसों आदि के लाईसेन्स बनाना।8. हरिजनों व दलित वर्गों के प्रति अत्याचार सम्बन्धी अपराधों की जानकारी प्राप्त करना। 9. अन्य विविध कार्य करना।

**6. एम.ओ.बी. (कार्य प्रणाली शाखा):–** इस शाखा के प्रभारी उप निरीक्षक होते हैं। इसमें अपराधियों से सम्बन्धित कार्य प्रणाली का अभिलेख रखा जाता है पुलिस स्टेशनों से आई.पी.सी के अध्याय 12 व 17 से सम्बन्धित अपराध पंजीयन होने पर एफ.आई.आर., आर.पी.एम., फार्म 10,13,13ए, 11 एवं सर्च स्लिप एम.ओ.बी.को प्रेषित की जाती है। इसमें हिस्ट्रीशीटरों तथा उद्घोषित अपराधियों का अभिलेख भी रखा जाता है। इस शाखा द्वारा पुलिस स्टेशनों को एम.ओ.बी.टाईप के मामलों में अपराधियों को पकड़ने के सम्बन्ध में सुझाव भिजवाये जाते हैं।

**7. जिला विशेष शाखा:–** इस शाखा का प्रभारी पुलिस निरीक्षक होता है। इसके द्वारा सम्पूर्ण जिले की समस्त गोपनीय सूचनायें एकत्र की जाती हैं और पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की जाती हैं। इस शाखा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं–

1. साम्प्रदायिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करना।
2.असामाजिक तत्वों व तनाव उत्पन करने वाले तत्वों की निगरानी रखना।
3.राजनैतिक दलों के नेताओं की गतिविधियों की जानकारी रखना।
4. श्रमिक नेताओं की गतिविधियों पर नजर रखना उनके भाषणों (भडकाने वाले) की रिर्पोट तैयारकरना।
5. आम सभाओं में, सभाकक्षों में आयोजित सभाओं के वक्ताओं के भाषणों का अभिलेख रखना। जुलूसों, उत्सवों व मेलों आदि की सूचना एकत्र करना।
6. औद्योगिक प्रतिष्ठानों व उपक्रमों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करना।
7. विशिष्ट व अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा करना।
8. पासर्पोट सम्बन्धी पत्रों की जाँच करना।

**8.बल शाखा (Force Branch) :–** इसमें पूरा स्टाफ मंत्रालयिक कर्मचारियों का होता है। एक वरिष्ठ लिपिक इस शाखा का प्रभारी होता है, इसके अधीन कई कनिष्ठ लिपिक होते हैं। इस शाखा में जिले के समस्त पुलिस कर्मियों की सेवा पंजिकायें तैयार की जाती हैं व उसका अभिलेख रखा जाता है।

9. **लेखा शाखा :–** इसमें पूरा स्टाफ मंत्रालयिक कर्मचारियों का होता है। लेखाकार इस शाखा का प्रभारी होता है। जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि के बिल बनाना, पारित करवाना, भुगतान करना तथा लेखा सम्बन्धी अन्य कार्य करना है।

10. **स्टेनो :–** यह अधीक्षक महोदय के गोपनीय कार्य को देखता है, अर्द्धशासकीय पत्रों के उत्तर भिजवाता है, पत्र तैयार करता है। जिला पुलिस अधीक्षक के ग्रुप कोष के आय–व्यय का लेखा–जोखा भी रखता है ।

11. **कार्यालय अधीक्षक** :– मुख्य कार्य सम्पूर्ण कार्यालय का पर्यवेक्षण करना है।

## पुलिस लाईन का संगठन

पुलिस लाईन में सिविल पुलिस तथा सशस्त्र पुलिस (Armed Police) के कर्मचारी होते हैं। जब कभी भी जिले के किसी पुलिस स्टेशन या चौकी पर स्थान रिक्त होता है या किसी का स्थानान्तरण करना होता है तो पुलिस लाईन से ही ये पद भरे जाते हैं। सशस्त्र पुलिस का प्रमुख कार्य गार्ड ड्यूटी, गश्त ड्यूटी तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने का होता है। पुलिस लाईन्स के कार्य को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए वहॉ निम्नलिखित विभाग होते हैं –

1. **रिर्जव निरीक्षक का कार्यालय** :– रिजर्व निरीक्षक पुलिस लाईन्स का प्रभारी अधिकारी होता है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं –

1.अनुशासन बनाये रखना। 2.कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना तथा अन्य प्रकार के अवकाशों को अग्रेषित करना।
3.अर्दली कक्ष में कर्मचारियों को पेश करना। 4.परेड़ में उपस्थित होना।
5.साप्ताहिक गार्ड़ का निरीक्षण करना। 6.गार्ड़ ड्यूटी भिजवाना।
7.पुलिस लाईन्स की शाखाओं का पर्यवेक्षण करना। 8.सेरेमोनियल परेड़ का आयोजन करना।
9.कर्मचारियों को समय–समय पर विभिन्न ड्यूटियों पर भिजवाना।

**रिजर्व उपनिरीक्षक** :– रिजर्व निरीक्षक के कार्यो में सहायक होता है।

2. **शस्त्रागार** :– इसमें समस्त शस्त्र सुरक्षित रूप से रखे जाते हैं।इन समस्त शस्त्रों की प्रविष्टि शस्त्र रजिस्टर में की हुई होती हैं।इनकी देख रेख का कार्य उपनिरीक्षक या हेड कानिस्टेबिल करता है।

3. **लेखा शाखा** :– इसका प्रभारी लेखाधिकारी होता है। यह पुलिस लाईन्स के कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि के बिल तैयार करवाता है, समस्त प्रकार के लेखा सम्बन्धी कार्य करता है राशि का वितरण करता है तथा रोकड़ बही लिखता है।

4. **क्वार्टर गार्ड़** :–पुलिस लाईन्स में 24 घंटे क्वार्टर गार्ड़ पर सन्तरी तैनात रहता है। उच्च अधिकारियों के आगमन पर गार्ड़ द्वारा सलामी दी जाती है।

5. **स्टोर** :– इसका प्रभारी हैड कान्सटेबल होता है। यह स्टोर में उपलब्ध सामान का रजिस्टर के अनुसार उचित रख रखाव करता है कर्मचारियों को आवश्यक सामान प्रदत्त करता है ।

6. **वाहन शाखा** :– इसका प्रभारी एम.टी.ओ.होता है यहां की समस्त गाड़ियों की देख रेख इस शाखा के द्वारा होती है जिले के समस्त वाहनों की मरम्मत का कार्य भी इसी शाखा द्वारा किया जाता है ।

7. **शस्त्रों का वक्रशाप** :– पुलिस लाईन तथा जिले की पुलिस के समस्त शस्त्रों की मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य इसी शाखा में होता है ।

8. **मैस** :– पुलिस लाईन्स के समस्त कर्मचारियों की भोजन की व्यवस्था करने का दायित्व इसी शाखा का है ।

9. **कैन्टीन** :– इसमें समस्त कर्मचारियों की सुविधा के लिए चाय पानी तथा अल्पाहार के लिए व्यवस्था होती है दैनन्दिन कार्यो में उपयोग में आने वाली वस्तुए भी उचित मूल्य पर इस शाखा द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।

10. **बैण्ड** :– पुलिस लाईन्स का स्वयं का एक बैण्ड होता है इसका उपयोग सेरेमोनियल परेड आदि अवसरों पर किया जाता है पुलिस अधीक्षक की अनुमति लेकर इसे निमयानुसार निजी व सार्वजनिक समारोहों में भी जा सकता है ।

11. **अश्व शाला** :– घोड़ों के रख रखाव का कार्य इस शाखा का होता है इन घोड़ों का उपयोग भीड़ पर नियंत्रण करने हेतु तथा गश्त कार्य किया जाता है ।

इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की सुविधा के लिए नाई की दुकान,धोबी की दुकान, मोची, दर्जी खाती व सफाई कर्मचारी व लांगरी, जलधारी इत्यादि भी होते है ।

**सर्कल स्तर**–जिले के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे कई सर्कल में बांटा जाता है प्रत्येक सर्कल में पुलिस स्टेशनों की निश्चित संख्या होती है। सर्कल का कार्य देखने के लिए सर्कल ऑफिसर होता है। यह पर्यवेक्षण करने तथा दिशा निर्देश देने का कार्य करता है यह पुलिस उप अधीक्षक के रैंक का होता है ।

**कार्य :–**

1. अपने सर्क्रिल में शांति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखना तथा जनता के जान माल की रक्षा करना।
2. पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारियों को नवीनतम आदेशों को संसूचित करना तथा उनकी पालना करवाना।
3. अपराधों पर नियंत्रण करवाना।
4. पुलिस स्टेशनों से प्राप्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन,केस डायरी को डाईजेस्ट रजिस्टर में प्रविष्ट करना।
5. अनुसधान कार्य में दिशा निर्देश देना,गम्भीर अपराध के मामलों में घटना स्थल पर पहुचना तथा अनुसंधान करना।
6. हरिजनों के प्रति अत्याचार के मामलों में विशेष अनुसंधान करना।
7. पुलिस स्टेशनों का निरीक्षण करना,निरीक्षण प्रतिवेदन भिजवाना व उसकी अनुपालना करवाना।

पुलिस स्टेशनों से आने वाली तथा जाने वाली डाक का नियमन करना,निर्देश देना संबंधित पत्र व्यवहार व उसके रिकार्ड का रख रखाव करवाना।

## पुलिस स्टेशन

**1. प्रभारी अधिकारी** :–पुलिस स्टेशन पर एस.एच.ओ. मुख्य अधिकारी होता है यह क्षेत्र में शांति बनाये रखने का एवं जनता के जानमाल की सुरक्षा के प्रति पूर्णतःउत्तरदायी होता है । यह प्रभारी अधिकारी मुख्य अनुसंधान अधिकारी भी होता है इसके प्रमुख कार्य अनुशासन बनाये रखना तथा मातहतों को निर्देश देना है बड़े पुलिस स्टेशनों पर प्रभारी अधिकारी निरीक्षक स्तर का तथा छोटे पुलिस स्टेशन पर प्रभारी अधिकारी उप निरीक्षक स्तर का होता है ।

**2. सहायक उप निरीक्षक** :–पुलिस स्टेशन पर प्रभारी अधिकारी की सहायता के लिए सहायक उप निरीक्षक नियुक्त होता है यह अनुसंधान का कार्य भी करता है ।

**3. हैड कानिस्टेबिल** :–इनके मुख्य कार्य निम्न लिखित है –

1. पुलिस स्टेशन में रखे जाने वाले रजिस्टरों व पत्रावलियों को सुचारू रूप से रखना,उनमें आवश्यक प्रविष्टियों करना रोजनामचा आदि लिखना।
2. कानिस्टेबिल की ड्यूटी निर्धारित करना।
3. पुलिस स्टेशन के माल–खाने के कार्य को करना। माल का निस्तारण व सुरक्षा करना।

**3. कानिस्टेबिल** :–सम्मन, वारन्ट की तामील, गश्त बदमाशों व दुःश्चरित्र व्यक्तियों की निगरानी व संतरी के कर्त्तव्य को निष्पादन ।

## सी0आई0डी0(सी0बी0) Criminal Investigation Department

**अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस**

↓

**महानिरीक्षक पुलिस**

**उप महानिरीक्षक पुलिस**

↓ ↓ ↓

**पुलिस अधीक्षक(प्रथम)** **पुलिस अधीक्षक (द्वितीय)** **पुलिस अधीक्षक (तृतीय)**

इनके प्रभारी अतिरिक्त महानिदेशक होते है। इसमें पूरे प्रदेश में कहीं पर भी पंजीबद्व अपराध का अनुसंधान किया जा सकता है। मुख्यालय के अलावा रेंज मुख्यालयों पर शाखाओं के रूप से संगठित किया हुआ है।

ये रेंज शाखायें निम्नलिखित है :–

1. जयपुर 2. भरतपुर 3. कोटा 4. अजमेर 5. जोधपुर 6. उदयपुर 7. बीकानेर

रेंज शाखा के प्रभारी अति0 पुलिस अधीक्षक होते हैं। इनके अधीन सहायता हेतु उप अधीक्षक, निरीक्षक व अन्य स्टाफ होता है। रेंज सेल का कार्य महानिरीक्षक पुलिस रेंज देखते हैं तथा शेष समस्त प्रशासनिक कार्य अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध) द्वारा किया जाता है।

**प्रमुख कार्य :–**

1.अनुसंधान करना। 2.जनता द्वारा परिवाद प्राप्त होने पर उसकी जाँच करना एवं जाँच प्रतिवेदन भिजवाना 3.पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी अपराध के घटित होने पर सूचना प्राप्त होने पर वहां पर कार्यवाही की जा सकती है तथा अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है।

**सी.आई.डी.(आई.बी.)**

Addi. D.G.P. (Int.)

**I.G.P. (Int.)** **I.G.P. (Operation)** **I.G.P. (Security)**

Dy.I.G.P.(Int.) Dy. I.G.P.(Operaption) Dy.I.G.P. (Security)

1. SP (Int.) Jaipur. 2. SP (SB.) Jodhpur. 3.SP (SB.) Jaipur. 4. SP Zone Kota. S.P. (Security)

**इन्टेलीजेन्स ब्रांच की कार्यक्षमता व कुशलता को बढाने के लिए राजस्थान राज्य को जोन्स में विभक्त किया गया है :–**

1.कोटा 2.जोधपुर 3.श्रीगंगानगर 4.बीकानेर 5.अजमेर 6.उदयपुर 7.भरतपुर 8.जयपुरशहर 9.जयपुर ग्रामीण

**कार्य** :–राजनैतिक असन्तोष, छात्र असंतोष, श्रमिक असंतोष व सुरक्षा के संबंध में जनहित के मामलो में आवश्यक सूचनाओं को एकत्रित करना, संकलित करना, राजनैतिक दलों धार्मिक संगठनों के सबंध में सूचनाओं को एकत्रित करना,उनका प्रतिवेदन तैयार करना तथा अपने उच्च अधिकारियों की मार्फत राज्य सरकार को स्थिति से अवगत करना ।

**1)** दूसरे राज्यों की राज्य विशेष शाखा को प्रमुख घटना ओं की जो उनसे संबंधित हो,जानकारी देना।
2) रेंज के महानिरीक्षक,पुलिस अधीक्षक आदि को उनसे संबंधित सूचनाये भिजवाना ।
3) सामयिकी तैयार करना।
4) राजनैतिक आन्दोलनों एव उनकी गतिविधियों तथा प्रगति का प्रतिवेदन तैयार करना व अभिलेख रखना।
5) राजनैतिक मामलों से संबंधित घटित अपराधों के मामलों में सिविल पुलिस को सहायता उपलब्ध करवाना
6) राजनैतिक व विध्वंसकारी गतिविधियों का रिकार्ड रखना ।
7) स्वयं सेवी संस्थाओं की गतिविधियों एवं प्रगति का रिकार्ड रखना ।
8) युवा संगठनों की गतिविधियों एवं प्रगति का रिकार्ड रखना।
9) छात्र संगठनों की गतिविधियों एवं प्रगति का रिकार्ड रखना ।
10) धार्मिक संगठनों की गतिविधियों एवं प्रगति का रिकार्ड रखना।
11) साम्प्रदायिक गतिविधियों ,दंगों झगड़ों आदि का रिकार्ड रखना।
12) श्रमिक संगठनों की गतिविधियों एवं प्रगति का रिकार्ड रखना।
13) सुरक्षा योजनायें तैयार करना जैसे–औद्योगिक सुरक्षा,विभागीय सुरक्षा,राष्ट्रीयसुरक्षा,वी.आई.पी.सुरक्षा
14) राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों का रिकार्ड रखना।

15) विदेशी जो देश में भ्रमण,पर्यटन आदि के लिए आये हो उनके द्वारा की जाने वाली राष्ट्र विरोधी–गतिविधियों पर नजर रखना।
16) राजनैतिक मामलों से संबंधित गोपनीय जॉच करना।
17) राजनीति में संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों का रिकार्ड रखना।
18) पार्टी गतिविधियों से संबंधित पत्रादि का रख रखाव करना।
19) सरकारी कर्मचारियों की वफादारी में संदेह होने पर निगरानी रखना।
20) समाचार पत्रों की कटिंग रखना।

**सूचनायें एकत्रित करने का तरीका**

1. **सार्वजनिक सभायें** :– किसी राजनैतिक दल द्वारा जब सार्वजनिक सभा की जाती है तो उस सभा की दिनांक समय,स्थान,अध्यक्ष कौन था,श्रोताओं की संख्या,वक्ताओं के नाम,भाषण का प्रभाव आदि के बारे में रिपोर्ट तैयारी जाती है उस दल के उदेश्य,तैयारी योजना आदि का पता भी लगया जाता है । वक्ताओं के भाषण यदि राष्ट्रद्रोही हो तो उस पर गवाहों के हस्ताक्षर भी लिये जाते है ।

2. **समाचार पत्र तथा पेम्पलैट** :– प्रायः सभी राजनैतिक दल अपने कार्यक्रमों की जानकारी जनता तक पहुचाने के लिए पम्पलेट आदि छपवाते है तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन भी देते है इनसे उस दल की नीतियॉ आदि भी उजागर होती है ।

3. **एजेन्ट या अन्य स्त्रोत** :– जनता में ऐसे एजेन्ट पुलिस द्वारा नियुक्त होते है ये अनुभवी होना चाहिए इनकी विश्वसनीयता जग जाहिर नही होनी चाहिए इनसे प्राप्त सूचना की सत्यता का भी पता लगाना चाहिए। ये एजेन्ट तीन प्रकार के होते है :–

1. स्थायी 2. अस्थायी 3. आकस्मिक

1. **निगरानी** :–दुश्चरित्र व्यक्ति,राजनैतिक आन्दोलन करने वाले,जासूस विदेशी,विध्वंसकारी व्यक्ति आदि की निगरानी करनी चाहिए । निम्नलिखित बातों का पता लगाना चाहिए –

किस संस्था का सदस्य है ,वारदात में किन तरीकों का काम में लेता है,छिपने के उपाय,बचने के उपाय,गतिविधियो व कार्यक्रम,आदतें,उठ बैठ,मेल मिलाप,रीति रिवाज, लगाव, विचार धारा आदि।

2. **पूछताछ :–** सी0आई0डी0 (आई0बी0) के महानिरीक्षक पुलिस महोदय द्वारा एक दल का गठन किया जाता है यह दल पूछताछ के लिए विशेष स्टाफ लगाया जाता है। राजनैतिक षडयंत्र की बू आने पर इन्टेलीजन्स ब्यूरो की सहायता प्राप्त की जाती है।

**राजस्थान सशस्त्र बल आर.ए.सी** **Rajasthan Armed Constabulary**

अति. महानिदेशक पुलिस

महानिरीक्षक पुलिस (प्रथम) महानिरीक्षक पुलिस (द्वितीय)

नोट – आर.ए.सी में कुल 12 बटालियन हैं। प्रत्येक बटालियन का प्रमुख कमांडेन्ट कहलाता हैं। आर.ए.सी. की सभी बटालियनों का मुख्यालय निम्नानुसार हैं :–

| | |
|---|---|
| I st | जोधपुर |
| II nd | कोटा |
| III rd | बीकानेर |
| IV th | जयपुर (चैनपुरा) |
| V th | जयपुर (घाटगेट) |
| VI th | धौलपुर |
| VII th | भरतपुर |
| VIII th | दिल्ली |
| IX th | टोंक |

| | |
|---|---|
| X$^{th}$ | बीकानेर |
| XI$^{th}$ | दिल्ली |
| XII$^{th}$ | दिल्ली |
| XIII$^{th}$ | जयपुर (जेल सुरक्षा) |
| M.B.C | खैरवाडा |

इसका गठन भारत पाक अन्तराष्ट्रीय सीमा पर निगरानी हेतु तथा सीमा सुरक्षा के लिए किया गया था। बाद में राजस्थान के सीमावर्ती प्रान्त उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश से लगे क्षेत्रों में डाकू उन्मूलन कार्य तथा कानून– व्यवस्था बनाये रखने में तैनात किया जाने लगा। 1965 व 1971 में भारत पाक युद्व में शौर्य व वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया है।

बटालियन का संरक्षक कमाण्डेन्ट होता है और उसके सहायक अधिकारी निम्नानुसार हैं।

(अ) क्वार्टर मास्टर (उप अधीक्षक) एक
(आ) कम्पनी कमाण्डर (निरीक्षक) 6 या 7
(इ) प्लाटून कमाण्डर (उप निरीक्षक) 18–21
(ई) सूबेदार एडजुटेन्ट (उप निरीक्षक) एक
(उ) सूबेदार एम.टी.ओ. (उप निरीक्षक) एक
(ऊ) सुबेदार क्वार्टर मास्टर (उप निरीक्षक) एक
(ए) मुख्य आरक्षक 139 या 161
(ऐ) आरक्षक 656 या 867

उपरोक्त बटालियन से 4 बटालियन देश की सुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से देश के किसी भी भाग में तैनात की जा सकती है।

**बटालियन का संगठन** :– प्रत्येक बटालियन के प्रशासनिक कार्यो को सुचारू रूप से चलाने के लिये एक पुलिस अधीक्षक या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बतौर कमाण्डेन्ट आदेशक तैनात किया जाता है। आदेशों की पालना सहायता के लिये पुलिस उप अधीक्षकों, कम्पनी कमाण्डरों, प्लाटून कमाण्डरों, हैड कानि. तथा सिपाहियों के अलावा पर्याप्त संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती हैं। प्रत्येक बटालियन में सात कम्पनियां होती है। एक कम्पनी मुख्यालय पर मौजूद रहती है जबकि अन्य कम्पनियां राज्य में कानून व्यवस्था कायम रखने मे अपना कर्त्तव्य पालन करती है।

जिला पुलिस कार्यालय व लाइन की भांति कमाण्डेन्ट के कार्यालय में भी अंग्रेजी शाखा, सेना शाखा, लेखा शाखा, स्टेनों, क्वाटर मास्टर शाखा, फुटकर भण्डार व वस्त्र भण्डार, परिवहन शाखा, कोत तथा लाइन कार्यालय की स्थापना की गई है ताकि किसी कार्य में कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो।

**राजस्थान सशस्त्र पुलिस के कार्य** – राजस्थान सशस्त्र पुलिस का गठन भी अर्द्धसैनिक बलों के संगठन के आधार पर ही किया गया है जब भी राज्य के किसी भी क्षेत्र में सिविल पुलिस कानून व्यवस्था कायम रखने में असमर्थ हो जाती है तब राजस्थान सशस्त्र पुलिस की सहायता से कानून व्यवस्था कायम रखने का प्रयास किया जाता है।

**राजस्थान सशस्त्र पुलिस द्वारा किये–जाने वाले कार्य निम्न प्रकार है –**

1. भारत पाक सीमा पर विदेशी घुसपैठियों को रोकना, तथा कानून एंव शांति व्यवस्था कायम रखना व तस्करी रोकना।
2. असामान्य परिस्थितियों में सिविल पुलिस की सहायता करना।
3. दंगा फसाद या साम्प्रदायिक हिंसा को रोकना और अपने कर्त्तव्यों का पालन निष्पक्षता व ईमानदारी से करना।
4. विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्थानों, संस्थानों की सुरक्षा करना।
5. महत्वपूर्ण पुलों, बिजलीघरों तथा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना।
6. चुनाव के दौरान कर्त्तव्य पालन करना।
7. धारा 144 लागू किये गये क्षेत्रों में गश्त लगाना व कानून व्यवस्था कायम रखना।
8. महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा करना।
9. विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा कार्य करना।
10. बाढ़, भुकम्प तथा ऐसी ही अन्य प्राकृतिक विपदाओं के दौरान नागरिकों की सहायता करना।
11. समय–समय पर सौंपे गये अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना।
12. डकैत उन्मूलन सम्बन्धी कर्त्तव्यों का पालन करना।

**कमाण्डेन्ट के कर्तव्य** – कमाण्डेन्ट एक बटालियन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। वह अपनी बटालियन के आन्तरिक प्रबन्धन, प्रशिक्षण, अर्थव्यवस्था, अनुशासन और बेहतर कर्त्तव्य निष्पादन के लिए आई.जी.पी(आरएसी) के प्रति उत्तरदायी होता है।

**कानून–व्यवस्था के कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु रवाना होना–**

(1) प्लाटून या कम्पनी के रूप में किसी कानून व्यवस्था ड्यूटी पर बटालियन छोड़कर रवाना होने पर पहले उसका कमाण्डिंग अधिकारी, एड्जुटेन्ट से निम्न निर्देश अनिवार्यतः प्राप्त करेगा–

1. उद्देश्य जिसके लिए सब–यूनिट को रवाना किया जा रहा है।
2. ड्यूटी की सम्भावित अवधि।
3. वेतन एंव भोजन इत्यादि के प्रबन्धों की जानकारी।
4. रिपोर्ट एंव विवरण जो कि भेजने हैं।
5. किट उपकरण, हथियार, टेन्ट एंव परिवहन के साधन जो कि साथ ले जाने हैं। यह सुनिश्चित किया जाये कि स्वीकृत नफरी से कम न ले जाया जाये।

(2) वह सतत् एड्जुटेन्ट से सम्पर्क में रहने का प्रयास करेगा।

**अधिकारियों का सहयोग** – बटालियन के प्रभावी एंव सुव्यवस्थित संचालन के लिए सभी अधिकारियों का सक्रिय सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। दक्षता का उच्च स्तर बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि सभी अधिकारी कमाण्डेन्ट को सम्पूर्ण सहयोग एवं सहायता प्रदान करें। इसके लिए सभी अधिकारियों को निम्नानुसार आचरण करना चाहिए।

1. प्रथम कार्यभार ग्रहण करते ही एड्जुटेन्ट को रिपोर्ट करना।
2. स्वयं को विभिन्न विभागीय स्थाई आदेशों और उच्चाधिकारियां के सामान्य आदेशें से अवगत रखना।
3. अपने कार्य और कर्त्तव्यो के बारे में विस्तृत जानकारी होना। जिस अधिकारी को अपने कार्यो के बारे में पता नहीं हो या उनके प्रति उदासीन हो वह अनुशासन कायम तो रख सकता है किन्तु अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का सम्मान एंव विश्वास नहीं पा सकता हैं।
4. अपने कार्य और कर्त्तव्यों को सम्पूर्णता और गहनता से पूरा करना।
5. परेड और कार्य के प्रति समयबद्धता ।
6. अवांछनीय व्यवहार और कार्यों को तुरन्त उच्चाधिकारी को रिपोर्ट करना।
7. अनुशासन के सभी मामलों में सख्त रहें। अधीनस्थ को जब उच्चाधिकारी सम्बोंधित करें तो वह सही तरीके से खड़ा रहें । निर्धारित गणवेश में कर्मचारी रहे । उच्चाधिकारियों, हैड कानिस्टेबल को छोड़कर सम्मान न करने पर ध्यान दिया जाए।
8. अपने अधीनस्थ व्यक्तियों के नाम, योग्यता और चरित्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कर्मचारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर उनकी परेशानियों के बारे मे जाने, पारिवारिक समस्याओं को जाने एवं आपसी विचारों का आदान–प्रदान हो।
9. कर्मचारियों के द्वारा खेले जाने वाले खेल में विशेष रूचि लें एवं उन सभी संस्थाओं में रूचि ले जो उनके कल्याण के लिए बनाई गई है।
10. कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे पुलिस अधिकारी से रूपयों का लेन–देन नहीं करेगा। यह आचरण के विरूद्ध है।
11. रिपोर्ट व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करें, ऑडरली से नहीं।
12. कम्पनी कमाण्डर, प्लाटून कमाण्डर और सेक्शन कमाण्डर के उनके कनिष्ठों की उपस्थिति में आलोचना नहीं की जाए।

## राजकीय रेल्वे पुलिस (जी.आर.पी)

**Addl.D.G.P. – IGP- DY.IGP(S.P. Ajmer Western Railway, S.P. Jodhapur Northern Railway)**

जी.आर.पी में भी सर्कल, पुलिस स्टेशन व चौकियां होती है। इनका सी.पी. की तरह ही कार्य होता है।
कार्य – 1. अपराध अनुसंधान सम्बन्धी कार्य 2. शांति व्यवस्था सम्बन्धी कार्य।

**शांति व्यवस्था के कार्य :–**

1.स्टेशन की सीमा के भीतर यात्रियों के आवागमन की व्यवस्था विशेषतया प्लेटफार्मो पर, टिकट घरों पर, प्रतीक्षालयों में, आने जाने वाले फाटकों पर तथा अन्य आवश्यकताओं पर जिसकी रेल्वे अधिकारियों न मांग की हो।

2.स्टेशन पर आवागमन के साधनों पर नियंत्रण रखना। 3. गाड़ी ठहरने पर आवागमन के साधनों पर नियंत्रण रखना । 4.स्टेशन पर यात्रियों की जान, माल की सुरक्षा करना।
5. समाज कंटको की निगरानी व प्रभावी कार्यवाही करना। 6.जिनको संक्रामक रोग हो उनको पृथक करना। 7.भिक्षुओं को स्टेशन की सीमा से बाहर करना।

## आतंकवाद निरोधक दस्ता Anti-Terrorism Squad (ATS)

देश में आतंकवादी घटनाओं से निपटने तथा उन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस में आतंकवाद निरोधक दस्ता (Anti terrorist Squad) पूर्णकालिक संस्था का गठन किया गया है। प्रारम्भ में दिनांक 04.09.2008 को सी.आई.डी.सी. (सी.बी.) के अधीन आतंकवाद निरोधक दस्ता का गठन किया गया था परन्तु अब एक अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के अधीन यह दस्ता स्वतंत्र तौर पर कार्य कर रहा है। आतंकवाद एव राष्ट्र विरोधी सूचनाओं का संकलन करने एवं जिला पुलिस एवं पुलिस की अन्य इकाईयों से समन्वय स्थापित कर आतंकवादी व राष्ट्रविरोधी तत्वों के विरूद्व प्रभावी कारवाई करना इसका मुख्य उद्देश्य है।
आतंकवादी घटना होने पर तत्काल राहत एवं प्रतिरोधात्मक कारवाई करने के लिए राजस्थान आर्म्ड पुलिस (आर0ए0सी0) की 9 ERT टीम (त्वरित कारवाई दल) ए0टी0एस0 के प्रशासनिक नियंत्रण में है। जिन्हें संभावित हमले के मध्यनजर विशेष इमारतों एवं सरकारी कार्यालयों का परिचयकरण कराया जा रहा है तथा नियमित रूप से अभ्यास/ कवायद कराई जा रही है।
माननीय मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा 2011–12 में उदयपुर कोटा एवं अजमेर में ए0टी0एस0 चौकी स्थापित करने की घोषणा की है। जिसे हाल ही वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। जोधपुर में ए0टी0एस0 चौकी पूर्व से ही कार्य कर रही है। ए0टी0एस0 नवम्बर 2009 से स्वतंत्र पूर्णकालिक संगठन के रूप में कार्य कर रहा है।
**ए.टी.एस. का प्रशासनिक ढ़ांचा** :– अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्तर के अधिकारी को ए0टी0एस0 का प्रभार सौंपा गया है। इनके अधीन महानिरीक्षक पुलिस, उप महानिरीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक का पद भी सृजित किया गया है। पुलिस अधीक्षक स्तर से कानि0 तक कुल 274 पद पुलिस कर्मियों के स्वीकृत हैं।
**विशेष**:– जयपुर सीरीयल बम ब्लास्ट एवं अजमेर बम ब्लास्ट का अनुसंधान किया गया। प्रतिबंधित संगठनों एवं संभावित आतंकवादी संरक्षकों के बारें में सूचनाओं का संकलन/डोजियर तैयार किये जाते हैं। ताकि आतंवादी घटनाओं पर प्रतिरोधात्मक कारवाई की जा सके।

## स्पेशल ओपरेशन ग्रुप (एस0ओ0जी0)

गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने, जाली, ड्रग्स हथियार, तस्करी, आर्थिक अपराध व अन्य संगठित अपराध से निपटने के उद्देश्य से देश के समस्त राज्यों में सी.आई.डी. (सी.बी.) के अधीन स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप प्रस्ताव किया गया।
महानिदेशक पुलिस राजस्थान के आदेश क्रं0 194 दिनांक 27.01.2003 के द्वारा एस0ओ0जी0 (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) का गठन सी0आई0डी0 (सी0बी0) के अधीन किया गया था परन्तु अब यह अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ए.टी.एस के अधीन कार्यरत् है। एस0ओ0जी0 कार्यालय झालाना महल मालवीय नगर में कार्यरत् है।
एस0ओ0जी0 का प्रभारी अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस को सौंपा गया है। जिन्हें ए0टी0एस0 का प्रभार भी सम्मिलित रूप से दिया गया है। महानिरीक्षक पुलिस एस0ओ0जी0 एवं उप महानिरीक्षक पुलिस तथा पुलिस अधीक्षक ए0ओ0जी0 का पद भी सृजित किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतर से कानि0 तक 134 पुलिस कर्मियों के पद स्वीकृत हैं।
ए0ओ0जी0 की चौकियाँ नई दिल्ली, उदयपुर में वर्तमान में कार्यरत है। ए0ओ0जी0 मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों पर अपनी गतिविधियाँ केन्द्रित करती हैं।

| | |
|---|---|
| जाली नोट | वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन |
| नारकोटिक्स | आई0टी0 एक्ट के विषय |
| विस्फोटक | बड़े पैमाने पर आर्थिक अपराध |
| भू माफिया | अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर किए अपराध |
| हथियार तस्करी | अपहरण |

उक्त के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण विषय जो जन सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बिन्धित है। नवम्बर 2009 से ए0ओ0जी0 सी0आई0डी0 (सी0बी0) के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य कर रही है। जिसका प्रभार ADGP ATS & SOG के पास है।

## स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो(State Crime Record Bureau)

**निदेशक (I.G.P.)**

↓

**Dy.I.G.P.**

**S.P**

**Dy.S.P Dy.S.P(FPB) Manazor (MOB)**

पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र फरवरी 1980 से कार्यरत है। इसके प्रभारी महानिरीक्षक पुलिस (एससीआरबी) हैं। अपराधों को रोकने एवं अपराधियों को पकड़ने में यह केन्द्र अनुसंधानकर्ताओं को मदद करता है।
कम्प्यूटर फाइलों में अब तक लगभग 1.50 लाख कार्यप्रणाली अपराधों तथा लगभग दो लाख से ज्यादा अपराधियों का रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, जिसकी सहायता से अनुसंधान को अपराध में निवारण में सहायता दी जा रही हैं।
कार्यप्रणाली के अलावा अंगुल चिन्हों के आधार पर अनुसंधान अधिकरियों को अपराधियों के बारे में जानकारी देने के अगुंल चिन्हों का रिकार्ड भी कम्प्यूटर फाइलों पर रखा जा रहा हैं। इसके अलावा नाम, हुलिया एवं पहचान के चिन्हो के आधार पर भी अपराधियों की जानकारी देने के लिए आंकड़े कम्प्यूटर पर रखें जा रहे है। पुराने प्रचलित पुलिस प्रपत्रों व कम्प्यूटर फार्मो के रख–रखाव में होने वाली कठिनाईयों व उनसे पुलिस कार्यो में वांछित व सामयिक सहायता प्राप्त न होने के कारण निम्न नवीनीकृत पुलिस प्रपत्रों का सृजन किया गया है –

1.प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (एफआईआर) 2.घटना स्थल का रेखाचित्र व वर्णन (नक्शा मौका)
3.गिरफ्तार व न्यायालय में अर्भ्यपण पत्र। 4.अंतिम परिणाम (एफ आर)
5.सम्पत्ति अभिग्रहण पत्र। 6.न्यायालय निपटान पत्र।

कम्प्यूटर का उपयोग अपराध सम्बन्धी आंकड़ों के अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन वितरण एवं सेवा अभिलेख सम्बन्धी व्यक्तिगत सूचनाओं को संकलित करने के लिए भी किया जा रहा हैं।

## राज्य आपदा प्रतिसाद बल State Disaster Response Force (एसडीआरएफ)

**राज्य आपदा प्रतिसाद बल कार्य योजना (2017–2018)–**

1.राज्य आपदा प्रतिसाद बल हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित मानदण्डों का प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन।
2.वर्ष–2016–2017 की कार्य योजनाओं के शेष लक्ष्यों का क्रियान्वयन।
3.क्षमता संर्वधन हेतु सघन अभ्यास, प्रशिक्षण एवं उपकरणों से सुसज्जित कराना–
(अ) सेना (ब) राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (स) अन्य संथाओं द्वारा
4.एन0डी0आर0एफ, एन0डी0आर0एफ एवं सिविल डिफेंस की संयुक्त मॉक ड्रिल एवं अवेयरनेस कार्यक्रमों का संचालन।
5.खेल प्रतियोगिताओं के लिये टीमों का गठन एवं नियमित अभ्यास–स्विमिंग, वाटर स्पॉटर्स, मैराथन एथलीट, डयूटी मीट–1 कम्पनी स्तर 2. अंतर कम्पनी स्तर
6.प्रत्येक कम्पनी अपने कार्य क्षेत्र में आपदा प्रबंधन नवाचार।
7.Know your area के तहत आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे एवं सूचना संकलन कर आपदा मौचन हेतु एस0ओ0पी/रोड मैप तैयार करना जिसमें निम्न बिंदुओं को सम्मिलित किया जायेगा–

- क्षेत्र का पूर्ण भौगोलिक, सांख्यिकी व सामाजिक
- पूर्व में हुये आपदा की समीक्षा (10 वर्ष)
- स्थानीय सहायक/सहयोगी संस्थाओ की

**राज्य आपदा प्रतिसाद बल की प्राथमिकताऐं –**

**प्रशिक्षण–**1. शेष समस्त कार्मिकों का राष्ट्रीय आपदा मोचन बल(एन0डी0आर0एफ) अन्य राष्ट्रीय स्त्रोतों से आपदा मोचन का प्रशिक्षण दिलाना।

2.टी0ओ0टी0 करके आये प्रशिक्षकों के द्वारा सभी कम्पनियों को आपदा मोचन का नियमित प्रशिक्षण करवाना।

**सतत् अभ्यास**

**1.**प्रत्येक कम्पनी द्वारा प्रतिमाह कम से कम एक 'मॉक ड्रिल' आपदा मोचन की अपने क्षेत्राधिकार के जिलों में वहॉ के स्थानीय प्रशासन, जिला पुलिस, सिविल डिफेंस व अन्य विभागों के साथ करना।

**2.**प्रत्येक कम्पनी द्वारा प्रतिमाह कम से कम एक 'विद्यालय या महाविद्यालय' में आपदा प्रबंधन की कार्यशाला कर सभी अध्यापकों, छात्रों व संभवतया अभिभवकों को भी जागरूक करना।

**आपदा के समय त्वरित, दक्ष नियोजन–**

**1.**प्रत्येक कम्पनी में एक युनिट को सदैव आपदा मोचन के लिये वाहन व उपकरणों सहित तत्काल प्रस्थान करने हेतु तैयार करना, जो 10 मिनट में प्रस्थान कर जायें।

**2.**आपदा के समय धैर्य, साहस व संवैदनशीलता के साथ कार्य सुनिश्चित करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कम से कम प्रतिमाह प्रत्येक कम्पनी में एक संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित करना।

## पुलिस दूर संचार (POLICE TELE COMMUNICATIONS)

**Addl.D.G.P.(R/O & T/S)**
**Director Wire Less**

SP-I SP-II

पुलिस वायरलैस शाखा का मुख्यालय जयपुर में हैं। यह राजस्थान की पुलिस संचार व्यवस्था उपलब्ध करवाने में कार्यरत है। राज्य में एच.एफ., वी.एच.एफ. मिडबेंड, टेलीप्रिन्टर सहित लगभग 3200 केन्द्र कार्यरत हैं। राज्य के सभी पुलिस स्टेशन और संवेदनशील व महत्वपूर्ण चौकियों पर वायरलैस सेट उपलब्ध है। घाटगेट, जयपुर में वायर लैंस प्रशिक्षण केन्द्र हैं।

पुलिस वायर लैस राज्य प्रशासन को कई संकटकालीन कार्य जैसे– बाढ़, उपद्रव, वीआईपी., के आगमन पर समय–समय पर विशिष्ट सुविधायें उपलब्ध कराते है। सीमावर्ती राज्यों के पुलिस वायर लैस केन्द्रों से सम्पर्क कर आतंकवादी व अन्य अपराध सम्बन्धी सूचनायें पहुँचाने में सहायता करते हैं।

राज्य में वायरलैस दो भागों में बांटा हुआ हैं– 1.तकनीकी पुलिस 2.सामान्य पुलिस

## राजस्थान में पुलिस आयुक्त प्रणाली

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 18(9)गृह 3/ 2006 पार्ट 2 दिनांक 04.01.2011 द्वारा जयपुर एवं जोधपुर महानगर क्षेत्रों में पुलिस प्रणाली लागू की गई। दण्ड प्रक्रिया संहिता, आयुद्य अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, प्रेस पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम, राजस्थान नाटकीय प्रदर्शन एवं मनोरंजन अधिनियम, राजस्थान सिनेमा विनियमन 1952, राजस्थान अभ्यस्त अपराधी अधिनियम, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम एवं राजस्थान पशु एवं पक्षी बली (निषेध) अधिनियम सहित 25 अधिनियमों के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियों पुलिस आयुक्त एवं उनके अधीन अति0 आयुक्त पुलिस, उपायुक्त पुलिस, अति0 उपायुक्त पुलिस तथा सहायक पुलिस आयुक्त को प्रदान की गई है।

जयपुर महानगर क्षेत्र को उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम 4 पुलिस जिलों में बांटा गया है। प्रत्येक जिले का प्रभारी अधिकारी पुलिस उपायुक्त है। इनके अलावा पुलिस उपायुक्त यातायात, पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) एवं पुलिस उपायुक्त अपराध के पद हैं। पुलिस उपायुक्त के अधीन उनके सहयोग हेतु एक–एक अति0 पुलिस उपायुक्त के पद हैं। प्रत्येक जिले में 13–13 पुलिस थाने हैं। तथा 2 से 4 थानों पर वृत हैं, जिनके अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के कार्यो के संपादन हेतु प्रत्येक पुलिस जिले में सहायक पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय

गठित किया गया है। पुलिस आयुक्त की सहायतार्थ दो अतिरिक्त आयुक्त पुलिस प्रथम एवं द्वितीय के पद हैं। लाईसेंसिंग कार्यों के संपादन हेतु अति0 पुलिस उपायुक्त लाईसेंसिंग एवं लिगल का पद सृजित किया गया है। एक अतिरिक्त उपायुक्त इन्टेलीजेन्स एवं सिक्योरिटी है। जोधपुर आयुक्त क्षेत्र में एक ही पुलिस जिला है।

जयपुर एवं जोधपुर महानगरों में नयी आयुक्त प्रणाली दिनांक 1.4.2011 से प्रारम्भ हो चुकी है। इस प्रणाली द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाहियों के द्वारा समाज में शांति कायम रखने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने से सम्बन्धित कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ पुलिस अधिकारियों के पास होने से बेहतर समन्वय द्वारा प्रणावी क्रियान्वयन हो सकेगा। शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम इत्यादि अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञापन सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग पुलिस आयुक्त द्वारा किया जा रहा है। जिससे आवेदनों का त्वरित निस्तारण हो पा रहा है।

## भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो (Anti Curruption Bureon)

इसके प्रभारी महानिदेशक पुलिस (ACB) हैं। इनकी सहायतार्थ एक अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (ACB) हैं। दो महानिरीक्षक पुलिस प्रथम एवं द्वितीय हैं तथा चार उप महानिरीक्षक पुलिस हैं जिनमें से दो मुख्यालय जयपुर तथा एक जोधपुर व एक उदयपुर में पदस्थापित हैं।

6 पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी होते हैं जिनमें से दो जयपुर (प्रथम एवं द्वितीय), भरतपुर, अजमेर, बीकानेर , कोटा में पदस्थापित हैं। 16 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी हैं। 12 चौकियां के प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी होते हैं जो निम्नलिखित हैं –

| | | |
|---|---|---|
| 1. जयपुर शहर प्रथम | 5. जयपुर शहर द्वितीय | 9. जयपुर ग्रामीण |
| 2. कोटा | 6. उदयपुर | 10. बीकानेर |
| 3. श्री गंगानगर | 7. अजमेर | 11. भीलवाड़ा |
| 4. भरतपुर | 8. अलवर | 12. जोधपुर |

**इसके अतिरिक्त 18 चौकियां और हैं जिनमें उप अधीक्षक पद के प्रभारी हैं जो निम्नलिखित हैं –**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. बूंदी | 5. झालावाड़ | 9. बांसवाड़ा | 13. चित्तौड़गढ़ | 17. पाली |
| 2. बाड़मेर | 6. सिरोही | 10. हनुमानगढ़ | 14. चुरू | 18. झुन्झूनू |
| 3. सीकर | 7. टोंक | 11. नागौर | 15. सवाई माधोपुर | |
| 4. बारां | 8. राजसमन्द | 12. जैसलमेर | 16. धौलपुर | |

इसके अतिरिक्त मुख्यालय जयपुर पर विशेष अनुसंधान विंग भी है जो आय से अधिक सम्पत्ति व परिवादों की जाँच करते हैं।

**कार्य** :–राज्य सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार से सम्बन्धित मामलों, रिश्वत लेने, रिश्वत की मांग करने वालों को रंगे हाथों पकड़ना तथा जाँच करना। प्रत्येक मामले में अभियोग सर्वोच्च अधिकारी के आदेश से ही पंजीकृत होता है तथा अंतिम रिर्पोट भी उसी के आदेश से लगाई जाती है।

## पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला

इसके सर्वोच्च अधिकारी निदेशक होते हैं। इनका मुख्यालय जयपुर में है। इस प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य साक्षियों की श्रृंखला में अधिकारिक स्रोतों की आपूर्ति करना, दोषी अथवा साक्षी द्वारा दिये गये बयानों की जाँच करना तथा अन्वेषण अधिकारी को घटनास्थल से प्राप्त पदार्थो का वैज्ञानिक विधि से परीक्षण कर सहयोग प्रदान करना है। प्रयोगशाला की निम्न आठ मुख्य शाखायें है –

1. प्रलेख खण्ड, 2.रसायन खण्ड,3.जैविक खण्ड,4.भौतिक खण्ड,
5.बैलास्टिक खण्ड,6.विष खण्ड,7.सीरम खण्ड,8.फोटो खण्ड,

प्रयोगशाला के वैज्ञानिक घटनास्थल का निरीक्षण कर अन्वेषण में वैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराते है। अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा एंव विस्फोटक पदार्थो की खोज में योगदान करते हैं। न्यायालयों में विशेषज्ञ साक्षी के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं।

## HOME GUARDS & CIVIL DEFENCE

D.G.(C.D. & H.G.)

Addi. D.G. (C.D.&H.G.)

Dy.Direct or (C.D.&H.G.)

S.S.O Store | S.S.O Home Guards | S.S.O Civil Defence

जिले में सिविल डिफेन्स का नियंत्रण जिलाधीश (COLLERCTOR) होता है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :–

1. प्रशिक्षण
2. डिपो एवं ट्रांसपोर्ट
3. संचार
4. खाद्य एवं आपूर्ति
5. बाढ़ एवं आपातकालीन सेवायें जैसे– भूकम्प आदि प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति में सेवायें
6. मृत निवारण
7. फायर सर्विस
8. प्राथमिक चिकित्सा सहायता इत्यादि।

इसका मुख्यालय जयपुर में है तथा राज्य भर में कई स्थानों पर इनकी शाखायें हैं।

**होम गार्ड (HOME GURDS) गृह रक्षा दल**

होम गार्ड की तीन विंग है –1.शहरी होम गार्ड 2.ग्रामीण होम गार्ड 3.बॉर्डर होम गार्ड

होम गार्ड का कमाण्डेन्ट जिले का पुलिस अधीक्षक होता है तथा असिस्टेंट कमाण्डेन्ट होम गार्ड का अधिकारी होता है। बोर्डर होम गार्ड का कमाण्डेन्ट होम गार्ड के अधिकारी होते है।

होम गार्ड में स्वयं सेवकों की भर्ती होती है जिन्हे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जब भी इनकी सेवाओं की आवश्यकता होती है इन्हें ड्यूटी पर बुलाया जाता है जो आमतौर पर पुलिस कर्मचारियों को मदद प्रदान करते है बोर्डर होम गार्ड की 6 कम्पनी एक युनिट में होती हैं। इनका मुख्य कार्य सीमाओं की सुरक्षा कर रहे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की मदद करता है।

**होम गार्ड के कार्य** – होमगार्ड के निम्न लिखित कार्य है –

1. पुलिस के कार्यों में सहायता करना।
2. अधिकारी तथा कर्त्तव्यों की पूरी जानकारी रखना।
3. मेलों में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करना।
4. थानों में पुलिस के साथ गश्त करना ।
5. ड्यूटी के समय निर्धारित वर्दी पहनना।
6. सड़कों में यातायात व्यवस्था को कायम रखना।
7. प्राकृतिक प्रकोपों जैसे – महामारी, संक्रामक रोग, बाढ़ आदि में जनता की सहायता करना।
8. निर्वाचन के समय पुलिस के साथ ड्यूटी करना।
9. जुलूसों में ड्यूटी करना।
10. होमगार्ड अधिनियम का पूर्ण ज्ञान होना।
11. बलवें में शांति–व्यवस्था बनाए रखना।
12. मुख्य व्यक्तियों तथा अधिकारियों जैसे– विधायकों, संसद सदस्य, मुख्य चिकित्साधिकारी आदि के आवासों तथा टेलिफोन नं. की जानकारी रखना।
13. मजिस्ट्रेट आदि की सुरक्षा – ड्यूटी करना।

**कारागृह (जेल) प्रशासन**
**महानिदेशक, जेल**

↓

महानिरीक्षक जेल (राजस्थान कारागृह सेवाएं)
उप महानिरीक्षक जेल (प्रशासन)
प्रथम श्रेणी के आठ जेल अधीक्षक
द्वितीय श्रेणी के जेल अधीक्षक
↓
उप अधीक्षक,जेल

उप महानिरीक्षक जेल
(बंदी)

↓
जेलर
↓
उप जेलर
↓
सहायक जेलर
↓
चीफ वार्डन
वार्डन

प्रत्येक राज्य में अपराधियों को सुधारने के लिए कारागृह या सुधार गृहों का निर्माण किया गया है। कारागृहों का मूल उद्देश्य अपराधी को पश्चाताप करने का अवसर प्रदान करने के साथ समाज को अपराध मुक्त करना था। जिन अपराधियों के मामले विचारधीन होते है उन्हें सुधार गृहों में रखा जाता है। कारागार दो प्रकार के होते हैं – बन्द कारागार और खुले कारागार। इनका मुख्य उद्देश्य अपराधियों को सुधार कर एक सभ्य नागरिक बनाकर उसकी समाज में वापसी करना हैं।
राज्य में 8 केन्द्रीय जेल, 3 प्रथम श्रेणी के जिला जेल, 22 द्वितिय श्रेणी के जेल, 22 उपकारागृह, 59 लॉक–अप, एक महिला बंदी सुधार गृह (जयपुर), एक किशोर बंदी सुधार गृह (अजमेर), दस खुली जेल तथा कारागृह प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में स्थित हैं।

**अग्निशमन**

आग पर नियंत्रण पाकर उसे बुझाने के कार्य को कहते हैं। अधिकतर समाजों में, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, अनियंत्रित आग जीवन और माल के लिए एक बड़ा संकट बन सकती है और अग्निशमन (FireFightes) इस खतरे से बचाव करते हैं। विभिन्न परिस्थितियॉ में आग पर काबू पाकर उसे बंद करने के लिए बहुत सी तकनीकें सीखनी पड़ती हैं और उन कठिन परिस्थितियों में आग पर काबू पाकर उसे बंद करने के लिए बहुत सी तकनीके सीखनी पड़ती हैं उन कठिन परिस्थितियों में जाकर उन्हें झेलन के लिए शारीरिक–क्षमता भी जरूरी है। अग्निशमन के लिए विशेष सामान और यंत्रों का प्रयोग भी होता है। इसमें पानी, आग–निरोधक रसायन, भिन्न अग्नि कवच , अब्निशमकों की आग–निरोधक पोशाकें, जल गिरान वाले विमान, अग्निशमकों के विशेष वाहन, वगैराह शामिल हैं। अलग–अलग तरह की आगों के लिए अग्निशमक भिन्न चीजें प्रयोग करते हैं, मसलन बिजली से लगी आग के लिए पानी का प्रयोग नहीं किया जाता अग्निशमन यंत्र एक आग से बचाव का एक युक्ति है जिसकी सहायता से छोट आकार की आग को बुझाया जा सकता है या उसे नियंत्रण में रखा जा सकता है। यह प्रायः आपातकालीन स्थितियों में उपयोग किया जाता है। किन्तु यह ऐसी आग के बुझाने या नियंत्रण के लिये प्रयुक्त नहीं होता जो बहुत विकराल रूप ले चुकी हो। प्रायः अग्निशमन यंत्र में एक बेलनाकार दाब–पात्र (Pressure Vessel) होता है जिसमें एक ऐसा पदार्थ भरा रहता है जिसे छोड़ने पर आग बुझाने में सहायक होता है।

## संगठन अग्निशमन सेवा

डायरेक्टर(निदेशक) सम्पूर्ण फायर सर्विस का इंचार्ज होता है। डीजीपी के सामान रैक का वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी

↓

चीफ फायर ऑफिसर(एक महानगर की फायर सर्विस का इंचार्ज होता है।)

↓

डिप्टी सीफओ ( डिवीजन का इंचार्ज होता है।)

↓

डीफओ (डिवीजनल फायर ऑफिसर)एक डिवीजन के सभी फायर स्टेशन का इन्जार्च होता है।

↓

एडीएफओ( दो से तीन फायर स्टेशनका इंचार्ज होता है।

↓

फायर ऑफिसर( दो से अधिक पम्पिंग यूनिट का इंचार्ज होता है।

↓

असिस्टेंट फायर (एक पम्पिंग यूनिट/फायर स्टेशन का इंचार्ज होता है।)

↓

लीडिंग फायर मैन (शिफ्ट इंचार्ज होता है।तीन शिफ्ट में ड्यूटी होती है।गाड़ी में जाने पर क्रू इंचार्ज होता है।

↓

फायर मैन/डाईवर/पम्प आपरेटर(आग बुझाने का कार्य करते है।)

### शाखायें

ट्रेलर पम्पः– 50,000 हजार की आबादी पर छोटी ट्रेलर पम्प होता है।

**पम्पिंग यूनिटः–** एक लाख की आबादी पर एक फायर टेण्डर (अग्निशमन वाहन ) होता है। औधोगिक क्षेत्र में यह नियम लागू नहीं होता है। जयपुर में 12 अग्निशमन केन्द्र है व 4 निर्माणाधीन है

**स्टाफ (कर्मचारी)–**ट्रेलर पम्प व एक अग्निशमन वाहन पर 04 फायरमैन एक लीडिंग फायरमैन एक ड्राईवर इस प्रकार 06 आदमियों को मिलाकर 01 क्रू (यूनिट) बनता है 25 प्रतिशत स्टॉफ रिजर्व में रहता है।

अग्निशमन सेवा का डायरेक्टर नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा विभाग के अधीन है भर्ती इसी विभाग के अधीन होती है व यह नियमित राजकीय सेवा है इनको हार्ड ड्यूटी भत्ता मिलता है। इसमें आग बुझाने के लिए जैसी आग होती है, वैसे वाहन की व्यवस्था होती है।

### वाहनों के प्रकार

1. वाटर टेण्डीः– पानी फेंकता है।
2. मल्टीपरपज क्रास टेण्डरः– पानी + फोम+CO2+DryChemical power फेंकता है।
3. DCP टेण्डर :– DCP फेंकता है।
4. CO2 टेण्डर :– CO2 फेंकता है।
5. फोम टेण्डर :– फोम + पानी फेंकता है।
6. हाइड्रोलिक प्लेटफार्म(स्नकिल लैडर) :– हाइराईज बिल्डिग की आग बुझाने के काम आती है। (40–200 फीट तक)
7. टर्नटेबल लैडर TTL:– हार्डराईज बिल्डिंग की आग बुझाने के काम आती है।
8. हजमत वाहनः–(रेस्क्यू टेण्डर):– बिल्डिंग गिरने आदि की स्थिति में काम आती है। हाइड्रोलिक जैक कटर आदि उपकरणों से लैस होती है।

## पुलिस अधिकारियों द्वारा लगाये जाने वाले बैज

| नाम/पद | बैज | रिबन | स्टार | बिसल कोड | टोपी | मोनोग्राम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कान्सटेबल | राज0 पुलिस | —— | —— | खाकी | खाकी | राज0 पुलिस |
| एल0एच0सी0 | राज0 पुलिस | —— | दो फीत | खाकी | खाकी | राज0 पुलिस |
| एच0सी0 | राज0 पुलिस | —— | तीन फीत | खाकी | खाकी | राज0 पुलिस |
| ए0एस0आई0 | राज0 पुलिस | लाल नीली | एक | खाकी | खाकी | राज0 पुलिस |
| एस0आई0 | राज0 पुलिस | लाल नीली | दो | खाकी | खाकी | राज0 पुलिस |
| पुलिस निरीक्षक | राज0 पुलिस | लाल नीली | तीन | खाकी | खाकी | राज0 पुलिस |
| उप अधीक्षक | आर0पी0एस0 | —— | तीन | नीली | नीली | आर0पी0एस0 |
| अति0पुलिस अधीक्षक | आर0पी0एस0 | —— | अशोक स्तम्भ | नीली | नीली | आर0पी0एस0 |
| **नोट :— सलेक्शन ग्रेड पर अति0 पुलिस अधीक्षक के एक स्टार व अशोक स्तम्भ लगेगा।** | | | | | | |
| पुलिस अधीक्षक | आई0पी0एस0 | — | एक स्टार,अशोक स्तम्भ | नीली | नीली | आई0पी0एस0 |
| **नोट :— सलेक्शन ग्रेड पर पुलिस अधीक्षक (एस.एस.पी.)के दो स्टार, एक अशोक स्तम्भ व कॉलरैब लगेगा।** | | | | | | |
| उपमहानिरीक्षक पुलिस | आई0पी0एस0 | कॉलरैब | तीन स्टार,अशोक स्तम्भ | नीली | नीली | आई0पी0एस0 |
| महानिरीक्षक पुलिस | आई0पी0एस0 | कॉलरैब | क्रास व एक स्टार | नीली | नीली | आई0पी0एस0 |
| महानिदेशक पुलिस | आई0पी0एस0 | कॉलरैब | क्रास व अशोक स्तम्भ | नीली | नीली | आई0पी0एस0 |

## पुलिस अधिकारियों की गाड़ी पर लगने वाले स्टार व झण्डे

**कारों के फ्लेग व स्टार :—**

1.उप महानिरीक्षक पुलिस के कार के एक स्टार आगे,पीछे व तिकोनी फ्लेग। 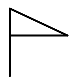

2.महानिरीक्षक पुलिस की कार के दो स्टार व फ्लेग। 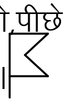

3.महानिदेशक पुलिस के कार के तीन स्टार व आयताकार फ्लेग। 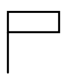

## POLICE DECORATIONS

**1.राष्ट्रपति पुलिस पदक (विशिष्ठ सेवा के लिए)** — यह पदक 20 वर्ष से अधिक की सेवा वालों को दिया जाता है।

**2.राष्ट्रपति पुलिस पदक (शौर्य के लिए)** — यह पदक बहादुरी के किसी भी कार्य लिए दिया जाता है। इस पदक को प्राप्त करने वाले को 750 रूपये प्रतिभार वेतन में अधिक मिलता है।

**3.पुलिस पदक** —उच्च श्रेणी की वीरता का प्रदर्शन या प्रभावशाली योग्यता की मूल्यवान सेवा के लिए दिया जाता है। शौर्य के लिये पुलिस पदक पाप्त करने वाले को 450 रुपये प्रतिभार वेतन में अधिक मिलता है।

**पदक एवं रिवॉर्ड्स** –कानि0 से निरीक्षक पुलिस तक अच्छे रिकॉर्ड के आधार पर उत्तम सेवा चिन्ह, अति उत्तम सेवा चिन्ह और सर्वोत्तम सेवा चिन्ह प्रदान किये जाते है। उत्तम सेवा चिन्ह 9 वर्ष की सेवा पर, अति उत्तम सेवा चिन्ह इसके तीन वर्ष बाद एवं सर्वोत्तम सेवा चिन्ह, अति उत्तम सेवा चिन्ह के 7 वर्ष बाद प्रदान किया जाता है। सेवा चिन्ह वार्षिक कार्य मूल्यांकन के नम्बरों के आधार पर दिया जाता है। जिसका एग्रिगेट कम से कम 55 प्रतिशत होना चाहिए।

ड्यूटी के दौरान अच्छे कार्य हेतु प्रशंसा–पत्र एवं प्रशंसा–पत्र मय नगद ईनाम के भी प्रदान किये जाते हैं। ये ईनाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से लेकर डी.जी.पी. पद तक के आई.पी.एस. अधिकारी कानि0 से लेकर निरीक्षक पद के अधिकारियों को प्रदान करते हैं। आर.पी.एस. अधिकारियों को केवल प्रशंसा पत्र ही प्रदान किया जाता है। नगद ईनाम नहीं दिया जाता है।

पुलिस सेवा में कानि0 से महानिदेशक पद तक के अधिकारियों को सराहनीय एवं उल्लेखनीय सेवाओं के उपलक्ष में पुलिस पदक एवं राष्ट्रपति पुलिस पदक 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किये जाते हैं। सभी प्रकार के पदक सेरेमोनियल ड्रेस कोड के समय वर्दी पर बांयी जेब के ऊपर क्रमशः धारण किये जायेंगे।

## सर्विस कंडीशन्स

सभी पुलिस अधिकारी 24 घण्टे ड्यूटी पर मामूर समझे जायेंगे। किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो लेकिन पुलिस ड्यूटी को प्राथमिकता दी जायेगी।

अपने कार्यक्षेत्र के अलावा भी प्रत्येक पुलिसकर्मी सीनियर अधिकारी के आदेशों की पालना करेगा। अवकाश के समय भी अगर कोई अपराध पुलिसकर्मी के समक्ष होता है तो उसकी कार्यवाही प्राथमिकता से करवायेगा।

ड्यूटी के समय हमेशा साथ–सुथरी एवं सम्पूर्ण वर्दी धारण करेगा।

सीनियर पुलिस अधिकारी अधीनस्थों की समस्याओं का निवारण यथासम्भव करेगा।

पुलिस अधिकारी भी अनुशासित रहेगा और अपने अधीनस्थों को अनुशासन में बनाये रखेगा।

## पुलिस ध्वज की जानकारी और फहराने के नियम

पुलिस ध्वज (कलरज्) उन लोगों की वीरता और हिम्मत की निशानी है जो उनके नीचे रहकर सेवा करते है। राष्ट्रीय ध्जव के हमेशा बायीं तरफ पुलिस ध्वज फहराया जाता हैं।

पुलिस ध्वज के पूरे का नाम पाईक होता है। पाईप की लंबाई 8′ साढ़े सात इंच ध्वज के कपड़े की लंबाई तीन फुट नौ इंच चौड़ाई तीन फुट, झालर तकरीबन दो इंच की दोनो तरफ होती है।

ध्वज उठाने के लिये कैरी बेल्ट का प्रयोग करते हैं, पुलिस ध्वज रिवाली के समय फहराया जाता है और रिट्रीट के समय उतारा जाता है। पुलिस ध्वज को सेरीमोनियल परेड पर भी ले जाया जाता है।

## सेवावर्ग एवं पद

राजस्थान पुूलिस में महानिदेशक पुलिस (D.G.P.) अति0 महानिदेशक (A.D.G), महानिरीक्षक पुलिस (I.G.P.), उपमहानिरीक्षक पुलिस (DY.I.G.P), पुलिस अधीक्षक (S.P), अति0 पुलिस अधीक्षक (ADLL S.P), उप अधीक्षक पुलिस (DYSP), पुलिस निरीक्षक (INSPECTOR), उप निरीक्षक पुलिस (S.I), सहायक उप निरीक्षक (A.S.I), मुख्य आरक्षी (H.C) एवं आरक्षी (CONSTABLE) के पद हैं।

**पुलिस में तीन सेवा वर्ग है** :–

1. अखिल भारतीय पुलिस सेवा (I.P.S)
2. राजस्थान पुलिस सेवा (R.P.S)
3. अधीनस्थ पुलिस सेवा वर्ग (Insp से कानि0 तक)

**नियुक्ति** :– भारतीय पुलिस सेवा वर्ग की सीधी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, आर0पी0एस0 की सीधी भर्ती राज0 लोक सेवा आयोग द्वारा व पु0 नि0 पदोन्नति द्वारा, उ0नि0 पुलिस लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से की जाती है। कानि0 का सीधा रिक्रुटमेंट एवं शेष पदों पर पदोन्नति से भर्तियाँ होती हैं। उ0नि0, R.P.S एवं I.P.S की 50 प्रतिशत सीधी भर्ती व 56 प्रतिशत पदोन्नति के द्वारा रिक्तियों को भरा जाता है जिनके लिए अलग से नियम बने हुए हैं।

**वर्दी पहनने के नियम** :–पुलिस की वर्दी उसकी पहचान है पुलिस अधिकारी अपनी वर्दी से दूर से ही पहचाने जा सकते हैं। राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष में ही पुलिस की वर्दी का रंग खाकी रखा गया है। ''खाक'' शब्द राख का रूपान्तरण है राख तब बनती है जब कोई जल जाता है और पुलिस अधिकारी को यह त्याग, सेवा एवं संयम के प्रतीक के रूप में पहनाई जाती है।
वर्तमान में सभी पुलिस अधिकारी खाकी शर्ट एवं पेंट पहनते हैं। अधिकारियों के लाल जूते हैं एवं कानि0 एवं हैड कानि0 की वर्दी में काले जूते पहनने होते हैं। यातायात पुलिस की वर्दी नीली पेंट, सफेद कमीज, काले जूते, काला बेल्ट एवं नीली टोपी होती है। वर्दी साफ सुथरी प्रेस की हुई, जूते चमकते हुए और वर्दी तरीके से पहनी हुई होनी चाहिए। वर्दी में हो तो टोपी सिर पर जरूर होनी चाहिए वर्दी में जूते नहीं उतारे जाऐं। कानि0 से हैड कानि0 तक के अधिकारियों के बेल्ट पर उस जिला या यूनिट जिसमें वह पदस्थापित है का नाम और बेल्ट नं0 अंकित होते हैं।
सहायक उ0नि0 पुलिस से ऊपर के अधिकारियों के कंधे पर उनके पद के अनुसार रेंक्स एवं बैजेज लगते हैं।
**उपकरण :–** जब भी पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी पर जाए तो ड्यूटी की प्रकृति के अनुसार उपकरण उसके पास होने चाहिए। जिससे सबसे आवश्यक है लाठी, एक स्वीकृत नमूने की लाठी प्रत्येक पुलिस अधिकारी के किट का हिस्सा है जो सरकार द्वारा दिया जाता है। लाठी पुलिस का जाति हथियार है जो प्राचीन काल से आज तक चला आ रहा हैं मैगस्थनीज नामक यूनानी राजदूत ने ''इंडिका'' में पाटलीपुत्र शहर का वर्णन करते हुए पुलिस वाले के बारे में लिखा है और उसने लिखा है कि एक लाल पगड़ी वाला व्यक्ति जो हाथ में मोटा डंडा लिए हुए होता है घाटों व हाटों पर यातायात व्यवस्था देखता है एवं उसका नाम ''दण्ड पाशिन'' है। एवं उसके मुखिया का नाम ''महादंडपाशिन'' है। इसके अतरिक्त यदि कानून व्यवस्था की ड्यूटी है तो उसे गैस पार्टी का सामान, हेलमेट, ढ़ाल जैकेट आदि उपकरण साथ रखने चाहिए। संप्रेषण के लिए उसे बैल हैलर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र रखना चाहिए। रात्रि के समय टॉर्च या रोशनी का साधन मोबाईल फोन एवं वॉकी टॉकी (वायरलेस का हैंडसैट) वाहन यथा गाड़ी, मोटरसाइकिल आदि एवं जहाँ यह साधन कार्य नहीं करें वहाँ नाव या जानवरों (घोड़ा, ऊंट) आदि की व्यवस्था रखें।

**शस्त्रास्त्र एवं गोला–बारूद**

राज0 पुलिस नियम 1948 के निमय 72 के अनुसार पुलिस अधिकारी जो उ0 नि0 से ऊपर की रैंक के हैं स्वीकृत नमूने का रिवाल्वर उनकी वर्दी की सजावट का एक भाग है जिसे वह वर्दी के साथ हमेशा धारण कर सकते हैं। साथ ही यह भी छूट है कि जब तक वे सर्विस में रहेंगे उन्हें आर्म्स एक्ट के अनुसार लाइसैंस रखने की छूट होगी।
इसी प्रकार पुलिस विभाग में कानि0 को राइफल एवं हैड कानि0 को स्टेनगन या कार्बाइन उसका नामजद हथियार है। पुलिसकर्मी को विभिन्न ड्यूटीज में हथियारों को साथ रखने व इस्तेमाल करने के अवसर प्रदान होते हैं। हथियारों सहित ड्यूटी देते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
1.जब भी हथियार ड्यूटी हेतु निकालें जायें उनकी सफाई की हुई होनी चाहिए क्योंकि सफाई ही हथियार की खुराक है। गंदे हथियार गोली चलाने की आवश्यकता होने पर धोखा दे सकते हैं।
2.जब भी हथियार कोत से लिया जाये तो यह निरीक्षण करलें कि हथियार खाली है उसकी मैंगजीन खाली हो व चैम्बर में राउण्ड न हो।
3.हथियारों पर लगे हुए तेल को सूखे कपड़े से पौंछ लें।
4.जब भी हथियार निकाला जाये तो उसी हथियार के अनुसार गोलाबारूद (राउण्ड्स) भी लेने चाहिए कहीं ऐसा न हो कि हथियार कोई और हो एवं राउण्ड किसी दूसरे हथियार के हों।
5.हथियारों को ड्रिल/क्वार्टर गार्ड या गार्ड ड्यूटी/गार्ड ऑफ ऑनर, संतरी ड्यूटी, बीट ड्यूटी, एस्कॉर्ट, कानून व्यवस्था ड्यूटी आदि के समय इस्तेमाल किया जाता है।
6.कानून व्यवस्था की ड्यूटी के समय फायरिंग स्वयं की जान की रक्षा के अतिरिक्त तभी की जाये जब कम से कम उप निरीक्षक रैंक का अधिकारी, थानाधिकारी या मजिस्ट्रेट इस हेतु आदेश दे।
7.कानून व्यवस्था में, बलवे को तितर–बितर करने के लिए सम्पूर्ण बलवा परेड की ड्रिल को अपनाने के पश्चात ही अंतिम उपाय के तौर पर फायरिंग की जानी चाहिए। फायरिंग पर कंट्रोल रखा जाय। कम से कम फायर किया जाए। जहाँ तक हो सके भीड़ के तितर–बितर होते ही फायर बंद कर दिया जाये।

8.हथियारों को धारण करते समय खाली हथियार को भी भरा हुआ समझा जाये एवं उसको उसी प्रकार हैण्डल करें जैसेकि वह भरा हुआ हो।
9.हथियारों के दूसरे व्यक्ति को देते समय जाँच कर कि वह खाली है तो देवें अन्यथा खाली करके ही देवें।
10.हथियार को हमेशा सैफ्टी कैच लगाकर रखें।
11.मुल्जिम पेशी के समय हथियारों को मुल्जिम की पहुँच से दूर रखें। कानून व्यवस्था की ड्यूटी में भी हथियार को भीड़ की पहुँच से दूर रखें।
12.हथियारों के इस्तेमाल से पूर्व गोला बारूद की भी सफाई करके रखें ताकि समय पर काम आए।
13.हथियारों से कभी खिलवाड़ नहीं करें।

## राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 के नियम

**नियम 4 अनुचित व अशोभनीय आचरण** – कोई भी राज्य कर्मचारी जो –

(i) कर्तव्य करते समय या अन्यथा, किसी ऐसे अपराध का दोषसिद्ध किया गया हो, जो नैतिक पतन से संलग्न हो।

(ii) जनता के बीच ऐसे बेढंगे प्रकार का व्यवहार करे जो, राज्य कर्मचारी होने के नाते उसके पद के लिए अशोभनीय हो।

(iii) यह सिद्व हो जावे कि उसने किसी प्राधिकृत व्यक्ति को,बेनाम से या गलत नाम से,याचिका भेजी हो

(iv) अनैतिक जीवन व्यतीत करता, (नया पद) तो वह अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का जिम्मेदार होगा।

**नियम 4 क. सरकारी आवास का अनधिकृत अधिभोग –** कोई भी सरकारी कर्मचारी जो,

(i) सामान्य प्रशासन विभाग या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये गये प्राधिकरण से अधिक समय तक सरकारी आवास को अधिभोग में रखता हो, या

(ii) सरकारी आवास को अधिभोग में रखता हो, जबकि पद स्थापन के स्थान पर, निर्धारित आवास के सिवाय, उसका स्वयं का भवन हो, या

(iii) डाक बंगला, विश्राम गृह, ट्रांजिट होस्टल, पर्यटन गृह आदि सहित सरकारी आवास के अधिभोग से सम्बन्धित नियमों/अनुदेशों/आदेशों का उल्लंघन करता हो। अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा।

**नियम 7 – राजनीति व चुनावों में भाग लेना –**

1. कोई भी राजकीय कर्मचारी, किसी राजनीतिक दल या ऐसे संगठन का जो राजनीति में भाग लेता हो, न तो सदस्य होगा और न ही किसी प्रकार से उससे सम्बन्ध ही रखेगा और उसमें भाग लेगा, न सहायतार्थ चन्दा देगा न उसे किसी प्रकार सहायता करेगा और न राजनीतिक आन्दोलनों या गतिविधियों में भाग लेगा।
2. यह प्रत्येक राजकीय कर्मचारी का कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के सदस्य को ऐसी कार्यवाहियों तथा गतिविधियों में भाग लेने, सहायतार्थ चन्दा देने या अन्य तरीके से सहायता देने से बाधित करें, जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से विधिवत स्थापित राज्य सरकार को उलटने में लगी हो और जहाँ राज्य कर्मचारी अपने परिवार के सदस्य कार्यवाही या गतिविधियों में भाग लेने, सहायतार्थ चन्दा देने या अन्य प्रकार से सहायता करने से रोकने में असमर्थ हो, तो वह इसकी सूचना राज्य सरकार को देगा।
3. यदि यह प्रश्न प्रस्तुत हो कि कोई दल राजनैतिक या कोई दल/संगठन राजनीति में भाग लेता है या कोई गतिविधि या कार्यवाही उप नियम (2) की परिभाषा में आती है, तो उस पर सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।
4. कोई भी राज्य कर्मचारी किसी विधान मण्डल या स्थानीय अधिकारी के चुनाव के सम्बन्ध में न तो प्रचार करेगा न ही किसी प्रकार से हस्तक्षेप करेगा, न ही अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा, परन्तु

(क) राज्य कर्मचारी जो ऐसे चुनाव में मत देने योग्य है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है, परन्तु वह यह प्रदर्शित नही करेगा कि वह किस को मत देना चाहता है या उसने किसे मत दिया है।
(ख) राज्य कर्मचारी द्वारा अपनी कानून सम्मत जिम्मेवारी की पालना में चुनाव सम्पादन करवाने के कारण इस नियम के प्रावधान का उल्लंघन न माना जायेगा।

**नियम 9 :– प्रदर्शन तथा हड़तालें**–कोई भी राज्य कर्मचारी

1. किसी ऐसे प्रदर्शन से सम्बन्धित न होगा न उसमे भाग लेगा जो भारत कि प्रभुसत्ता व अखण्डता, राज्य कि सुरक्षा विदेशी राज्यों से मैत्री सम्बन्धों, लोक व्यवस्था, शालीनता, व नैतिकता के हितो के प्रतिकूल है,। जिनसे लोकतंत्र का अपमान या किसी अपराध को प्रोत्साहन मिलता हो या

2. अपनी सेवा या अन्य किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के किसी मामले के सम्बन्ध मे हड़ताल को किसी रूप मे माध्यम न बना देगा और ना हड़ताल की किसी रूप मे दुष्प्रेरणा करेगा।

**नियम :–18–निजी व्यापार या नियोजन्** – कोई भी राजकीय कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना परोक्ष या अपरोक्ष रूप में किसी व्यापार या वाणिज्य मे नही लगेगा या अन्य प्रकार की संस्था में नियोजन स्वीकार नही करेगा, परन्तु राज्य कर्मचारी सरकार के पूर्व स्वीकृति के बिना कोई ऐसा अवैतनिक कार्य जो सामाजिक या पुण्यात्मक प्रकार का हो साहित्यिक या कलात्मक या सामाजिक या वैज्ञानिक प्रकार का हो,तो वह कर सकेगा बशर्ते कि ऐसा करने से उसके राजकार्य मे कोई बाधा न आवे, लेकिन वह ऐसे कार्य को स्वीकार नही करेगा या उसे छोड़ देगा यदि सरकार ऐसा निर्देश दे दे।

**स्पष्टीकरणः–1**–सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी एजेन्सी,कमीशन एजेन्सी,या प्रचार या इसी प्रकार का कार्य जिस पर उसकी पत्नि या परिवार के अन्य किसी सदस्य का स्वामित्व प्रबन्ध है,इस नियम का उल्लंघन करना समझा जावे ।

2ः–यदि उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य किसी व्यापार या वाणिज्य मे लगा हुआ है। वह किसी बीमा एजेन्सी या कमीशन एजेन्सी का स्वामी या प्रबन्धक है तो राजकीय कर्मचारी इसकी सूचना राज्य सरकार को देगा।

3ः– कोई राज्य कर्मचारी,सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अपने राज्य कार्य के अतिरिक्त किसी बैंक के पंजीयन,विकास या व्यवस्था कार्य मे या अन्य कम्पनी के जिसका पंजीयन कम्पनी अधिनियम,1956( 1956 का 9 ) या अन्य कानून के अन्तर्गत,जो तब लागू हो,होना आवश्यक हो या अन्य वाणिज्यिक नियोजन के सहकारी संस्था के कार्यो मे भाग नही लेगाः

परन्तु राज्य कर्मचारी किसी सहकारी संस्था के जो मुख्यतःराजकीय कर्मचारियो के लाभार्थ हो तथा राजस्थान सहकारी संस्थान अधिनियम,1965 या अन्य किसी तत्कालिक कानून के अन्तर्गत पंजीयन हो या किसी साहित्यिक,वैधानिक,पुण्यार्थ संस्था जो संस्था पंजीयन अधिनियम,1890 (1890का 2) या किसी अन्य तत्कालीन प्रभावी कानून के अन्तर्गत पंजीयन हो,पंजीयन विकास या प्रबन्ध मे भाग ले सकेगा ।

**नियम 21. चल अचल एवं मूल्यवान सम्पति –**

1. प्रत्येक राज्य कर्मचारी सेवा में या किसी पद पर नियुक्त होते ही तथा तत्पश्चात् ऐसे कालान्तरों में जैसा की सरकार निर्धारित करे, (अपनी सम्पति तथा दायित्वों का विवरण ऐसे प्रपत्र में देगा जो सरकार निर्धारित करे) तथा निम्न विषयक पूर्ण विवरण देगा :

अ. अचल सम्पति जो उसने उतराधिकार में प्राप्त की या जिस पर उसका स्वामित्व हो या उसने प्राप्त की हो या पट्‌टे या रेहन से उसके अधिकार में आयी हो, चाहे वह स्वंय के नाम पर हो या परिवार के किसी सदस्य के नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से हो।

ब. शेयर व डिबेन्चर्स और रोकड़ बैंक डिपोजिट को सम्मिलित करते हुये जो उसने उतराधिकार में प्राप्त की हो या उपरोक्त प्रकार से उसने स्वामित्व प्राप्त किया हो या ग्रहण की गई हो या जिस पर उसका कब्जा होः

स. अन्य चल सम्पति जो उतराधिकार में प्राप्त हुई है या उपरोक्त प्रकार से उस पर स्वामित्व प्राप्त किया हो या उसके द्वारा ग्रहण किया गया हो या कब्जा हो,

द. कर्जा या अन्य देनदारियां जो परोक्ष अपरोक्ष रूप से ग्रहण की गई हों।

2. कोई भी राज्य कर्मचारी निर्धारित प्राधिकारी को पूर्व सूचना दिये बिना कोई अचल सम्पति पट्‌टे, रेहन, क्रय, विक्रय, उपहार या अन्य प्रकार से स्वंय या स्वयं के परिवार के किसी सदस्य के नाम न तो प्राप्त कर सकेगा, न दे सकेगा :

परन्तु निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक रूप से राज्य कर्मचारी के द्वारा प्राप्त की जावेगी, यदि कोई व्यवहार

(i) ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित हो जिसका राज्य कर्मचारी से राजकाज में सम्पर्क होता हो, या

(ii) जो नियमित या प्रतिष्ठित व्यापारी व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य से सम्बन्धित हा,

3. ऐसा राज्य कर्मचारी जो राज्य सेवा में किसी पद पर हो और ऐसी सम्पति का मूल्य रूपये 10,000/–से अधिक हो या ऐसा राज्य कर्मचारी जो अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा और ऐसे पद पर हो, तथा ऐसी सम्पति का मूल्य रूपये 5,000/– से ज्यादा हो, और ऐसा राज्य कर्मचारी जो चतुर्थ श्रेणी सेवा में किसी पद पर हो ऐसी सम्पति का मूल्य 2500/– रुपये से ज्यादा हो तो उसे निर्धारित अधिकारी को ऐसी चल सम्पति से सम्बन्धित हर मामले की सूचना देनी होगी, जिस पर उनके स्वयं के नाम से या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम से लेन देन हुआ हो

परन्तु निर्धारित अधिकारी की पूर्व अनुमति ली जावेगी यदि यह लेनदेन

(i) ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित है जिसका राज्य कर्मचारी से राजकाज में सम्पर्क होता हो, या

(ii) जो नियमित या प्रतिष्ठित व्यापारी व्यक्ति के अन्य कोई व्यक्ति से सम्बन्धित हो।

3. सरकार या निर्धारित प्राधिकारी किसी भी समय सामान्य या विशिष्ट आज्ञा द्वारा राजकीय कर्मचारी से ऐसी चल या अचल सम्पति की जो उसके अधिकार में है या प्राप्त की गई हो, या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या अधिकर से प्राप्त की गई है, पूर्ण विवरण निर्दिष्ट समय में मांग सकते हैं, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया गया हो। ऐसे विवरण में यदि सरकार या निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाये तो यह भी प्रदर्शित किया जायेगा कि सम्पति किस प्रकार या किस स्रोत से प्राप्त की गई है।

4. सरकार किसी भी अधीनस्थ, मंत्रालयिक या चतुर्थ श्रेणी सेवाओं राज्य कर्मचारियों के किसी वर्ग को इस उप नियम (4) में प्रावधान से मुक्त कर सकती है। ऐसी मुक्ति किसी भी परिस्थिति में नियुक्ति विभाग की सहमति के बिना न होगी।

**नियम 26. नशीले पेय या औषधी का प्रयोग–** सरकारी कर्मचारी–

(क) नशीले पेय या औषधी सम्बन्धी कानून का, जो उस क्षेत्र में प्रभावी हो, जहॉ कर्मचारी तत्समय उपस्थित हो, कठोरता से पालन करेगा।

(ख) अपने कर्तव्य पालन के समय में , किसी मादक पेय या औषधी के प्रभाव में नहीं रहेगा तथा इसकी भी उचित सावधानी बरतेगा कि, किसी भी समय उसका कर्तव्य पालन, किसी मादक पेय या औषधी से, किसी भी प्रकारप्रभावित न हो, न वह ऐसे समय के निकट ऐसे पेय या औषधी का सेवन करेगा, जब सेवा पर उपस्थित होना हो तथा, जब उसके मुख की दुर्गन्ध या व्यवहार से प्रतीत हो कि, उसने कोई मादक पेय या औषधी सेवन की है।

(ग) मादक पेय या औषधी के प्रभाव में, किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जायेगा।

(घ) किसी प्रकार के मादक पेय या औषधी का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करेगा।

## राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958

**नियम–13निलम्बन–** नियुक्ति प्राधिकारी या कोई अधिकारी जिसके अधीन वह नियुक्त अधिकारी है,या सरकार द्वारा इस विषय में सशक्त कोई भ्झी अनय प्राधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी को निलम्बित कर सकेगा–

(क) जहां तक कि उसके विरूद्व कोई अनुशासनिक कार्यवाही करने का विचार है या ऐसी कोई कार्यवाही लंबित है या

(ख) जहां उसके किसी फौजदारी अपराध के संबंध में अन्वेषण या विचार हो रहा हो परन्तु जहां निलम्बन की आज्ञा नियुक्ति प्राधिकारी से निम्नतर प्राधिकारी द्वारा दी गई है तो उक्त प्राधिकारी उन परिस्थितियो की रिपोर्ट जिसमें ऐसी आज्ञा दी गई थी तुरन्त नियुक्ति प्राधिकारी को देगा

राजस्थान सरकार का विनिश्चय–राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण,नियंत्रण व अपील)नियम1958के नियम 13के उपनियम(1)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार इन नियमो के नियम 14में निर्दिष्ट लघु शास्तियो में से कोई शास्ति आरोपित करने के लिए सशक्त अधिकारी को राज्य सरकार के कर्मचारी को निलम्बन करने का अधिकार प्रदान करती है।

(2) यदि कोई सरकारी कर्मचारी जो किसी फौजदारी आरोप पर या अन्यथा 48घण्टो से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया हो तो उसे हिरासत की तिथि से (उप नियम(1) के अधीन सरकारी कर्मचारी को निलम्बन करने हेतु समक्ष प्राधिकारी) की आज्ञा से निलम्बन समझाा जायेगा और वह आगामी आदेश तक निलम्बन में रहेगा।

(3)जब किसी निलम्बन आदेश में चल रहे राज्य कर्मचारी पर उसके विरूद्व जारी की गयी बर्खास्तगी या सेवा से हटाये जाने या अनिवार्य सेवा नियुक्ति की शास्ति इन नियमो के अधीन अपील में या नजरसानी होने पर निरस्त कर दी जाती है और किसी निर्देशन के साथ मामला आगे जांच करने या कार्यवाही करने के लिए लौटा दिया जावे तो उस कर्मचारी का निलम्बन सेवा से बर्खास्तगी हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति को मूल आदेश की तिथि से पुनःजारी रहना समझा जावेगा औश्र वह आगामी आज्ञा तक प्रभावशाली रहेगा।

(4) जब किसी राज्य कर्मचारी पर सेवा से बर्खास्त करने हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति करने की शास्ति किसी न्यायालय के फैसले द्वारा खारिज कर दी जावे या शुन्य घोषित कर दी जावे या प्रभावहीन हो जावे और मामले की परिस्थितयो पर विचार करते हुए अनुशासन प्राधिकारी उन्ही आरोपो पर जिनके आधार पर उसे बर्खास्तगी हटाये जाने या सेवा निवृत्ति की शास्ति मूलतः दी गई थी आगे जांच करना तय करे तो उक्त राज्य कर्मचारी बर्खास्तगी हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की मूल आदेश की तिथि से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलम्बित किया जायेगा और आगामी आदेशों तक वह निलम्बन में चलता रहेगा।

(5) इस नियम के अधीन जारी किया गया निलम्बन का आदेश किसी भी समय उक्त आदेश देने वाले या देने वाले समझे गये प्राधिकारी द्वारा या ऐसे प्राधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा जिसका उक्त प्राधिकारी अधीनस्थ है।

**नियम 14 :– शास्तियों के प्रकार** – निम्नांकित शास्तियां समुचित और पर्याप्त कारणों से और जिनको अभिलिखित किया जाएगा और जैसा इसमें इसके पश्चात उपबन्धित है, किसी सरकारी कर्मचारी पर लगायी जा सकेगी।

1.परिनिन्दा 2. वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोकना

3.लापरवाही से या किसी विधि, नियम या आदेश को भंग करने से सरकार को हुई आर्थिक हानि की उसके वेतन में से सम्पूर्ण या आशिंक रूप से वसूली

4.निम्नत्तर सेवा, ग्रेड या पद पर अथवा निम्नत्तर काल वेतनमान में अथवा काल वेतनमान के नीचे की प्रक्रम पर अवनत कर देना या पेंशन की दशा में नियमानुसार देय राशि में कमी कर देना ।

5.आनुपातिक पेंशन पर अनिवार्य सेवानिवृति ।

6.सेवा से हटाया जाना जो आगे नियोजन में निरर्हता नहीं होगी।

7.सेवा से पद्च्युत जो सामान्यतः भावी नियोजन में निरर्हता।

**स्पष्टीकरण 1 :–**इस नियम के अन्तर्गत निम्नलिखित शास्ति की कोटि में नहीं होंगे –

**a.** सेवा या पद नियुक्ति के निर्बन्धनों से सम्बन्धित नियमों या आदेशों के अनुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहने पर सरकारी कर्मचारी की वेतन वृद्धि रोकना।

**b.** किसी सरकारी कर्मचारी के दक्षता अवरोध पार करने में अयोग्य होने के कारण उसे उस काल में दक्षता अवरोध पर रोकना।

**c.** किसी सरकारी कर्मचारी को उसके मामले पर विचार करने के बाद, किसी सेवा, ग्रेड या पद पर जिस पर पदोन्नति के लिए वह पात्र है, अधिष्ठायी या स्थापन्न हैसियत से पदोन्नति न करना।

**d.** किसी उच्चत्तर सेवा, ग्रेड या पद पर स्थानापन्न रूप से काम करने वाले किसी सरकारी कर्मचारी का निम्न स्तर सेवा ग्रेड या पद पर इस आधार पर कि उसे अवसर दिया जाने पर वह उच्चतर सेवा,ग्रेड या पद के लिए अनुपयुक्त समझा गया है, अन्यथा किसी प्रशासनिक आधार पर जो उसके आचरण से सम्बन्धित नहीं है परिर्वतन कर देगा।

**e.** किसी सरकारी कर्मचारी का जो परिवीक्षा पर किसी दूसरी सेवा,ग्रेड या पद पर नियुक्त किया गया हो परिवीक्षा काल में या उसकी समाप्ति पर नियुक्ति के निर्बन्धनों या परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसरण में स्थायी सेवा, ग्रेड या पद पर परिर्वतन कर देना।

**f.** किसी सरकारी कर्मचारी को उसकी अनिवार्यता या सेवा निवृति सम्बन्धी उपबन्धों के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति

**g.** सेवा समाप्ति :–

**1.** परीवीक्षा पर नियुक्त किसी सरकारी कर्मचारी को परीवीक्षा कालों या उसकी समाप्ति पर उसकी नियुक्ति के निर्बन्धनों या परीवीक्षा सम्बन्धी नियमों या आदेशों के अनुसार।

**2.** संविदा से अन्यथा किसी अन्य रूप में नियुक्त किसी अस्थायी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति काल समाप्त होने पर।

**3.** किसी काम के अधीन नियोजित किसी सरकारी कर्मचारी की उक्त करार के निर्बन्धनों के अनुसार।

**4.** राजस्थान की एकीकृत इकाईयों में से किसी भी सेवाओं के ऐसे सरकारी कर्मचारी की एकीकरण नियमों के अनुसार राजस्थान राज्य की एकीकृत सेवाओं में से किसी में भी नियुक्ति के लिए चयन न होने पर या उसमें सम्मिलित न किये जाने पर।

**स्पष्टीकरण–2 :–**किसी ऐसे व्यक्ति की जो राजस्थान की एकीकृत सेवाओं में से किसी भी पद पर तदर्थ या अंतिम आधार पर नियुक्त हो, एकीकृत नियमों के अनुसार ऐसी किन्ही सेवाओं या पदों पर चयन नहीं किये जाने या उसमें सम्मिलत नहीं किये जाने अन्यथा किसी कारण से की गयी सेवा मुक्ति को, सेवा से हटाया जाना या पदच्युत यथा स्थिति समझा जायेगा।

**टिप्पणी :–** नियम 14 (7) के अधीन पदच्युति के कारण भावी नियोजन के लिए निरर्हता केवल राज्य सरकार द्वारा ही अधित्यजित की जा सकती है यदि किसी मामले के गुण दोषों से ऐसा करना न्यायोचित हो।

**नियम–15:– अनुशासनिक प्राधिकारी :–**राज्य सेवाओं के लिए राज्य सरकार या सरकार द्वारा उस विषय में विशेष रूप से सशक्त प्राधिकारी अधीनस्थ सेवा एवं मंत्रालयिक सेवा के लिये विभागाध्यक्ष द्वारा सरकार के अनुमोदन से विशेष रूप से सशक्त प्राधिकारी और चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के लिये कार्यालाध्यक्ष नियम –14 में निर्दिष्ट सभी शास्तियां देने के लिए प्राधिकृत होगें।नियम–15 (1) द्वारा प्रदत्त शास्तियों का प्रयोग करते हुये राज्यपाल प्रशासनिक न्यायाधीश या राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामजद किसी न्यायाधीश को उपर्युक्त नियमों के अधीन विहित शास्तियों में से सेवा से हटायें जाने तथा पदच्युति की शास्ति के सिवाय कोई शास्ति राजस्थान उच्चत्तर न्यायिक सेवा और राजस्थान न्यायिक सेवा के सदस्यों पर लगाने की शक्ति प्रदान करते हैं।

**टिप्पणी :–**

**a.** इन नियमों के नियम 12 के तहत एक सेवा में नियुक्ति करने हेतु विशेष रूप से सशक्त प्राधिकारी, नियम 14 में उल्लेखित शास्तियां देने हेतु सक्षम होंगे।

**b.** नियम 14 के क्रम संख्या 6 और 7 में अकिंत शास्तियां लगाने हेतु राज्य सरकार या विभागाध्यक्ष (जैसी भी स्थिति हो) इस नियम के तहत अन्य प्राधिकारी को अधिकृत नहीं कर सकते हैं।

1. राज्य सेवाओं के सम्बन्ध में जिनके नियुक्ति करने की शक्ति किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को नहीं सौंपी गई हो, परिनिन्दा तथा वेतन वृद्धि रोकने के अतिरिक्त शास्ति लगाने से पहले आर.पी0एस0सी0 से परामर्श किया जायेगा।

**नियम 16 :– बड़ी शास्तियां लगाने की प्रक्रिया –**पब्लिक सर्वेन्ट्स (जाँच ) एक्ट–1950 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी सरकारी कर्मचारी पर नियम 14 के खण्ड–4 से 7 तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति लगाने वाला आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि यथासक्य उसमें उसके पश्चात उपबन्धित रीति से जाँच न करली गई हो।

**नियम 16(2) :– आरोप पत्र देना –** मुख्यतः निम्न पांच बातों का ध्यान रखा जावेगा :–

**a.** अनुशासनिक अधिकारी दोषारोपण के आधार पर निश्चित आरोप बनायेगा।''स्पष्टीकरण'' के अनुसार यहां नियम 14 में वर्णित (1) से (3) तक दण्ड देने के लिए सक्षम अधिकारी भी अनुशासनिक प्राधिकारी है अर्थात वह आरोप बना सकता है।

**b.** जाँच का प्रस्ताव आरोप पत्र और दोषारोपण का विवरण पत्र लिखित में दोषी कर्मचारी को भेजे जावेगें।

**c.** अनुशासनिक प्राधिकारी लिखित कथन को प्रस्तुत करने की अवधि निर्धारित कर दोषी से उत्तर मांगेगा।

**d.** वह तीन प्रश्न भी पूछेगा–

I. कि क्या वह (दोषी कर्मचारी) सबका किसी आरोप की सत्यता को स्वीकार करता है?

II. कि उसे क्या स्पष्टीकरण या बचाव पेश करना है?

III. कि क्या वह व्यक्तिगत सुनवायी चाहता है?

e. आरोपित व्यक्ति अपने बचाव के समय जो बचाव या अभिकथन करता है उसके सम्बन्ध में कोई दण्ड देने के लिए अतिरिक्त आरोप बनाना आवश्यक नहीं होगा।

**नियम–16(3) :– बचाव की तैयारी तथा अभिलेख का निरीक्षण –** इस नियम में अभिलेखों का निरीक्षण करने का प्रावधान है, जिसके अनुसार आरोपित कर्मचारी द्वारा बताये गये अभिलेख (दस्तावेज) का निरीक्षण करने और उसके अंशों के उद्धरण (Abstract ) लेने की अनुशासनिक अधिकारी द्वारा अनुमति दी जावेगी। यह अनुमति केवल दो कारणों से मना की जा सकती है I. यदि वह प्रलेख सुसंगत नहीं हो या II. उसे दिखाना लोकहित में उचित नहीं हो। उसके लिये कारण अंकित करने आवश्यक हैं, सरकारी निर्देशानुसार प्रलेखों के निरीक्षण की अनुमति की अस्वीकृति प्रपत्र (10) में दी जानी चाहिए।

**नियम–16(4) लिखित कथन तथा जाँच अधिकारी की नियुक्ति :–** इस उप नियम में निम्न बातें बताई गई हैं–

**a.** लिखित कथन की प्राप्ति पर या

**b.** लिखित कथन निश्चित समय में प्राप्त न होने पर

**c.** अनुशासनिक प्राधिकारी स्वीकार नहीं किये गये आरोपों की स्वंय जाँच करेगा या

**d.** आवश्यक समझे तो जाँच मण्डल (बोर्ड) या जाँच प्राधिकारी की इस जाँच के लिए नियुक्ति करेगा

**e.** आरोप पत्र के सभी आरोप यदि अपचारी कर्मचारी लिखित कथन में स्वीकार करले तो अनुशासनिक प्राधिकारी अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

**नियम–16 (4क) जाँच का आरम्भ :–** इसके अनुसार

a.यदि सरकारी कर्मचारी जिसने आरोप स्वीकार नहीं किये हैं,जाचं अधिकारी के समक्ष उपस्थित होता है

b. तो जाचं अधिकारी उससे पूछेगा कि :–(i.) क्या वह दोषी है ? या (ii.) अपने बचाव में कुछ कहना चाहता है?

c. यदि कर्मचारी दोषी होना स्वीकार करता है तो उसके अभिवचन को लिखा जावेगा और उस पर जाँच अधिकारी तथा आरोपित कर्मचारी दोनों हस्ताक्षर करेगें।

d. इस प्रकार जिन आरोपों को वह स्वीकार कर लेता है उन पर जाँच अधिकारी कर्मचारी के दोषी होने का निष्कर्ष भेजेगा।

**नियमः– 16(5) उप स्थापक एवं सहायक अधिकारियों की नियुक्तिः–** इसके अनुसार

1. आरोपों के समर्थन में (अभियोजन पक्ष को और से )मामला प्रस्तुत करने वाले अधिकारी को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नामजद किया जावेगा,(जो''उप स्थापक अधिकारी'') कहलायेगा । इसकी नियुक्ति पदनाम से की जावेगी,ऐसा निर्देश है ।
2. सरकारी कर्मचारी किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी या सेवा निवृत सरकारी कर्मचारी की सहायता से अपना मामला प्रस्तुत करेगा,जिस अनुशासनिक प्राधिकारी अनुमोदित करेगा। (यह''सहायक अधिकारी'' कहलायेगा)
3. सरकारी कर्मचारी अपनी पैरवी के लिए किसी विधि– व्यवसायी की नियुक्ति नही कर सकेगा। इसके लिए दो शर्ते लगायी गई हैः–

a. जब तक कि उप स्थापक अधिकारी कोई विधि व्यवसायी न हो या

b. जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को देखते हुए,ऐसी अनुज्ञा (अनुमति) न दे दे ।

4. स्पष्टीकरण के द्वारा लोक अभियोजक,अभियोजक निरीक्षक,या सह निरीक्षक को विधि व्यवसायी माना गया है ।
5. यदि सेवा निवृत सरकारी कर्मचारी विधि व्यवसायी हो,तो उपरोक्त शर्ते लागू रहेगी ।

**नियम 16(6):– साक्ष्य का तरीका :–**

a. सरकारी कर्मचारी द्वारा आरोपों के बारे में दोषी न होने का कथन करने पर(अरोपों को अस्वीकार करने पर) उप स्थापक अधिकारी को 10 दिन में अभियोजन पक्ष के गवाहों व दस्तावेजों की सूची देने को कहा जावेगा। वह यह सूची उस कर्मचारी को भी साथ भेजेगा।

b. ऐसी सूची मिलने के 10 दिन के भीतर वह अपचारी अधिकारी अपने बचाव के लिए चाहे गये दस्तावेजों की सूची प्रस्तुत करेगा।
c. जाँच अधिकारी इसके बाद दोनों पक्षों के दस्तावेज सम्मन करेगा (मंगवायेगा)
d. पक्षकारों से इन्हें (दस्तावेजो को) स्वीकार या इनकार करने के लिए कहेगा ।
e. इसके बाद जाँच अधिकारी ऐसी साक्ष्य को बुलावेगा,जो आवश्यक समझी जावें।
f. (1) उप स्थापक अधिकारी को मुख्य परीक्षा का और
(2) सरकारी कर्मचारी या इसके सहायक अधिकारी को,जो भी उपस्थित हो,प्रति परीक्षा का
(3) अवसर देते हुए साक्ष्य अभिलिखित करेगा।
(4) उपस्थापक अधिकारी पुनपरीक्षा करने का हकदार होगा,परन्तु किसी नये मामले (बिन्दु) पर जाँच अधिकारी की अनुमति के बिना पुनर्परीक्षा नहीं कर सकेगा।
g. अभियोजन साक्ष्य का समाप्ति के बाद,सरकारी कर्मचारी को 10 दिन के भीतर बचाव के साक्षियों की सूची प्रस्तुत करने को कहा जावेगा।
h. जाँच अधिकारी विचार करने के बाद केवल सुसंगत साक्षियों तथा दस्तावेजों को भी सम्मन करेगा तथा पक्षकारों को मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा तथा पुनर्परीक्षा का अवसर देते हुये उनका साक्ष्य अभिलिखित करेगा।
i. इसके बाद साक्ष्य बन्द कर दी जावेगी।
j. जाँच अधिकारी दोनों पक्षकारों द्वारा बुलाये गये साक्षियों और दस्तावेजों की सुसंगति पर विचार करेगा। किन्ही साक्ष्यों या दस्तावेजों के सम्मन करने से मना करने पर इसका कारण लेख बद्व करेगा।
k. जाँच अधिकारी भी न्याय के हित में पक्षकारों के साक्षियों से प्रश्न पूछ सकेगा,जो वह उचित समझे।
l. पक्षकारों को अपनी बहस सुनाने का अवसर दिया जएगा।
m. पहले नियम 16(6) (क) के नीचे एक''टिप्पणी'' द्वारा प्रावधान था जिसे नये नियम (1982) में नहीं रखा गया है।

**नियम–16(7) तथा(8):– जाँच रिपोर्ट एवं जाँच अधिकारी के निष्कर्ष :–**

1. जाँच की समाप्ति पर जाँच अधिकारी एक जाँच रिर्पोट तैयार करेगा,जिसमें:– (a) प्रत्येक आरोप पर अपने निष्कर्ष (b) उसके कारणों सहित देगा।
2. मूल आरोप से भिन्न कोई आरोप स्थापित हो,उस पर भी निष्कर्ष देगा,परन्तु यदि उनको:–

a. सरकारी कर्मचारी ने स्वीकार कर लिया हो,या
b. उन आरोपों के विरूद्ध उस बचाव का अवसर दे दिया गया हो।
c. उप नियम 8 में जाँच के अभिलेख की सूची दी गयी है ।

**नियम 16(9) :– अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा विचार एवं निष्कर्ष–**

1. जहाँ जाँच अधिकारी और अनुशासनिक प्राधिकारी दोनों अलग अलग है,
2. तो अनुशासनिक प्राधिकारी (क) जाँच के अभिलेख पर विचार करेगा और (ख) प्रत्येक आरोप पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।
3. विचार करते समय अनुशासनिक प्राधिकारी समझ कि जाँच किसी प्रकार से दूषित हो,गई,या अन्य कोई उचित पर्याप्त कारण हो तो वह कारण अभिलिखित करके:– (क) आगे और जाँच करने के लिए या (ख) नये सिरे से जाँच के लिए मामले को वापस भेजे सकेगा।

**नियम 16(10) तथा(11):– लोक सेवा आयोग से परामर्श :–**

a. जहाँ आयोग से परामर्श (सलाह)लेना आवश्यक हो,ऐसे मामलों में:–
b. जाँच का अभिलेख आयोग को सलाह के लिए भेजा जावेगा ।
c. आदेश देने से पहले उस सलाह पर विचार किया जावेगा या ध्यान में रखा जावेगा।

**नियम 16 (12) :– दण्डाज्ञा की सूचना –**

**1.** अनुशासनिक प्राधिकारी का आदेश (अन्तिम आज्ञा या विनिश्चय या दण्डाज्ञा) सरकारी कर्मचारी को सूचित किया जायेगा।
**2.** उन आदेशों के साथ निम्न कागजात दिये जावेंगे :–

a. जाँच रिपोर्ट की एक प्रति।

b. अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिये गये निष्कर्षों का विवरण।
c. जाँच  अधिकारी से असहमति के कारणों का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो।
d. आयोग की सम्मत्ति यदि कोई है।
e. आयोग की सम्मति को अस्वीकार करने के कारणों का संक्षिप्त विवरण।

**3. अपवाद** :–यदि सरकारी कर्मचारी को कोई साधारण दण्ड ही दिया गया हो, तो उसे जाँच अधिकारी को रिर्पोट की प्रति देना आवश्यक नहीं होगा।

**नियम 17 छोटी शास्तियां लगाने की प्रक्रिया :–**नियम 14 में वर्णित (1) परिनिन्दा (2) वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोकना तथा (3) वेतन में से वसूली के इन साधारण दण्डों (शास्ति) में से कोई दण्ड देने के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें हैं, जिनका पालन अनिवार्य है :–

1. सरकारी कर्मचारी को प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना देना :– अभिकथन (आरोप विवरण पत्र) देकर बचाव में अभ्यावेदन करने का अवसर देना जो वह चाहे।
2. जहाँनियम 16 के अधीन जाँच आवश्यक हो वहां ऐसी जाँच की जावेगी। {खण्ड (क)}
3. (क) ऐसे अभ्यावेदन पर और

(ख) ऐसी जाँच  के अभिलेख पर विचार कर लिया हो।
यदि कर्मचारी मांग करे, तो उसे अपना मामला स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना।
.लोक सेवा आयोग से परामर्श, जहां आवश्यक हो।
.इसके बाद ही दण्ड की  आज्ञा दी जा सकेगी।
इस प्रकार साधारण दण्ड देने की प्रक्रिया में छः कदम हैं :–
1. सूचना व दोषारोपण  2. जाँच यदि आवश्यक हो  3. अभ्यावेदन
4.व्यक्तिगत सुनवाई  5. आयोग से परामर्श  6. अन्तिम आज्ञा

19. कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया नियम 16, 17 या 18 में किसी बात के होते हुये भी कोई शास्ति ऐसे आचरण के आधार पर अधिरोपित की गई है जिसके कारण वह किसी आपराधिक आरोप(क्रिमिनल चार्ज) का दोषी सिद्व हुआ हो या

(2) जहॉ अनुशासनिक प्राधिकारी को ऐसे कारणों से, जो लेखबद्व किये जायेगें समाधान हो जाये कि उक्त नियमों में विहित  प्रक्रिया का अनुसरण करना युक्ति युक्त रूप से साध्य नहीं है, या

(3) जहॉ राज्यपाल का समाधान हो जाये कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करना समीचीन नहीं है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थतियों पर विचार कर सकता है तथा जो ऐसे आदेश जो वह उपयुक्त समझे, दे सकता हैः

परन्तु किसी मामले में जिसमें आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो, ऐसे आदेश देने से पहले आयोग से परामर्श करना होगा।

**RULES 19** – कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया– नियम 16,17 व 18 में किसी बात के होते हुए भी –

1. जहाँ सरकारी कर्मचारी किसी फौजदारी आरोप में दोषसिद्ध हुआ हो या,
2. जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी का ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जायेंगे कि उक्त नियमों में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है या,
3. जहाँ राज्यपाल का समाधान हो जाये कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करना समीचीन नहीं है। तो अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकेगा तथा ऐसा ओदश जो वह उपयुक्त समझे, दे सकेगा।

परन्तु आयोग से परामर्श वाले मामले में आयोग से परामर्श लिया जायेगा।

टिप्पणी :– यदि कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 311(2) के अधीन कारण बताने का अवसर देना युक्तियुक्त रूप से साध्य है या नहीं तो ऐसे व्यक्ति को एक ही अपील का अधिकार होगा।

## राजस्थान सेवा नियम (R.S.R.)

**नियम 86 (1)**अवकाश समाप्ति के पश्चात अनुपस्थिति– एक कर्मचारी बिना अवकाश अथवा सक्षम–अधिकारी द्वारा उसके आवेदित अवकाश की स्वीकृति करने से पूर्व ही अपने पद/कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो उसे कर्त्तव्यों से जानबूझ कर अनुपस्थित रहना माना जावेगा जब तक सन्तोषप्रद कारण बताने पर उक्त अनुपस्थिति को अवकाश स्वीकृत–कर्ता प्राधिकारी द्वारा, उसे देय अवकाश

स्वीकृत कर नियमित नहीं कर दिया जाता है अथवा असाधारण–अवकाश में परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है।

**नियम 86 (2) (क)**–एक कर्मचारी जो स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के बाद अथवा अवकाश वृद्धि की मना कर देने पर अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो वह उक्त अनुपस्थिति की अवधि के लिए किसी प्रकार कोई वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा एवं ऐसी अनुपस्थिति की अवधि को असाधारण अवकाश में परिवर्तित कर दी जावेगी जब तक अवकाश स्वीकृति–कर्त्ता अधिकारी द्वारा उसे संतोषप्रद कारण प्रेरित करने पर अनुपस्थिति की अवधि को देय अवकाश में स्वीकृत कर नियमित नहीं कर दिया जाता है।

**नियम 86 (2) (ख) :–** अवकाश की समाप्ति पर अपने पद के कर्त्तव्यों से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित एक राज्य कर्मचारी को, अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए दोषी बना देती है।

**राजकीय निर्णय :–** विलोपित

**नियम 86 (3) :–**उपरोक्त उप नियम (1) एवं (2) में समाविष्ट प्रावधानों के होते हुए भी अनुशासन–अधिकृति एक ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो जनबूझकर कर्त्तव्य से एक माह से अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाए (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाहियां प्रारम्भ कर सकता है तथा यदि जानबूझकर अनुपस्थित रहने का आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसे सेवा से निष्कासित किया जा सकता है।

**राजकीय निर्णय (1) :–** कर्त्तव्य से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थिति पर कार्यवाही–कर्त्तव्य/सेवा से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थिति, चाहे उस अवधि को अवकाश स्वीकृत कर आवृत्त नहीं किया गया हो, पदाधिकार को समाप्त नहीं करती। ऐसी अनुपस्थिति की सेवा अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिए जैसे वार्षिक वेतन वृद्धि अवकाश एवं पेन्शन आदि के लिए सेवा की शून्यकाल अवधि मानना होगा। जहाँकर्त्तव्यों से अनुपस्थिति किसी स्वीकृत अवकाश की निरन्तरता में नही हो, अर्थात केवल स्वेच्छा से अनुपस्थिति हो वहां उसे पेन्शन प्रयोजनों के लिये सेवा में व्यवधान माना जावेगा तथा पूर्व की सेवा को जप्त हुई माना जावेगा।

**राजकीय निर्णय (2):–** स्वीकृत अवकाशों से अधिक समय रूंकने पर कार्यवाही–कई बार सन्देह प्रकट किया गया है कि ऐसे मामलों को जिस प्रकार तय किया जावे, जहाँएक कर्मचारी उसे स्वीकृत अवधि के असाधारण अवकाशों के उपभोग के बाद भी अधिक रूक जाता है, अर्थात सेवा पर नहीं आता। इस प्रश्न की जाचं की गई है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि यह नियम अनुशासनिक अधिकारियों के राजस्थान नागरिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत प्रदत्त उन अधिकारों को वापिस नहीं लेता है अर्थात कोई प्रतिबन्ध नहीं लगता है, जिसके अनुसार एवं अनुशासनिक प्राधिकारी, कर्त्तव्यों से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित अथवा स्वीकृत अवकाशों के बाद अधिक रूकने (over stayal) के दुराचरण के आधार पर, अनुशासनिक कार्यवाही कर कोई शास्ति (penaliy) आरोपित कर सकता है। अतः उन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही कर कर्त्तव्यों से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थिति अथवा स्वीकृत अवकाशों के बाद अधिक रूकने, चाहे वह अवधि एक दिन की ही क्यों न हो, सम्बन्धी मामलों को उनकी परिस्थितियों के आधार पर निपटाया जा सकता है। विज्ञप्ति संख्या एफ.1(33)वित्त/(ग्रुप–2) 78 दिनांक 8.4.1986 द्वारा तुरन्त प्रभाव से जोडा गया ।

---

1. वित्त विभाग अधिसूचना एफ.1(35)वित्त(ग्रुप–2)/78 दिनांक 22.02.79 द्वारा निविष्ट।
2. वित्त विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ.1(3)वि.वि.(ग्रुप–2)/78 दिनांक 22.02.79।

## भाग–य Communication Skill (सम्प्रेषण कौशल)

**सम्प्रेषणः–**सम्प्रेषण की समुचित व्यवस्था के अभाव में कोई भी प्रशासकीय संगठन प्रभावी नहीं हो सकता। एक प्रबन्धक को प्रतिदिन अपने सहकर्मियों, अधीनस्थों, उच्च अधिकारियों, कर्मचारी संघों, उपभोक्ताओं वितीय संस्थाओं, सरकारी अधिकारियों आदि से सम्पर्क बनाये रखना पड़ता है। संगठन अपने स्वरूप में अत्यधिक विकसित है, यह तभी माना जा सकता है जब उसके संचालन एवं नियंत्रण स्तर पर कार्य की एवं कार्य की प्रगति से सम्बन्धित सूचनाओं का निशचित समय पर आदान प्रदान होता रहें।

**प्रभावी सम्प्रेषणः**—सम्प्रेषण प्रबन्ध का एक आधारभूत कार्य ही नहीं, वरन् प्रबन्ध की प्रथम समस्या भी है। संगठन में आंतरिक/आपसी सहयोग एवं समन्वय की प्राप्ति के लिये सम्प्रेषण एवं सूचना का होना नितान्त आवश्यक है। आज का युग संचार व्यवस्था का युग है। संचार साधनों के बलबूते पर ही हम एक विश्व की दिशा में अग्रसर हो रहें हैं।
विस्तृत शब्दों में सम्प्रेषण एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों, तथ्यों, अर्थों, मनोभावना, सम्मतियों दृष्टिकोण आदि का आदान—प्रदान करते हैं। यह सन्देश दाता तथा सन्देश प्राप्तकर्ता के बीच अर्थ एवं भावना के साथ—साथ समझ का भी विनिमय है। सम्प्रेषण के अर्थ को निम्न चित्र के माध्यम से भी समझा सकता है
प्रेषक

सन्देश/विचार → माध्यम → समझ

किसी संगठन में संचार निम्नानुसार होता है—
**प्रथम—** आतंरिक संचार का सम्बन्ध संगठन तथा कर्मचारियों के मध्य के सम्बन्धों से होता है।
**द्वितीय—** ब्रहया संचार का सम्बन्ध जनता और संगठन के अभिकरणों के सम्बन्धों से होता है और इसे लोक सम्बन्ध कहते हैं।
**तृतीय—**अन्तर्वेयक्तिक संचार का सम्बन्ध अधिकरण के कर्मचारियों के अपने आपस के ही अन्तः सम्बन्धों से होता है।

**Up Down Across**

**पुलिस विभाग में सम्प्रेषणः—**
हमारे लोकतांत्रिक देश के किसी भी राज्य में पुलिस प्रशासन में संचार की स्थिति निम्न प्रकार है—
**महानिदेशक पुलिस** — अति. महानिदेशक पुलिस — महानिरीक्षक पुलिस — उप महानिरीक्षक पुलिस — पुलिस अधीक्षक — अति. पुलिस अधीक्षक — पुलिस उप अधीक्षक — पुलिस निरीक्षक — उप निरीक्षक पुलिस —सहायक उप निरीक्षक पुलिस — हैड कानि./मुख्य आरक्षी —कानि./आरक्षी

**सम्प्रेषण का महत्व—** सम्प्रेषण के महत्व को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है—
- आदेशों और निर्देशों का सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को सही तथा स्पष्ट हस्तान्तरण करना।
- कर्मचारियों को संस्था की प्रगति से अवगत कराना।
- विचारों तथा सूचनाओं का स्वतन्त्र आदान प्रदान करना।
- संस्था की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों से कर्मचारियों को भली प्रकार अवगत कराना ताकि किसी भी कठिनाई के समय सम्बन्धित अधिकारी से तुरन्त सम्पर्क किया जा सके।
- संस्था के प्रबन्ध में कर्मचारियों से आवश्यक सूचनायें और सुझाव प्राप्त करना।
- मधुर मानवीय सम्बन्धों का निमार्ण करना ताकि संगठन में कुशलता बनी रहे।
- संगठन के कर्मचारियों को समय समय पर विकास सम्बन्धि जानकारी प्रेषित करना।
- कर्मचारियों की कार्य के प्रति इच्छा जागृत करना और उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि के प्रयास करना।
- संस्था के नवीनीकरण को स्वीकार करने के लिये कर्मचारियों को तैयार करना।
- एक निशचित विचार प्रवाह का ढॉचा तैयार करना ताकि गलत धारणायें नहीं पनप पायें।

**माध्यम के आधार पर प्रकार — 1.**मौखिक सम्प्रेषण 2.लिखित सम्प्रेषण

1. **मौखिक सम्प्रेषण** (Verbal Communication)— जहां वाणी अथवा शब्दों के उच्चारण द्वारा पारस्परिक रूप से सन्देशों का आदान—प्रदान किया जाता है तो इसे मौखिक सम्प्रेषण कहा जाता है। इसमें प्रेषक एवं, प्रेषित आमने—सामने रहकर अथवा वे किसी यंत्र के माध्यम से आपस में सन्देशों का विनिमय कर सकते है। यह सर्वाधिक प्रचलित एवं प्रभावशाली माध्यम माना जाता है। लारेन्स ऐप्पले का कथन है कि ''मौखिक शब्दों से पारस्परिक सम्प्रेषण करना सन्देशवाहन की सर्वोत्तम कला है।''

मौखिक सम्प्रेषण के कई ढंग हैं, जैसे– प्रत्यक्ष बातचीत, भेटवार्ता, संगोष्ठी, सभा, भाषण, विचार–विमर्श,रेडियो वार्ता, साक्षात्कार, सम्मेलन, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आदि। विभिन्न अनुसंधानों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रबंधक वर्ग अपने कुल सम्प्रेषण समय का 75% समय मौखिक सम्प्रेषण द्वारा सन्देशों का विनिमय करते हैं।

**मौखिक सम्प्रेषण के लिए निम्न तकनीक अपनाई जाती हैं–**

- हाव–भाव, वाणी व शब्दों की अभिव्यक्ति के कारण यह सर्वाधिक प्रभावशाली होता है।
- अस्पष्टता या निवारण तत्काल हो जाता है।
- सन्देशों को शीघ्र पहुँचाया जा सकता है।
- प्रत्यक्ष सम्पर्क के कारण प्रतिक्रिया की जानकारी हो जाती है।
- यह लोचशील है जिसका आवश्यतानुसार समायोजन सम्भव है।
- भ्रमों, गलतफहमियों आदि का निवारण सुगमता से होता है।
- वाक–चातुर्य से परस्पर सहयोग बढता है।
- इसमें समय, धन व श्रम की बचत होती है।
- इसमें शब्दों के साथ– साथ चित्रों, चार्टों एवं संकेतों आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है।
- महत्वपूर्ण बिन्दुओं का स्पष्टीकरण करना सरल होता है।
- प्रेषक तथा प्रेषित के बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क बना रहता है।
- कर्मचारियों में समूह भावना का विकास होता है।
- परामर्शीय प्रबन्ध को प्रोत्साहन मिलता है।

**मौखिक सम्प्रेषण की बाधाएँः–**

- इसमें दोनों पक्षों की उपस्थिति आवश्यक होती है।
- इसका सही–सही अभिलेख उपबन्ध न होने पर भावी सन्दर्भ देना कठिन हो जाता है।
- महत्वपूर्ण बिन्दू छूट जाने का भय रहता है।
- लिखित साक्ष्य का अभाव रहता है। प्रमाण जुटाना कठिन होता है।
- सोचने के लिये अपर्याप्त समय रहता है।
- मौखिक सन्देश से जिम्मेदारी की भावना नहीं आ पाती है।
- इस माध्यम से सन्देश में व्यक्तित्व एवं भावनात्मक बाधाएँ खड़ी जो जाती हैं।
- सभी कही गयी बातों को सुनना व समझना कठिन होता है।
- शब्दों का सही चुनाव न हो पाने पर सन्देश में अस्पष्टता आने का डर रहता है।
- अधिक लम्बे मौखिक सन्देश प्रभावहीन होते हैं।
- प्रेषक प्रेषिति के बीच भौतिक दूरी होने पर यह सम्प्रेषण खर्चीला पडता है।

2. **लिखित सम्प्रेषण** ( Written Communication ) – लिखित सम्प्रेषण से आशय प्रेषक द्वारा किसी सन्देश को लिखित रूप से प्रेषण करने से है। लिखित सम्प्रेषण के लिए पत्र, पत्रिकायें, बुलेटिन, प्रतिवेदन, हैण्डबुक, मैन्युअल, सुझाव पुस्तिकाएँ, ग्राफ चित्र, परिपत्र, कार्य वृत्तान्त आदि का प्रयोग किया जाता है।

लिखित सम्प्रेषण अत्यन्त महत्वपूर्ण माध्यम है। अतः इसको तैयार करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। कीथ डेविस के अनुसार किसी संवाद को लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिएः–

- सरल शब्दों व मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए।
- छोटे एवं प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।
- व्यक्तिगत सर्वनामों जैसे ''तुम'' और ''वह'' का प्रयोग करना चाहिए।
- उदाहरणों, दृष्टान्तों व चार्टों का प्रयोग करना चाहिए।
- छोटे–छोटे वाक्यों तथा अनुच्छेदों का प्रयोग करना चाहिए।
- वाक्य की संरचना ''एक्टिव वाइस'' (Active-voice) – के प्रयोग पर आधारित होना चाहिए।
- अलंकारों एवं विश्लेषणों का न्यूनतम प्रयोग किया जाना चाहिए।
- विचारों की अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष एवं तक्रयुक्त होनी चाहिए।
- अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

**लाभ** (Advantages) – लिखित सम्प्रेषण के निम्नलिखित लाभ हैंः–
- स्पष्टता रहती है तथा इनका प्रमाण उपलब्ध रहता है।
- इन्हें भावी सम्दर्भ के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
- यह विस्तृत संदेशों के लिए उपयोगी रहता है।
- इसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण आसान होता है।
- इसमें अर्थ की समानता रहती है।
- इसमें भाषा, व्यक्तिव्त एवं भावनात्मक बाधाओं पर सुगमता से नियंत्रण किया जा सकता है।
- परस्पर अविश्वास के समय यह उपयुक्त रहता है।
- यह अपेक्षाकृत कम खर्चीला होता है। इसमें एक साथ अनेक व्यक्तियों को सूचना देना आसान होता
- भौतिक दूरी बाधक नहीं होती है।

**दोष** (Advantages) –लिखित सम्प्रेषण के दोष निम्नानुसार हैंः–
- इसमें समय, धन व श्रम का अपव्यय होता है।
- प्रेषिति की प्रतिक्रियाओं का तत्काल ज्ञान नहीं हो पाता है।
- इसमें गोपनीयता भंग हाने का भय रहता है।
- इसमें भ्रमों व सन्देहों के निवारण में समय लग जाता है।
- लिखित सन्देश में अनेक औपचारिकताएँ पूरी की जाती हैं। सन्देश तैयार करने एवं भेजने में अधिक समय लगता है।
- प्रत्येक सन्देश को लिखना व भेजना सम्भव नहीं होता है। सन्देश के पहुँचने में भी संदेह रहता है।
- लिखित सन्देश का तत्काल मूल्यांकन करना सम्भव नहीं होता।
- लिखित सन्देश में सुधार करना जटिल होता है।

इन सब दोषों के उपरान्त भी लिखित सम्प्रेषण बहुत उपयोगी होता है। तकनीकी, औपचारिक एवं वैधानिक प्रकृति के सम्प्रेषण तो लिखित ही होते हैं। अधिक लम्बे, आँकडे युक्त सन्देशों के लिखित माध्यम से ही अपनाना पडता है। अनेक वैधानिक सभाओं की नियमावलियाँ, कार्यवली, सूक्ष्म आदि लिखित रूप से सम्प्रेषित किये जाते हैं।

**सम्प्रेषण की बाधायें–(Barriers to Communication)** सम्प्रेषण में अनेक भौतिक मनोवैज्ञानिक एवं अर्थगत बाधायें उत्पन्न हो जाती हैं। भौतिक बाधायें वातावरण– शोरगुल, समय की कमी के कारण उत्पन्न होती है। मनोवैज्ञानिक बाधायें भावनाओं, पद स्थिति, वैयक्तिक विचार, सामाजिक मूल्यों आदि घटकों से सम्बन्धित है। अर्थगत बाधायें, प्रेषक एवं प्रेषिति की योग्यता, भाषा ज्ञान एवं अनुभव के कारण भी उत्पन्न होती है।

प्रमुख बाधायें निम्नगत हैं–

1.संगठन संरचना 2.भाषा सम्बन्धी 3.तकनीकी बाधायें 4.वैयक्तिक भिन्नतायें 5.पद एवं प्रस्थिति 6.भावनात्मक स्थिति 7.आत्म विश्वास का अभाव 8.मनोवैज्ञानिक भावना 9.पदोन्नती की कामना 10.उच्च अधिकारियों की उपेक्षा 11.भौगोलिक बाधायें 12.मानवीय सम्बन्ध विषयक बाधायें 13.विकृत उद्धेश्य 14.अर्द्ध श्रवण 15.पूर्व मूल्याकंन 16.स्त्रोत की विश्वनीयता 17.समयाभाव 18.अनौपचारिक सम्प्रेषण 19.परिवर्धन का विरोध

**Listening Skills** -किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को श्रोता द्वारा निर्बाध रूप से जैसे कही गई है। उसी रूप में सुनना ही सुनने की कला है। ऐसा करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ख्याल रखना चाहिए–

1.मन एकाग्रचित करके सुनें। 2. Eye Control बनाये रखना।
3. बीच में अनावश्यक रोक टोक ना करें। 4.वक्ता को अपनी बात पूरी करने दें।
5.प्रश्न या उतर देते समय बोलने से पहले सही सुनें, समझें। 6.समझ नहीं आने पर पूछें।
7.वक्ता की बात व कहने के तरिके पर गौर करें। 8.ऐसी किसी भी तरह के हाव–भाव ना प्रकट करें जिससे वक्ता स्वयं को असहय महसूस करें। 9.वक्ता को बिना बोले ही एहसास दिलाएं कि आप उनकी बात सुन रहे हैं व समझ रहे हैं।

**Body Language and its importance in police working -** पुलिस विभाग ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक व्यक्तिगत या व्यावसायिक क्षेत्र में सम्प्रेषण के लिए सही भाषा अत्यन्त आवश्यक है। चूँकि पुलिस एक ऐसा विभाग है जो जनता से पूर्ण रूप से जुड़ा है ऐसे में पुलिसकर्मी का जन सम्पर्क के दौरान प्रभावित करने वाला तथा वक्तव्य को सार्थक बनाता है।

1.चेहरें पर मंद मुस्कान रखें। 2.शांत रहें।
3. Eye Control बनाये रखना। 4.श्रोता की तरफ आत्मविश्वास भरी निगाहों से देखें।
5.दोनों पैरों पर खड़े हों। 6.अपने और अपने श्रोता के बीच किसी वस्तु या सामान को ना आने दें।
7.अपनी भाषा स्पष्ट रखें। 8.चेहरा और हाथों की अनावश्यक प्रतिक्रिया ना करें।
9.अपने और श्रोता के बीच ज्यादा नजदीकी या दूरी न रखें।
10.आपके द्वारा पहने गए कपड़े साफ–सुथरे व आपके व्यक्तित्व को दर्शाने वाले हों।

पुलिस कार्यप्रणाली में अपने अधिकारी, अधीनस्थ या जनता से रूबरू होते समय अपनी बॉडी लेंग्वेज का सही रखने पर संचार पूर्ण रूप से हो पाता है तथा एक परिपक्व पुलिसकर्मी की छवि उभर कर आती है।

**1. Recording of Statements** :– पुलिस कार्यप्रणाली में पुलिस कर्मी द्वारा लिए गए बयान एक अहम भूमिका निभाते हैं इसलिए उन्हें लेते समय पुलिस कर्मी को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए :–

- बयान रिकॉर्ड करते समय ध्यानपूर्वक सुनें फिर लिखें।
- लेख स्वच्छ एवं स्पष्ट हो।
- कहे गये वाक्यों को तोड़ मरोड़ कर ना लिखे।
- अनावश्यक शब्दों का समाकलन नहीं हो।
- एक ही अक्षर या वाक्य की बार बार पुनरावृति ना हो।

**2. Describing a Picture/Scene-** पुलिस विभाग में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस कर्मियों को जनता के बीच जाना पड़ता है। और घटित हुई घटनाओं का दृश्य विवरण फोन, ई–मेल, रिपोर्ट या वायरलेस मैसेज, रेडियोग्राम द्वारा अपने उच्चस्थ अधिकारियों को शीघ्रता से देना होता है। ऐसे में घटित विवरण किसी डकैती, लूट, जुलूस, रैली या प्रदर्शन का ही क्यों न हो, एक गलत शब्द या वाक्य पूरे घटनाक्रम की दिशा ही मोड़ सकता है इसलिए कियी भी पिक्चर या सीन का वृतांत करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए:–

1. किसी भी दृश्य को सुनाते या लिखते समय अनावश्यक भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन न करें।
2. दृश्य का सार कम शब्दों में हू–ब–हू स्पष्ट करें।
3. लिखते या बोलते समय भाषा स्पष्ट रखें।
4. अपनी बात श्रोता या प्रेषक को सही अर्थों में समझाने की कोशिश करें ।
5. अर्नगल मुद्दों को उसमें न शामिल करे।
6. कम एवं स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करे।
7. आप द्वारा मौके पर लिए गए कानूनी स्टेप का भी विवरण दें।

**Report Writing-** रिर्पोट से आशय उस पत्र लेखन से है जिसमें किसी समस्या या विषय को इंगित किया गया हो उससे सबंधित सभी तथ्यों का रिपोर्ट में समांकलन हो तथा विषय के सभी तथ्यों को इस तरह से उजागर किया जाये कि विषय या समस्या का समाधान भी स्पष्ट हो और अंत में रिपोटकर्ता द्वारा समस्या के समाधान/निराकरण हेतु सुझाये गये **Recommendations** को **Include** किया गया हो।

रिपोर्ट लेखन में निम्न संग्रह हो–

1. शीषर्क 2.**Index** (अनुक्रमाणिका) 3.**Acknowledgements**
4.**Summary** (सारांश) 5.**Contents Page** (विषय–वस्तु)
6.**Introduction** (प्रस्तावना) 7.**Findings** 8. **Conclusions** (निष्कर्ष)
9. **Recommendations** (शिफारिशें) 10. **Appendices** (परिशिष्ठें)
11. **References** (संदर्भ) 12. **Biography** (जीवन–वृत)

## पुलिस कार्यप्रणाली में प्रयोग होने वाले कुछ शब्दः–

| हिन्दी अंग्रेजी शब्दावली | | | |
|---|---|---|---|
| अन्वेषण | Investigation | प्रत्याहरण | Withdrawal |
| अन्तिम रिर्पोट | Final Report | प्रथायें | Usage |
| अग्रिम जमानत | Anticipatory Ball | पुलिस अभिरक्षा | Police Custody |
| अनुच्छेद | Article | पूर्वाग्रह | Prejudice |
| अभियुक्त | Accused | बाधा | Obstruction |
| अभित्याजक | Deserter | भारसाधक अधिकारी | Office in charge |
| अपराध अभिलेख | Record of Crime | मफरूर | Absconded |
| असंज्ञेय अपराध | Non-Congizable offence | मतता | Intoxication |
| अपराधों का निवारण | Prevention of Crime | मानचित्र | Map |
| अधिकारिता | Jurisdiction | मृत्युकालीन घोषणा | Dying Decleration |
| अपहरण | Abduction | यथार्थ | Reality |
| आरक्षी | Constable | रासायनिक परीक्षण | Chemical Examination |
| आंशकित अपराधी | Suspected Offender | रिमाण्ड | Remand |
| आरोप पत्र | Charge Sheet | रूढ़ियां | Custom |
| उपेक्षा | Negligency | लावारिस | Unclaimed |
| कार्यवाही शिनाक्ती | Identification Parade | लोक न्यूसेन्स | Public Nuisance |
| चिकित्सीय परीक्षण | Medical Examination | लोक सम्पति | Public Property |
| चिकित्या न्यायशास्त्री | Medical Jurist | व्ययन | Disposal |
| जमानत मुचलके | Bail Bonds | व्यपहरण | Kidnapping |
| जब्ती | Seizure | विधि विरूद्ध जमाव | Unlawful assembly |
| तलाशी | Search | शास्ती | Penalty |
| तितर बितर | Disperse | सम्प्रेषण | Observation |
| न्यायिक अभिरक्षा | Judicial Custody | संज्ञेय अपराध | Cogniable offence |
| नियम विनियम | Rules Regulation | संदेहास्पद स्थान | Suspected Place |
| पद सोपान | Hierarchy | संरचना | Construction |
| पद नाम | Designation | संस्वीकृति | Confession |
| प्रथम सूचना रिपोर्ट | First Information Report | स्वेच्छापूर्वक | Voluntarily |
| प्रथम दृष्ट्या | Primfacie | संभोग | Sexual Intercourse |
| | | क्षोभ | Annoyance |

**Etiquettes in Communication** :–सम्प्रेषण में etiquettes का होना अति आवश्यक है क्योंकि etiquettes के बिना सम्प्रेषण को निम्नलिखित प्रभावहीन etiquettes का ध्यान रखना चाहिए।

- सम्प्रेषण करते समय एक पैर पर वजन डालते हुए न खड़ें हों और न ही वक्ता या श्रोता को अनदेखा कर दूसरी तरफ देखें।
- गर्दन हिला कर अपनी सम्मति प्रकट करें।
- नाक, गाल या दांत में अंगुली न डालें।
- वक्ता या श्रोता को देखकर चेहरे पर भाव प्रकट करें।
- अशिष्ट भाषा का उपयोग न करें।
- सम्प्रेषण का माध्यम वही अपनाएं जिस भाषा को दोनों ही अच्छी तरह से समझ सके।
- बातचीत के दौरान वक्ता या श्रोता की उम्र, लिंग और रैंक का ध्यान रखना चाहिए।

## नेतृत्व का अर्थ एवं परिभाषाएँ (Meaning and Definitions Leadership)

अलग–अलग संदर्भों में नेत्त्व का अर्थ भिन्न–भिन्न लगाया जाता है। सामान्य शब्दों में, नेतृत्व दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने की एक ऐसी शक्ति है जिससे कि उन्हें सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में स्वेच्छा से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सके। यह एक ऐसी कला है जिसमें अनुयायी अपने पूर्वाग्रहों, पूर्व निर्धारित सोच तथा कार्य करने के ढंग को त्याग कर नेतृत्व द्वारा बनाये गये पथ पर चलते हुए अपना सर्वोत्तम योगदान संस्था को देकर, इसके लक्ष्यों की प्राप्ति को सम्भव बनाते हैं। नेतृत्व को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। इनमें से कुछ एक प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं।

**कीथ डेविस** के अनुसार, ''नेतृत्व दूसरे व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को उत्साहपूर्व प्राप्त करने के लिए तैयार करने की योग्यता है। यह एक मानवीय घटक है, जो एक समूह को एक साथ बाँधे रखता है तथा उसे लक्ष्यों के प्रति अभिप्रेरित करता है।

**लिविंग्स्टन** ने बहुत ही नपे तुले शब्दों में नेतृत्व को परिभाषित करते हुए लिखा है कि ''नेतृत्व एक सामान्य उद्देश्य का अनुसरण करने के लिए इच्छा जागृत करने की योग्यता है।''

**स्टोनर एवं उसके सह लेखकों** ने प्रबन्धकीय नेतृत्व को परिभाषित करते हुए लिखा है कि ''प्रबन्धकीय नेतृत्व एक समूह के सदस्यों की कार्य सम्बन्धित क्रियाओं को निर्देशित एवं प्रभावित करने की प्रक्रिया है।''

**कून्ट्ज एवं ओ, डोनेल** लिखते हैं कि ''नेतृत्व एक लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अन्तर्व्यैक्तिक प्रभाव डालने की योग्यता है''

**पॉल हरसे तथा के.एच.ब्लेन्कार्ड** ने तो नेतृत्व प्रक्रिया को नेता, अनुयायी एवं अन्य परिस्थितिजन्य चरों का कार्यात्मक सम्बन्ध बताते हुए उसे एक सूत्र की सहायता से स्पष्ट किया है। उनके अनुसार

L=F (l,f,s)

L=नेतृत्व

F=कार्य

L=नेता

F=अनुयायी

S=अन्य परिस्थितिजन्य चर या घटक

उपर्युक्त विचारों के विश्लेषण करने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि नेतृत्व दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की कला है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ''नेतृत्व सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में स्वैच्छिक एवं उत्साहपूर्वक कार्य करने हेतु व्यक्तियों के व्यवहार, मनोवृतियों एवं क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया या कला है।''

## नेतृत्व की विशेषताएँ

नेतृत्व एक बहुआयामी शब्द है, जिसे अनेक विद्वानों ने अपने–अपने दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है। अतः नेतृत्व को भलीभाँति समझने के लिए नेतृत्व की विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। नेतृत्व की कुछ मूलभूत विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :–

1. **नेतृत्व क्षमता विकसित एवं अर्जित की जा सकती है** – नेतृत्व के बारे में सामान्य विश्वास यह है कि नेता जन्म लेते हैं, बनाये नहीं जात। किन्तु आधुनिक समय में इस विश्वास का कोई महत्व नहीं रहा है। अब यह धारणा बलवती होती जा रही है। कि नेता केवल जन्म ही नहीं लेते वरन् उनको बनाया भी जा सकता है। भिन्न शब्दों में कुशल नेतृत्व के लिए जन्मजात प्रतिभा का होना आवश्यक नहीं है। अब व्यवस्थित शिक्षण एवं प्रशिक्षण के माध्यम से एसे व्यक्तियों में भी नेतृत्व के गुणों का विकास किया जा सकता है, जिनमें नेतृत्व के गुणों का अभाव है अथवा नेतृत्व की जन्मजात प्रतिभा की कमी है। प्रबन्ध संस्थानों से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में उतीर्ण होने वाले प्रबन्ध स्नातक तथा उनका अपने आप को सफल नेता के रूप में स्थापित करना इसका ज्वलन्त उदाहरण है।

2. **अनुयायी** – बिना अनुयायियों के नेतृत्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिनके अनुयायी नहीं होते उनके नेता भी नहीं होते। जिस प्रकार किसी सिक्के की पूर्णता के लिए दोनों पहलुओं का होना आवश्यक समझा जाता है उसी प्रकार नेतृत्व की पूर्णता के लिए अनुयायियों के समूह का होना आवश्यक समझा जाता है।

3. **दूसरों को प्रभावित करने की कला** – नेतृत्व सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयासों को नियोजित करने हेतु दूसरों को प्रभावित करने की एक कला है। एक सफल नेतृत्व दूसरों की कार्य करने की इच्छा को इस प्रकार प्रभावित करता है कि वे अपने पूर्वाग्रहों, पूर्व निर्धारित सोच एवं दृष्टिकोणों को त्याग कर पूर्ण मनोयोग से संस्थागत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्साह एवं लगन के साथ कार्य करने हेतु अभिप्रेरित होते हैं।

4. **अभिप्रेरित करने की कला** – एक सफल नेतृत्व अपने अनुयायियों को हांकता नहीं है, वह उनसे जोर जबरदस्ती कार्य नहीं लेता वरन् उन्हें स्वेच्छापूर्वक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है। एक सफल नेता अपने अनुयायियों की विविध आवश्यकताओं का अध्ययन करता है।

5. **अन्तर्व्यैक्तिक सम्बन्ध** – नेतृत्व का आधार नेता एवं उसके समूह के सदस्यों के मध्य अन्तर्व्यैक्तिक सम्बन्ध है। एक नेता अपने समूह के सदस्यों को प्रभावित करता है तथा साथ ही समूह के सदस्य भी नेता को प्रभावित करते हैं। एक कुशल नेता दूसरों की इच्छाओं को परस्पर सम्बन्धित कर उन्हें एक दल के रूप में कार्य करने हेतु तैयार करता है।

6. **सतत् प्रक्रिया** – नेतृत्व एक निरन्तर प्रक्रिया है। एक नेता अपने समूह के सदस्यों के व्यवहार को प्रभावित करने हेतु निरन्तर प्रयास करता है। वह इस प्रक्रिया को अपने अनुयायियों के सम्पूर्ण समूह के साथ द्वि–मार्गीय सन्देशवाहन का स्वतंत्र प्रवाह बनाये रख कर संचालित करता है।

7. **सामान्य लक्ष्य (Common goals)** – नेतृत्व सामान्य लक्ष्य की प्राप्ती हेतु व्यक्तियों के स्वैच्छिक कार्य करने के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता अथवा योग्यता है। **टेरी** एवं **फेन्कलिन** के मतानुसार 'नेतृत्व पारस्परिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्वैच्छिक प्रयास करने के लिए व्यक्तियों को प्रभावित करने की क्रिया है।' इस प्रकार नेतृत्व में नेता एवं उसके अनुयायियों के मध्य सामुदायिक हितों का समावेश होता है।

8. **सत्ता (Power)** – नेतृत्व सत्ता पर आधारित है एक व्यक्ति जो दूसरों पर सत्ता रखता है, नेता है। इस सत्ता के बल पर ही एक व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों के व्यवहार को प्रभावित करने की स्थिति में होता हैं एक व्यक्ति के सत्ता है – I श्रेष्ठ ज्ञान, सूचना, अनुभव अथवा निष्पादन, II औपचारिक सत्ता, III करिश्मा IV व्यक्तित्व गुण।

9. **औपचारिक एवं अनौपचारिक (Formal and informal)** – नेतृत्व औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। जब एक व्यक्ति अपने औपचारिक संगठनात्मक सम्बन्धों के कारण नेतृत्व प्रदान करता है तो वह औपचारिक नेता होता है। किन्तु ऐसे नेता को कई परिस्थितियों में अपने अधीनस्थों या समूह को अनौपचारिक नेतृत्व भी प्रदान करना पड़ता है जब कोई व्यक्ति किसी समूह या अनुयायियों का नेतृत्व अनौपचारिक सम्बन्धों के कारण करता है तो वह अनौपचारिक नेता होता है। उदाहरणार्थ, श्रम संघ नेता, छात्र नेता, समाज का नेता, राजनैतिक नेता आदि।

10. **नेतृत्व एवं प्रबन्ध भिन्न है (Leadership and management are distinct)** – नेतृत्व एवं प्रबन्ध र्प्यायवाची नहीं हैं। यह दोनों एक – दूसरे से भिन्न है। सभी प्रबन्धक नेता नहीं होते। प्रबन्धक को अधीनस्थों के प्रति औपचारिक सत्ता अपनी नेतृत्व क्षमता का उपयोग दूसरों को कार्य में लक्ष्यों की प्राप्ती में स्वैच्छिक सहयोग देने के लिए प्रेरित करने हेतु करता है।

## नेतृत्व एवं प्रबन्ध (Leadership and Management) –

नेतृत्व एवं प्रबन्ध के सम्बन्ध में दो परस्पर विरोधी विचारधाराएँ अस्तित्व में है। एक विचारधारा के अनुसार नेतृत्व एवं प्रबन्ध एक समान अथवा समानार्थक है, जबकि दूसरी विचारधारा के अनुसार नेतृत्व एवं प्रबन्ध में अनेक भिन्नताएँ विद्यमान है।

प्रथम विचारधारा के समर्थक नेतृत्व एवं प्रबन्ध में अनेक समानताएँ देखते है। उनके अनुसार दोनों समान प्रकार के कार्यो जैसे अभिप्रेरण करने एवं भूमिका प्रदान करने आदि का सम्पादन करते है दानों में कई गुण, जैसे –कल्पनाशक्ति, आत्मविश्वास, पहलपन, महत्त्वाकांक्षा आदि समान रूप से पाये जाते है, दोनों को एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, दोनों ही दूसरों के कार्यों को दिशा देते है तथा दोनों की कार्यशैली बड़ी सीमा तक मिलती – जुलती है। अतएव, प्रथम विचारधारा के समर्थक मानते है कि नेतृत्व एवं प्रबन्ध में कोई मौलिक अन्तर नहीं है तथा दोनो समान है।

इसके विपरीत, दूसरी विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि कुछ समानताएँ विद्यमान होने के बावजूद भी नेतृत्व एवं प्रबन्ध को एक नहीं माना जा सकता क्योंकि, इन दोनों में मूलभूत अन्तर विद्यमान है। वस्तुत नेतृत्व एवं एक नहीं है। **बेनिस** ने तो यहाँ तक लिखा है कि ''मैं बहुत सी संस्थाओं को जानता हूँ जिनका प्रबन्ध बहुत अच्छा किया जाता है किन्तु उनका नेतृत्व बहुत घटिया है।'' नेतृत्व एवं प्रबन्ध के अन्तर को निम्नलिखित तालिका की सहायता से आसानी से समझा जा सकता है –

| **क्र. सं.** | **अन्तर का आधार** | **नेतृत्व** | **प्रबन्ध** |
|---|---|---|---|
| 1. | अर्थ | नेतृत्व लक्ष्यों की प्राप्ती हेतु व्यक्तियों को स्वैच्दिक रूप से कार्य करने हेतु प्रभावीत करने की प्रक्रिया या कला है। | प्रबन्ध दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला एवं विज्ञान है। |
| 2. | संगठनों के प्रकार | नेतृत्व औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के संगठनों में विद्यमान होता है। | प्रबन्ध केवल औपचारिक संगठनों में ही पाया जाता है। |
| 3. | सम्बन्ध | नेतृत्व में नेता एवं अनुयायी का सम्बन्ध पाया जाता है | प्रबन्ध में प्रबन्धक एवं अधीनस्थ का सम्बन्ध पाया जाता है। |
| 4. | क्षेत्र | नेतृत्व का क्षेत्र संकुचित है यह प्रबन्ध के कार्यो में से एक कार्य मात्र है। | प्रबन्ध का कार्य संस्था की क्रियाओं का नियोजन, संगठन निर्देशन एवं नियन्त्रण करना है। |
| 5. | कार्य | नेतृत्व का कार्य सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में लोगों का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करना है। | प्रबन्ध का कार्य संस्था की क्रियाओं का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियन्त्रण करना है। |
| 6. | लक्षयों की प्राप्ति | नेतृत्व अन्यों को प्रभावित एवं प्रेरित करके लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। | प्रबंध अन्यों की क्रियाओं का निर्देशन एवं नियन्त्रण करते हुए उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। |
| 7. | मार्ग दर्शन | नेतृत्व एक विशेष प्रकार के व्यवहार द्वारा अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करता है। | प्रबन्ध योजनाओं, नीतियों, पद्वतियों, नियमों आदि के माध्यम से अपने अधीनस्थों का मार्गदर्शन करता है\| |
| 8. | उत्पत्ति | नेतत्व का उदय अन्य व्यक्तियों की स्वीकृति से होता है। | प्रबन्धक का पद चयन पर आधारित होता है। |
| 9. | आधार | नेतृत्व का आधार सत्ता है जो अव्यक्तिगत प्रकृति का होता है। | प्रबन्ध का आधार अधिकार है जो उसे किसी पद के धारण करने के कारण मिलता है, अतः यह अव्यक्तिगत प्रकृति का होता है। |
| 10. | स्थिति की निरन्तरता | नेता की स्थिति अनुयायियों की इच्छा या स्वीकृति पर निर्भर है। | प्रबन्ध की स्थिति तब तक निरन्तर रहती है जब तक वह सेवा में बना रहता है तथा संस्था का कार्य संतोषप्रद ढ़ग से निष्पादन करता रहता है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11. | निर्भरता | नेतृत्व प्रबन्ध पर आधारित नहीं है अतः सभी नेताओं का अच्छा प्रबन्धक होना आवश्यक नहीं है। | प्रबन्ध में नेतृत्व भी सम्मिलित है, अतः सभी प्रबन्धकों का अच्छा नेता होना आवश्यक है। |
| 12. | अनुसरण | लोग स्वेच्छा से अपने नेता का अनुसरण करते हैं। | अधीनस्थ प्रबन्धक को अनुसरण इसलिए करते हैं, क्योंकि संस्था के नियमों, विनियमों एवं औपचारिक अधिकार सत्ता के अधीन ऐसा करने के लिए बाध्य हैं। |
| 13. | मूल्यांकन | नेतृत्व का मूल्यांकन दिन–प्रतिदिन के कार्यो से होता है। उसके अनुयायि उसके कार्यो का मूल्यांकन अपने–अपने मापदण्ड के अनुसार करते हैं। | प्रबन्धक का मूल्यांकन एक निश्चित समयावधि में उसके निष्पादन के आधार पर किया जाता है। |

**नेतृत्व का महत्व (Importance of Leadership)-** संगठन की सफलता में नेतृत्व की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। एक संगठन चाहे जितना साधन सम्पन्न क्यों न हो, उसे संगठन में प्रचुर मात्रा में भौतिक संसाधन क्यों न उपलब्ध हों तथा उसमें कितने ही कुशल मानव संसाधनों की नियुक्ति क्यों न की गई हो, यदि संगठन का नेतृत्व अकुशल एवं अक्षम है तो संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति, संस्था की सफलता, कुशलता, प्रभवशीलता, स्थायित्व आदि संदिग्ध ही रहेगा। प्रभवशाली नेतृत्व ही एक सक्रिय संस्था को निष्क्रिय संस्था से अलग करता है। **जॉन जी. गलोबर** ने बिल्कुल उचित लिखा है कि "व्यावसायिक संस्थाओं की असफलता के लिए किसी अन्य कारण की अपेक्षा घटिया नेतृत्व को ही अधिक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।"

संस्था में नेतृत्व के महत्व को इंगित करत हुए **न्यूस्ट्रोम** तथा **कीथ डेविस** लिखते हैं कि "नेतृत्व के बिना एक संगठन केवल व्यक्यिों एवं यन्त्रों का भ्रम मात्र होगा, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे एक आरकेस्ट्रा, बिना संचालक के सम्पत्तियों का पूर्णतः: विकास करने के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है।" संक्षेप मे नेतृत्व के महत्व या कार्यो को निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है–

**1. मार्गदर्शन तथा अभिप्रेरण(Guidance and motivation)–** एक संस्था में नेतृत्व का महत्व इसलिए है कि वह अपने अधीनस्थों एवं अनुयायियों को संस्थागत लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में स्वैच्छिक सहयेाग देने के लिए न केवल अभिप्रेरित करता है वरन् उनका मार्गदर्शन भी करता है। कुशल नेतृत्व संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं का पता लगाता है तथा उनको सन्तुष्ट करने का प्रयास करता है। वह उनकी आशाओं, आकांक्षाओं, भावनाओं एवं इच्छाओं को समझता है तथा उनको मान्यता प्रदान करता है। इस तरह उन्हें उच्च कोटि के निष्पादन के लिए प्रेरित करता है। एक कुशल नेतृत्व बड़े भाई की तरह अपने अधीनस्थों एवं अनुयायियों को कार्य सम्पादन में मार्गदर्शन देता है तथा कठिनाई की दशा में उनकी सहायता करता है। जिससे संगठन का कार्य सुचारू रूप से चलता रहता है।

2. **मनोबल निर्माण (Builds morale)–**मनोबल व्यक्ति की कार्य करने की आन्तरिक भावना, इच्छा एवं प्रेरणा है। मनोबल कर्मचारियों का संगठन एवं प्रबन्ध के प्रति दृष्टिकोण तथा संगठन के प्रति स्वैच्छिक सहयोग प्रदान करने की भावना है। एक अच्छा नेतृत्व कर्मचारियों में सहायोग की भावना उत्पन्न कर सकता है। एक प्रभावशाली नेतृत्व अपने अनुयायियों को दिशा देता है, उन्हें सलाह एवं समर्थन प्रदान करता है, तथा इस प्रकार उनमें विश्वास उत्पन्न करता है तथा उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। नेता अपने अनुयायियों को मनोवैज्ञानिक सम्बल भी प्रदान करता है तथा उनमें कार्य के प्रति उत्साह का संचार करता है।

3. **समूह भावना का विकास** – कुशल नेतृत्व समूह के सदस्यों एवं अपने अनुयायियों में सदैव समूह भावना उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। वह फूट डालो तथा राज करो की नीति में विश्वास नहीं करता वरन् सदैव 'एकता में ही शक्ति है' की भावना को प्रतिपुष्ट करता है। वह सामुदायिक हित की भावना को अपने अनुयायियों में भरता है। वह व्यक्तिगत एवं सामूहिक लक्ष्यों में तालमेल स्थापित

कर संतुष्टिदायक कार्य वातावरण प्रदान करता है। इस प्रकार नेतृत्व अपने अनुयायियों के परस्पर विरोधी लक्ष्यों में सामंजस्य उत्पन्न करते हुए समूह भावना का निर्माण करता है।

4. **सम्भावनाओं का वास्तविकता में रूपान्तरण** – मानव में अन्ततः सम्भावनाएँ छिपी हुई होती हैं। उसके कई सपने होते है किन्तु यदि उसकी सम्भावनाओं को वास्तविकता में, उसके सपनों को सच में बदलने वाला कोई न हो तो सम्भावनाएँ तथा सपने केवल सपने ही बने रहते हैं। एक नेतृत्व अपने अनुयायियों की सम्भावनाओं को पहचान कर तथा उसके सपनों का पता लगाकर उन्हें उचित मार्गदर्शन देते हुए उन्हें सच में परिवर्तित करने में उनकी सहायता करता है।

5. **परिवर्तनों को सुगम बनाना** – आज के इस परिवर्तन के युग में संस्था को प्रतिस्पर्धी तथा अन्य संस्थाओं के समकक्ष बनाये रखने के लिए परिवर्तनों को अपनाना अवश्यम्भावी है। परिवर्तनों के बारे में ठीक ही कहा जाता है कि ''परिवर्तन सदैव अच्छे के लिए होते हैं'' तथा ''परिवर्तनों का विरोध किया जाता है'' कई बार कर्मचारियों के विरोध के कारण परिवर्तनों को लागू करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाता है। ऐसे में नेतृत्व अपनी भूमिका निभाते हुए कर्मचारियों को परिवर्तनों से हाने वाले लाभों से अवगत कराता है, उनके विरोध का शमन करता है तथा उन्हें सहर्ष परिवर्तन स्वीकार करने के लिए सहमत करता है।

6. **प्रबन्धकीय प्रभावशील में वृद्धि** :– प्रबन्ध की प्रभावशीलता एवं कुशलता एक बड़ी सीमा तक कुशल नेतृत्व पर निर्भर करती है। प्रभावी प्रबन्धन के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है। कुशल नेतृत्व के बिना संस्था के उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सम्भव नहीं है, जिससे प्रबन्ध की प्रभावशीलता संदिग्ध रहती है। कीथ डेविस लिखते हैं कि ''एक मजबूत नेता एक निस्तेज संगठन को सफल संगठन में बदल सकता है। बिना नेतृत्व के एक संगठन व्यक्तियों एवं मशीनों का घालमेल मात्र होता है। जब तक नेतृत्व व्यक्तियों में अभिप्रेरण की शक्ति का संचार नहीं करता है। प्रबन्धकीय क्रियायें जैसे नियोजन एवं संगठन आदि एक निष्क्रिय कृमिकोष की तरह रहती है।''

7. **कार्य वातावरण का निर्माण (Creates work environment)** कुशल नेतृत्व एक ऐसे कार्य वातावरण का निर्माण करता है जिसमें समूह के सदस्य प्रसन्नतापूर्वक कार्य करते हुए अपना सर्वोत्तम योगदान संगठन को प्रदान करने के लिए अभिप्रेरित होते है। इस हेतु नेतृत्व समूह–सदस्य के बीच विश्वास एवं सद्भाव के अन्तर्वैक्तिक सम्बन्धों का विकास करता है तथा उनको निरन्तर बनाये रखता है।

8. **व्यवस्था एवं अनुशासन बनाये रखना (Maintains order and discipline)** प्रभावी नेतृत्व का गुण होता है कि वह अपने संगठन में शान्ति, व्यवस्था एवं अनुशासन को जो किसी भी उपक्रम की सफलता के लिए आत्यावश्यक होते है, तथा यह सुनिश्चित भी करता है कि उसके अनुयायी उन मापदण्डों को व्यवहार में अपनायें। वह संगठन को खराब श्रम सम्बन्धों एवं औद्योगिक अशान्ति से बचाता है। वह आत्म–अनुशासन का परिचय देता है तथा अनुकरणीय आचरण प्रस्तुत करता है।

9. **समूह संघर्षो का समाधान (Resolves group conflicts)** नेता समूह में उत्पन्न होने वाले मतभेदों तथा संघर्षो के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह ऐसा समूह के सदस्यों एवं संगठनों के तीव्र विरोधी हितों क मध्य तालमेल उत्पन्न करके करता है।

10. **परामर्श देना (Counselling)** कई ऐसे अवसर आते है जब कर्मचारियों को व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसका प्रभाव उनके कार्य निष्पादन पर भी पड़ता है। कई बार व भावनात्मक समस्याओं का सामना करना है। इन परिस्थितियों में उन्हें ऐसी समस्याओं से उबारने के लिए परामर्शदाता की आवश्यकता होती है। कुशल नेतृत्व ऐसी परिस्थितियों में परामर्श प्रदान कर कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संगठनों में नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह संगठन का अस्तित्व बनाये रखने, उसका विकास एवं विस्तार करने, उसकी प्रभावशीलता एवं कुशलता में वृद्धि करने, तथा उसको प्रतिस्पर्धी बनाये रखने में अपना अमूल्य योगदान देते है। वह संगठन की संचालक शक्ति है संगठन रूपी गाड़ी को निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर रखता है।

**एक सफल नेता के गुण (Qualities of a successful leader)–** प्रत्येक व्यक्ति सफल नेता नहीं हो सकता। सफल नेता होने के लिए व्यक्ति में विशिष्ट गुणों, का होना आवश्यक होता है। ये विशिष्ट गुण ही एक सफल नेता को असफल नेता से अलग करते है। एक सफल नेता में किन–किन गुणों का

होना आवश्यक है– विषय पर अनेक विद्वानों ने शोध एवं प्रयोग किये है तथा उन्होनें नेतृत्व की सफलता के लिए अलग–अलग गुणों की पहचान की है। उदाहरणार्थ **आर्डवे टीड** ने सफल नेता होने के लिए भौतिक एवं मानसिक शक्ति, भावनात्मक स्थिरता संचार कौशल, सामाजिक कौशल जैसे छः गुणों की आवश्यकता बताई है। प्रो. राबर्ट एल. कार्ज तथा प्रो. इवान्सविच ने नेतृत्व के लिए अपेक्षित गुणों को कौशल के रूप में विभाजित किया है। प्रो. कार्ज ने पता लगाया कि प्रबन्धकीय नेतृत्व में तकनीक कौशल, तथा अवधारणीय कौशल होना आवश्यक है। इसी प्रकार उत्साह से आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया जा सके। फ्रेड लुथांस के शब्दों में नेतृत्व शैली एक ढ़ग है जिसके द्वारा नेतृत्वकर्ता अपने अनुयायियों को प्रभावित करता है।

किसी संस्थान की सफलता या असफलता नेतृत्व की किस्म स्वरूप या शैली पर निर्भर करती है क्योंकि यह एक विशिष्ट प्रकार के आचरण एवं व्यवहार की ओर संकेत करता है। अब यह प्रश्न उत्पन होता है कि प्रबन्धक को नेतृत्व की किस शैली को अपनाना चाहिए।

इसके प्रत्युत्तर में अनेक विद्वानों एवं प्रबन्धकीय शास्त्रियों के विचार सामने आये हैं। इनमें से फीडलर ने जहाँ कार्यपरक एवं सम्बन्धात्मक शैलियों का महत्व देने की बात कही, वही पथ–लक्ष्य विचारधारा में निर्देशात्मक, समर्थन मूल्य, सहभागिता–मूलक एवं उपलब्धि–परक नेतृत्व शैलियों पर बल दिया है। इसी प्रकार रैन्सिस लिन्कर्ट ने प्रबन्धक की चार प्रणालियों को स्पष्ट किया है जिन्हें इनको नेतृत्व शैलियों का नाम दिया–

प्रणाली I शोषणात्मक अधिकारिक (Explotive-authoritative)
प्रणाली II उदार अधिकारिक (Benovalent-authoritative)
प्रणाली III परामर्शात्मक (Consultative)
प्रणाली IV सहभागिता (Participative)

निष्कर्षत : नेतृत्व शैलियों के प्रकार को इस रेखाचित्र द्वारा बताया जा सकता है–

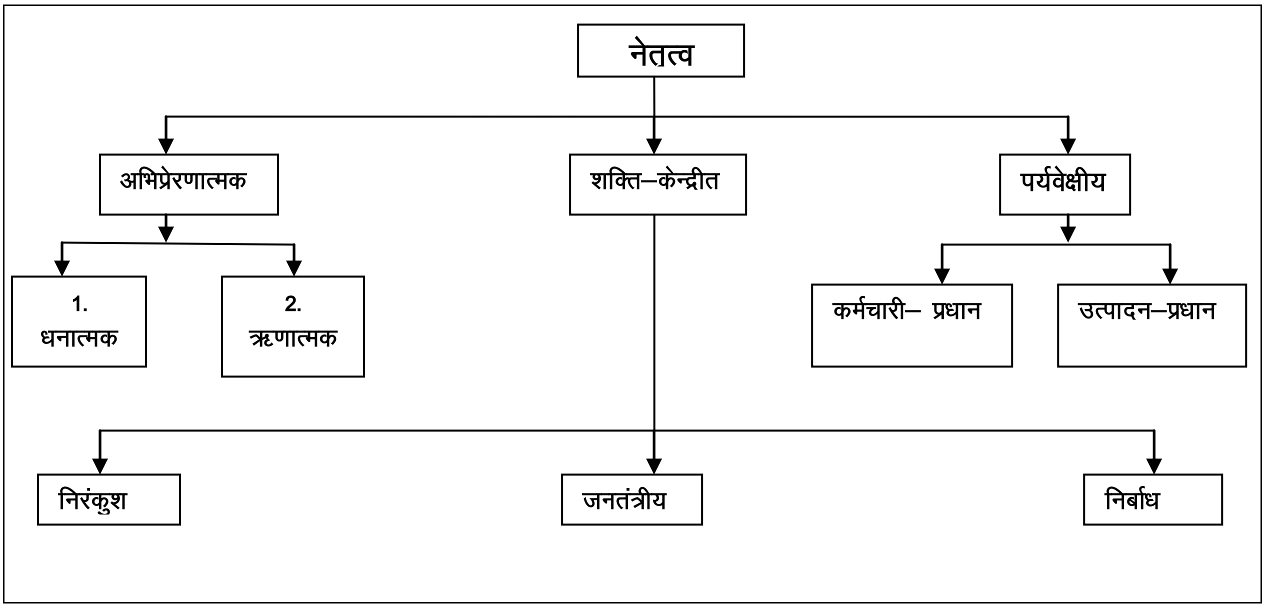


प्रत्येक नेतृत्व शैली का विवेचन इस प्रकार है–

**(1) अभिप्रेरणात्मक नेतृत्व शैली (Motivational Style of Leadrship)**– एक नेता जिन नेतृत्व शैलियों द्वारा अपने अनुयायियों अथवा प्रबन्धक अपने अधीनस्थों को मार्गदर्शन और उन्हें अधिकाधिक कार्य करने हेतु अभिप्रेरित करता है तो उसे अभिप्रेरणात्मक नेतृत्व शैली कहते है।

**अभिप्रेरणात्मक नेतृत्व शैली के निम्नलिखित दो प्रकार है–**

1. धनात्मक अभिप्रेरण शैली (Positive Motivation Style )जिस शैली के अन्तर्गत प्रेरणा, पुरस्कार एवं सहभागी निर्णयन के माध्यम से संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, उसे

धनात्मक या सकारात्मक अभिप्रेरणा शैली कहते है। अन्य शब्दों में जब किसी समूह का नेता अपने अनुयायियों को वित्तीय, अवित्तीय प्रेरणाऐं तथा पुरस्कार प्रदान करके कार्य करने हेतु आवश्यक निर्देश देता है तो धनात्मक अभिप्रेरण शैली कही जाती है।

2. ऋणात्मक अभिप्रेरण शैली (Nagative Motivation Style) जब कोई नेता अपने अनुयायियों को अधिक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करने की दृष्टि से भय दिखाता है एवं दण्ड देने पर बल देता है तो इसे ऋणात्मक अभिप्रेरण शैली कहते है। उदाहरणार्थ– कार्य या नौकरी से हटाने, सुविधाओं को वापिस लेने, स्थानान्तरण करने, पदावनत करने, अधिकारी में कमी करने, अधिक समय तक कार्य लेने की धमकी आदि

**विशेषताएँ (Characteristics) अभिप्रेरणात्मक नेतृत्व शैली की निम्नलिखित विशेषताएँ है–**

1. यह मनोवैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है।
2. इस शैली की यह मान्यता है कि बाह्य प्रभाव की अपेक्षा आन्तरिक अभिप्रेरण का व्यवहार पर एक निर्णायक प्रभाव पड़ता है।
3. इसका सम्बन्ध मानवशक्ति से होता है जो उनकी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि का एक साधन है।
4. यह शैली लक्ष्य–प्रधान व्यवहार को जन्म देती है।

**गुण (Merits) अभिप्रेरणात्मक नेतृत्व शैली में निम्नलिखित गुण या लाभ है–**

1. यह उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होती है।
2. कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति होने के फलरूवरूप कार्य के प्रति लग्न की भावना विकसित होती है और मनोबल भी बढ़ता है।
3. मानवीय संसाधनों का अत्युतम प्रयोग किया जा सकता है।
4. अच्छे मानवीय एवं श्रम सम्बन्धों की स्थापना होती है।

**दोष (Demerits) अभिप्रेरणात्मक नेतृत्व शैली में निम्नलिखित दोष या अवगुण होते है–**

1. संस्था पर आर्थिक भार बढ़ता है।
2. यह दीर्घकाल के लिए उचित नहीं है।
3. इससे न तो समूह को सन्तुष्टि मिलती है और न ही औद्योगिक शान्ति का वातावरण बन पाता है।
4. कर्मचारियों के उत्साह एवं सृजनशीलता में कमी आती है और उनके कार्य का स्तर न्यूनतम वांछित कार्य स्तर तक ही सीमित रहता है।
5. यह एक अमानवीय विधि एवं तरीका है।

शक्ति केन्द्रित नेतृत्व शैली (Power-centered Leadership Style) जिस व्यक्ति/नेता/प्रबन्धक की शक्ति का पद स्थिति से सम्बन्धित न होकर उसकी वैयक्तिक विशेषताओं से होता है, उसे शक्ति केन्द्रित शैली कहते है। अन्य शब्दों में, व्यक्ति

**शक्ति–केन्द्रित नेतृत्व शैली के निम्नलिखित तीन प्रकार हैं–**

**1.** निरंकुश शैली **(Autocratic Style)** – नेतृत्व की यह शैली एक ऐसी शक्ति है जिसमें सभी अधिकार नेता के पास केन्द्रित करता हैं। अर्थात् निरंकुश या तानाशाही नेता वह है जो समस्त निर्णयन सत्ता के अपने में केन्द्रित करता है और अनुयायियों पर दबाब, आदेश एवं भय द्वारा आदेशो का पूर्णपालन कराने की ताकत रखता है। इसे अतिरिक्त वह शक्ति से मोह रखता है और उस शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग भी करता है।

निरंकुश शैली के तीन प्रकार हो सकते हैं–(i) **सख्त निरंकुश शैली (Strict Autocratic Style)** में अनुयायी नेता (प्रबन्धक) से डरे–डरे रहते हैं, अपने आपको हर समय असुरक्षित अनुभव करते हैं और निर्णय के प्रति किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं रखते हैं, (ii) **हितैशी निरंकुश शैली (Benevolent Autocratic Style)** में नेता नकारात्मक प्रभावों पर विश्वास रखता है जो आदेश दिया जाता है, अनुयायियों को पालन करना होता है, और (iii) **चालाक निरंकुश शैली(Manipulative Autocratic Style)** में नेता अपने अनुयायियों/अधीनस्थों को यह अनुभव कराने में सफल हो जाते हैं कि वे निर्णयन में सहभागी हो रहे हैं लेकिन वास्तव में निर्णयन पहले ही ले लिया जाता है।

**विशेषताऍ (Characteristics)–**निरंकुश शैली में निम्नलिखित विशेषताऍ होती हैं–

1. सम्प्रेषण केवल ऊपर से नीचे (अधोगामी) की ओर होता है।

2. नेता द्वारा आदेश–निर्देश एवं लक्ष्य का निर्धारण किया जात है।
3. अनुयायियों या अधीनस्थों द्वारा केवल आदेशों का पालन करना होता है।
4. नेता ही एकमात्र निर्णय लेने वाले व्यक्ति की भूमिका का निर्वाह करता है।
5. इसमें नेता का कठोर पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण होता है।
6. अधिकारों के प्रत्यायोजन का अभाव होता है।

**गुण (Merits)–** निरंकुश शैली में निम्नलिखित गुण या लाभ होते हैं–

1. नेता को आत्म–सन्तुष्टि मिलती है क्योंकि अधीनस्थ आज्ञापालक होते हैं।
2. इसमें शीघ्र एवं स्पष्ट निर्णय लिये जा सकते हैं।
3. इस प्रकार की शैली को अपनाने वाला प्रबन्धक कई स्थितियों में सफल होता है।
4. कम एवं मन्द बुद्धि वाले व्यक्ति ऐसी शैली को अपनाने वाले प्रबन्धकों के अधीन कार्य करना पसन्द करते हैं।
5. यह अनुयायियों एवं अधीनस्थों को सुरक्षा प्रदान करती है।

**दोष (Demerits)** –निरंकुश शैली में निम्नलिखित दोष/हानि भी हैं–

1. कर्मचारियों में भय उत्पन्न होने से उनकी पहलपन की शक्ति नष्ट होती है।
2. कर्मचारी इस शैली को पसन्द नहीं करते हैं क्योंकि उनकी पहचान शक्ति समाप्त होती है।
3. कर्मचारियों को सहयोग नहीं मिलता है क्योंकि उन्हें लक्ष्यों की जानकारी नहीं होती है।
4. नेता/प्रबन्धक खुलकर अपनी मनमानी करते हैं।
5. कर्मचारियों का मनोबल गिरता है।

**2. जनतन्त्रीय शैली (Democratic Style)–** नेतृत्व की यह एक ऐसी शैली होती है जिसमें प्रबन्ध की सत्ता नेता (प्रबन्धक) में केन्द्रित न होकर विकेन्द्रित होती है और नीतियों, प्रद्धतियों एवं उपक्रमों आदि की निर्धारण स्वयं ही न करके अपने अनुयायियों (अधीनस्थों) से विचार–विमर्श करके करते हैं। इसलिए नेता अपने अनुयायियों के सुझावों, विचारों, भावनाओं, आवश्यकताओं तथा सुविधाओं पर ही पूर्ण ध्यान नहीं देते है अपितु अपने अनुयायियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण भी रखता हैं।

**विशेषताऍ (Characteristics)–**

जनतन्त्रीय शैली में निम्नलिखित विशेषताऍ देखी जा सकती हैं–

1. इसमें द्वि–मार्गीय सम्प्रेषण व्यवस्था (ऊपर से नीचे एवं नीचे से ऊपर) होती है।
2. निर्णय–प्रक्रिया में अनुयायियों/अधीनस्थों को सहभागी बनाया जाता है।
3. संस्था का संचालन प्रजातन्त्र के मान्य सिद्वान्तों के आधार पर किया जाता है।
4. यह कर्मचारियों से पारस्परिक परामर्श एवं सुझाव पर आधारित है।
5. यह अपने अनुयायियों या अधीनस्थों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाती है।

**गुण (Merits)–**

जनतन्त्रीय शैली के निम्नलिखित गुण या लाभ हैं–

1. नेता एवं अनुयायियों के मध्य मानसिक एवं भावनात्मक सहभागिता पायी जाती है।
2. कर्मचारियों की सन्तुष्टि के स्तर एवं मनोबल में वृद्धि होती है।
3. कर्मचारियों के कृत्य (Jobs) एवं संगठन के प्रति अभिरूचि बढ़ जाती है।
4. कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है।
5. कर्मचारियों को कल्पना शक्ति,सृजनात्मकता एवं पहल क्षमता का पूरा–पूरा लाभ मिलता है।
6. नेता/प्रबन्धक के निर्णय विवेकपूर्ण, व्यावहारिक एवं बेहतर होते हैं।
7. कर्मचारियों की परिवेदनाऍ कम आती हैं।
8. इसमें सुदृढ़ निर्णय लिया जाना सम्भव है।

**दोष (Demerits)–**

जनतन्त्रीय शैली के निम्नलिखित गुण या लाभ हैं–

1. इस शैली के उपयोग से निर्णय लेने में देरी की सम्भावना हो सकती है।
2. नेता इस शैली का दुरूपयोग कर सकते हैं।
3. यह शैली खर्चीली है।
4. यह शैली अत्यावश्यक कार्यो के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है।

5. यह शैली कुछ जटिल प्रकार के संगठनों के लिए भी उपयुक्त नहीं है।

**3. निर्बाध शैली (Free Rein Style)–**जिस शैली में नेता अपने अनुयायियों अथवा प्रबन्धक अपने अधीनस्थों को स्वयं के भरोसे छोड़े देते हैं, स्वयं लक्ष्य निर्धारित करते हैं और

**नेतृत्व–** स्वयं ही उन्हें प्राप्त करने के जिए आवश्यक निर्णय लेते हैं, क्रियान्वित करते हैं और नेता/प्रबन्धक तो केवल सम्पर्क कड़ी का कार्य करके अधिकार सौपते हैं तो उसे निर्बाध या स्वतन्त्र शैली कहते हैं। इसमें लगाम – रहित शैली भी कहते हैं।

**विशेषताएँ (Characteristics) -**

1. इसमें नेता प्रबन्धक द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप होता है।
2. इसमें निर्णय लेने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है, चाहे व्यक्तिगत या सामूहिक हो।
3. नेता/प्रबधन्क के सम्पर्क कड़ी एवं समन्वयकर्त्ता के रूप में कार्य करते हैं।
4. नेता केवल अनुयायियों को आवश्यक साधन, अधिकार एवं आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन देते हैं।
5. यह कर्मचारियों में सामूहिक हितों के प्रति उच्च समर्पण की भावना तथा श्रेष्ठ प्रेरणात्मक वातावरण पर अधिक जोर देती है।
6. इसमें अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाता है।
7. इसमें नेता अनुयायियों के कार्यों का पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण नहीं करता है।

**गुण (Merits) –**

**निर्बाध शैली के निम्नलिखित गुण या लाभ हैं –**

1. कर्मचारी पूर्ण निष्ठा, परिश्रम एवं लगन से कार्य करते हैं।
2. इस शैली में शीघ्र एवं श्रेष्ठ परिणामों की प्राप्ति होती है क्योंकि अनुयायी/अधीनस्थ स्वयं लक्ष्य निर्धारित करते हैं, प्रशिक्षित होते है एवं अभिप्रेरित भी होते हैं।
3. कर्मचारियों में उत्तरदायितवों की भावना का विकास होता हैं।
4. उपक्रम तीव्रता से उन्नति करता है क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी की प्रतिभाओं/अधीनस्थ स्वयं लक्ष्य निर्धारित करते हैं, प्रशिक्षित होते हैं एवं अभिप्रेरित भी होते हैं।
5. अधीनस्थों को अपने व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर मिलता है।
6. अधिकारियों को अधीनस्थों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होता हैं।

**दोष (Demerits) –**

**निर्बाध शैली के निम्नलिखित दोष या अवगुण होते हैं–**

1. इस शैली का बहुत अधिक उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि नेता के योगदानों की उपेक्षा की जाती है।
2. इस शैली की स्वतन्त्रताओं का दुरूप्योग हो सकता है क्योंकि दूसरे के लिए एक उचित वातावरण की आवश्यकता होती है।
3. अनुयायियों/अधीनस्थों के कार्यों में तालमेल बैठना कठिन होता है।
4. नेता का महत्त्व कम हो जाता है क्योंकि उसकी भूमिका केवल सम्पर्क कड़ी मध्यस्थ एवं समन्वयकर्ता के रूप में होती है।
5. निरंकुश, जनतन्त्रीय एवं निर्बाध शक्ति शैलियों को रेखाचित्र की सहायता से अग्र प्रकार से समझाया जा सकता है

के व्यक्तित्व आधार पर अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रभावित या निर्देशित किया जाए तो उसे शक्ति– केन्द्रित नेतृत्व शैली कहते हैं।

**टीम भावना**

टीम भावना परिभाषा प्रिंसटन वोर्डनेट के अनुसार है कि ''एक समूह की वह भावना जो उसके सदस्यों में जीत की चाहत पैदा करती है।'' टीम भावना में सदस्य टीम सफलता के लिये अपनी भूमिका भी अदा करने को तत्पर रहते है। यह सदस्यों के लिये मैत्रत्व की भूमिका अदा करने और अन्य लोगो के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं। अन्य अर्थ में टीम भावना 'टीम के सदस्य के रूप में सहयोग करने की इच्छा ही टीम भावना है।'

(1) उद्देश्य–इसका उद्देश्य टीम के सदस्यों का चयन करना, उसमें बनाये रखना और अपने कार्य को करना तथा उद्देश्य (गोल) को प्राप्त करना।

**इसके निम्न उद्‌देश्य हैं –**

1. सदस्यों का चयन, उनका टीम में बना रहना। सबसे पहले टीम में शामिल किये जाने वाले सदस्यों का चयन होता हैं तथा टीम भावना की वजह से वे लगातार उसमें बने रहते हैं।
2. कार्य को पूर्णताः से करना, टीम भावना से जो कार्य उद्‌देश्य प्राप्ति के लिए आवश्यक है उसे आपसी सहयोग, सद्‌भाव एवं मिलजुल कर अच्छे से पूर्ण करना।
3. जीत या उद्‌देश्य प्राप्ति करना–टीम के सभी सदस्य आपसी पूर्ण सहयोग, सामंजस्य एवं मिलजुल कर इस प्रकार से तथा तब तक कार्य करते है जब तक उन्हें उस उद्‌देश्य में जीत या सफलता हासिल ना हो जाये, यानि उद्‌देश्य प्राप्ति में सफलता हासिल करना ही इसका अन्तिम उद्‌देश्य है।

**(2) लाभ–** कहावत है कि बहुत से हाथ मिलकर काम को हल्का या आसान बना देंगे। इसका सार है कि व्यक्ति की बजाय समूह में ज्यादा सफलता हासिल की जा सकती है। इसके निम्न लाभ है–

**1. सृजनात्मकता–**इससे सृजनात्मकता बढती है क्योंकि इसमें सदस्यों के अलग–अलग ज्ञान, कला एवं गुणों एवं विचारों से अधिक सृजनात्मक परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं।

**2. सन्तुष्टि–** बहुधा कर्मचारियों में अपने जॉब के प्रति असंतोष देखने को मिलता है। जब कर्मचारी साथ मिलकर काम करते हैं तो अधिक ऊर्जा और उत्साह का सृजन होता है और इस ऊर्जा और उत्साह से अच्छे परिणाम की प्राप्ति होती है जिसका प्रभाव अभिप्रेरण के रूप में देखने को मिलता है और यह और ज्यादा सफलता की तरफ ले जाता है।

**3. कला–**यहां तक की बहुत योग्य व्यक्ति हर काम को करने की कला नही रखते हैं, कोई व्यक्ति आईडिया देने में बेहतर होता है कुछ लोग प्लान बनाने में, कुछ उस प्लान को लागू करने में आदि–आदि तरह से योग्य होते हैं। इस प्रकार जबकि सब मिलकर काम करते हैं तो कला का एक बहुत विशाल क्षेत्र उपलब्ध हो जाता है जिससे अतिविशिष्ट परिणाम किये जा सकते हैं।

**4. गति–**जब एक व्यक्ति को काम दिया जाता है ता वह काम पुरा होने में दिन, महीने या साल तक ले सकता है। टीम के सदस्यों में काम बांटने से यह एक साथ तेजी से और उत्साह से किये जाने के कारण लक्ष्य तेजी से प्राप्त किया जा सकता है।

**5. सहारा–**काम के मुश्किल हालात में टीम के अन्य सदस्यों का सहयोग एवं उत्साहवर्धन मिलने से परिणाम प्राप्त करने में कभी भी अपने महत्व को कम आंकते हैं एवं इसी सहारे और उत्साहवर्धन के विश्वास में उनका मनोबल बना रहता हैं और वे अधिक दूरूह कार्य भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं।

**(3) पुलिस के कार्यो में टीम भावना–**जब वास्तव में कोई बड़ी घटना होती है जैसे लूट, डकैती, तो उस कार्यक्षेत्र व आस–पास के कार्यक्षेत्र के बहुत से ऑफिसर उस घटनास्थल पर पहुॅचते हैं ताकि घटना करने वालें अपराधियों को पकड़ने का प्रयास कर सकें या उन्हें पकड़ सकें और साथ ही वे उस अपराध को हल करने के लिए अन्य कार्यक्षेत्रों में भी मिलकर कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार इस बात की परवाह किये बगैर की इसका श्रेय किसको जायेगा वे अपराध को रोकते हैं। पुलिस को अपराधियों को पकड़ने के लिए टीम भावना से कार्य करने की जरूरत है साथ ही पुलिस सफल एवं सुयोग्यता से कार्य करने के लिये टीम भावना से काम करने आवश्यकता है।

किसी भी काम को करने के लिए एक टीम के रूप में काम करना अत्यन्त आवश्यक है इससे सफलता ज्यादा व आसानी से मिल सकती है और पुलिस हर काम की प्रवृति इस तरह की है कि इसमें मिलकर काम करने से सफलता आसान व उत्साहवर्धक हो जाती है जैसे–अपराधियों को पकडना, कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटना, अपराधों की रोकथाम के प्रयास आदि।

## व्यक्तिगत स्वच्छता

प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन का पूरी तरह आनन्द लेना चाहता है। जीवन का पूरा आनन्द सही अर्थो में तभी लिया जा सकता है जबकि व्यक्ति विशेष का स्वास्थ्य अच्छा हो। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य सम्बन्धी आचरण पर निर्भर करता है। हमारा दैनिक आचरण–हमारा रहन–सहन, खान–पान, व्यवहार विचार आदि हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते है।

**व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है?–**व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी आचरण जैसे शरीर की स्वच्छता, दॉतों की सफाई, नाखूनों तथा पैरों की देखभाल, भोजन, आहार, व्यायाम, विश्राम एवं नींद (निद्रा), ध्रूमपान लत मानसिक विचार तथा मद्‌यपान संबंधी नियमों का पालन व्यक्तिगत स्वच्छता के अन्तर्गत आते हैं। इनके प्रति लापरवाही हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। उदाहरण के तौर पर दॉतों की सफाई भरे मैल में जमे रोगाणुओं से ऑतों में कृमि तथा अन्य विकार पैदा हो सकते हैं।

"व्यक्तिगत स्वच्छता" दो शब्दों से मिलकर बना है "व्यक्ति" एवं "स्वच्छता" जिससे प्रकट होता है कि स्वास्थ्य सफाई के सिद्वान्त जो कि मनुष्यों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर व्यवहार में लिये जाते हैं।
व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति को स्वयं को ही प्रयत्नशील होना पडता है, अपने को स्वयं को ही साधन जुटान पड़ते हैं एवं अपेक्षित स्वास्थ्य नियमों के पालन में लगा रहना पड़ता है।
**व्यक्तिगत स्वास्थ्यः**—एक साधारण से दिखने वाले मानव शरीर की रचना कितनी जटिल होती है। इसका अंदाजा लगाना कठिन होता है। मानव शरीर केवल उन्ही अंगों से निर्मित नहीं होता है। जो कि साधारणत ऊपर से दिखाई देता है। और जिनसे मनुष्य विभिन्न प्रकार के कार्य करते है। मानव शरीर एक प्रकार की मशीन है जिसमें विभिन्न कलपूर्जे उपस्थित होते है।जो भिन्न–भिन्न कार्य करने में सक्षम होते है।

**"निरोगी काया की समता भला कौनसी सफलता के विकल्प हेतु की जा सकती है।**
**स्वास्थ्य के सामाने हीरे जवाहरात से भरे खजाने का कोई मूल्य नहीं है।"**

जब आप कार्यालय में कार्यरत हो तो घर की समस्या को भूला दे और घर में कभी दफ्तर की परेशानियों की चर्चा ना करें। समय पर कार्य न करना, समय पर भोजन न लेना, समय पर विश्राम न करना, समय पर ना सोना ये सभी आचरण शरीर में सुस्ती उत्पन्न करतें है ऐसी स्थिति में आपको स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि   शरीर ऐसा अनुभव क्यों कर रहा है?
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नित्य तीन मिनट दौड़ना चाहिए। आयु के अनुसार व्यक्ति को प्रातः तेज गति से टहलना चाहिए। साथ ही समय निकाल कर व्यायाम व अन्य शारीरिक गतिविधिया करनी चाहिए।
योग भारत की ही एक प्राचीन खोज है। अष्टांग योग हम भारतीयों को पैतृक सम्पति के रूप में मिली है। योग प्रारम्भ करने के लिए आयु पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। किसी भी योग्य योगाचार्य के अनुसरण में योग प्रारम्भ किया जा सकता है। योग खाने के बाद भी किया जा सकता है केवल वे ही योग नहीं करना चाहिए जिनसे पेट पर जोर पड़ता हो।
**योग संध्या के समय करना चाहिए अर्थात जहॉ दिन व रात तथा रात व दिन की संधि होती है।**

## पुलिस की छवि सुधारने के उपाय

वर्तमान परिस्थितियों में लोकतंत्रात्मक भारत में पुलिस बल की छवि को सुधारने के निम्न प्रयास करने चाहिए।
**1. पुलिस में शिक्षा प्रसार** —शिक्षा का प्रसार करके पुलिस की धूमिल छवि को सुधारा जा सकता है। यह प्रसार दोनों ही क्षेत्रों में किया जाना चाहिये आम जनता में शिक्षा प्रसार करके तथा पुलिस विभाग में शिक्षित व्यक्तियों को भर्ती करके। शिक्षा का प्रसार कर कई अपराधों को होने से रोका जा सकता है
**2.पुलिस प्रशिक्षण में सुधार की आवश्यकता** —पुलिस की छवि को सुधारने हेतु पुलिस प्रशिक्षण में चहुँमुखी परिवर्तन सुधार एवं उसके स्तर में वृद्धि की जाये। प्रशिक्षण के समय अपराधिक व्यववहार को पढ़ाते समय यदि मनौवैज्ञानिक बातों पर अधिक बल दिया जाये तो अपराधों के नियंत्रण में मदद मिलेगी जिससे पुलिस की छवि सुधरेगी।
**3.पुलिस बल की संख्या में वृद्धि** —वर्तमान समय में समाज में अपराधों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो गई है तथा नये–नये तरीकों से अपराध घटित होने लगे हैं लेकिन पुलिसकर्मियों की संख्या अपराधों की तुलना में शून्य के बराबर है। अतः पुलिस बल में वृद्धि अपरिहार्य है।
**4.पुलिस का आधुनिकीकरण** —पुलिस की छवि को सुधारने के लिये पुलिस को आधुनिकतम उपकरणों से सुसज्जित करने की आवश्यकता है। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को अभियोजित करने के लिये दूरदर्शन आकाशवाणी से शिक्षित करने के साथ–साथ उनको पकडने के लिए सी.सी. टी.वी. सिस्टम लगाये जाने चाहिए। आपराधिक प्रकरणों की विवेचना को वैज्ञानिक स्वरूप देने के लिय फोरेन्सिक साइन्स एवं वाहनों से सुसज्जित कर अपराधों की रोकथाम की जा सकती है जिससे जनता में पुलिस की छवि सुधर सके।
**5.न्याय व्यवस्था में सुधार** —वर्तमान समय में न्याय न केवल महंगा ही है बल्कि  काफी विलंब से भी मिलता है। पुलिस को न्याय दिलवाने में पहल करनी चाहिये तथा जनता द्वारा दी गई रिपोर्ट पर तुरंत कार्यवाही कर जनता में छवि को  सुधारने का प्रयास करना चाहिए।

**6.प्रशासनिक हस्तक्षेप में कमी** –व्यक्ति और विभाग के मनोबल पर स्थानांतरण का बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अधिक मात्रा में प्रशासनिक वरन् राजनैतिक हस्तक्षेप पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि पुलिस को राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाए और उसे स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने दिया जाये। जिससे पुलिस की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिल सकें।
**7.कठोर अनुशासन** –अनुशासन भ्रष्टाचार, चोरी, अनैतिकता, कार्य में विलंब मनोबल में गिरावट और अन्यायपूर्ण कार्य को रोकता है और संगठन में नैतिकता चारित्रिक एवं आत्ममार्मिक उत्थान करता है।
**8.शासक नहीं सेवक** –जनता के लिये पुलिस को शासक नहीं सेवक के रूप में कार्य करना चाहिए। आपसी समन्वय की आवश्यकता है। समन्वयता प्रशासन की कुंजी है जनता के साथ पुलिस का आचरण शासक का न होकर सेवक का होना चाहिए। इसके लिए पुलिस को शिष्ट व विनम्र होना चाहिए।
**9.शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही करना** –जनता की मात्र आशा पुलिस ही होती है वह चाहती है कि पुलिस उसकी शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही करे लेकिन सच तो यह है कि जनता थानों पर जाने से डरती है। कार्यवाही में विलम्ब अपराधी को बच निकलने का अवसर प्रदान करता है। तुरंत कार्यवाही कर अपराधी को तुरंत पकड कर जनता में छवि को सुधारा जा सकता है।
**10.पुलिसकर्मियों में अच्छी आदतों पर सदगुणों का विकास** –पुलिसकर्मियों में कुछ गंदी आदते होती हैं जैसे सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना वर्दी में शराब पीना,जुआ खेलना ऐसी गंदी आदतों को बढावा नहीं दिया जाना चाहिए।
**11.संचार माध्यमों में मधुर व्यवहार** –पुलिस का संबंध संचार माध्यमों से भी रहता है। संचार माध्यमों के द्वारा ही पुलिस की अकर्मण्यता एवं कार्य कुशलता का प्रचार प्रसार होता है यही पुलिस के अच्छे व बुरे कार्यों को जनता तक पहुँचाते है। अतः संचार माध्यमों से अच्छे संबन्ध स्थापित करें इस कार्य के लिए विभाग में जनसंपक्र अधिकारी रखे जाने चाहिये जो पुलिस उपलब्धियों सफलताओं व कार्यकुशलता के बारे में सच्ची जानकारी जनता में सीधी पहुँचा सकें।
**पुलिस का जनता के साथ व्यवहार** :–
**(क) विद्यार्थियों व युवावर्ग के साथ** :– पुलिस छात्र एवं युवावर्ग की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करें तथा इनके साथ अपशब्दों का प्रयोग नहीं करें। जहाँ तक हो सके उनके साथ विनम्रता, शिष्टाचार से पेश आवें। इनके साथ मित्रवत व्यवहार करें। इनके नेता को बुलाकर समझा बुझाकर कार्यवाही करनी चाहिए तथा इनकी मांगों से उच्चाधिकारियों को अविलम्ब अवगत कराना चाहिए। इस वर्ग की समस्याओं का निस्तारण पुलिस को आपसी समझाईश से करना चाहिए।
**(ख) श्रमिकों के साथ** :– पुलिस को श्रमिको के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पुलिस को मजदूरों को उत्तेजित करने व भावनाओं को भड़काने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्व कार्यवाही करनी चाहिए। पुलिस को मजदूर संगठनों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए तथा तनाव की परिस्थितियों में मजदूर नेताओं और मालिकों के मध्य बातचीत करवाकर तनावपूर्ण स्थितियों को खत्म करवाना चाहिए।
**(ग) व्यथित व पीड़ित व्यक्तियों के साथ** :– प्रत्येक पीड़ित व व्यथित व्यक्ति को उचित सम्मान देना चाहिए तथा उनके साथ सहानुभूति पूर्वक बर्ताव करना चाहिए। उसकी भावना और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर उससे पूछताछ करते हुए उसकी समस्या का यथा सम्भव अतिशीघ्र निदान करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों से किसी प्रकार का दुरव्यवहार या मारपीट नहीं करनी चाहिए।
**(घ) गवाहों के साथ** :– पुलिस को अनुसंधान में अपनी कार्यवाही के समय उपस्थित गवाह के हस्ताक्षर करवाने चाहिए तथा उसे विशेष महत्व देना चाहिए गवाह को सरकार द्वारा देय भत्ते का भुगतान जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए। पुलिस को गवाह के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए तथा उसके सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पुलिस को गवाह से घनिष्ठ सम्बन्ध बनाने चाहिए तथा ध्यान रखना चाहिए कि वह विरोधी पक्ष के प्रलोभन में नहीं आये या विरोधी पक्ष उसे किसी प्रकार की धमकियां नहीं दे सकें। पुलिस को गवाहों के साथ साथ सम्पर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों से अच्छा व्यवहार रखना चाहिए।
**(च) परिवादी के साथ थाने पर आने के समय** :– थाने पर आने वाले परिवादी या अन्य व्यक्ति को उचित सम्मान देते हुए उनकी समस्या को सुनकर यथासम्भव कार्यवाही करनी चाहिए। शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए अपितु उसकी बिना किसी भेदभाव के कानूनी कार्यवाही करें। किसी से रिश्वत नहीं लें और झूठी शिकायत करने वाले के विरूद्व नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

**(छ) यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के साथ** :– यातायात कर्मी को यातायात के सभी नियमों की जानकारी होनी चाहिए। यातायात कर्मी की वर्दी साफ–सुथरी होनी चाहिए क्योंकि वह ड्यूटी के दौरान सभी का केंन्द्र बिन्दु होता है। यातायात नियंत्रण करते समय सभी के साथ सभ्य एवं सच्चे सेवक की तरह सभी के साथ बिना भेदभाव के समान व्यवहार करना चाहिए। बार–बार यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। यातायात व्यवस्था के दौरान असहाय, विकलांग, बच्चों इत्यादि की उचित सहायता करनी चाहिए।
**(ज) महिलाओं व बच्चों के साथ** :– पुलिस को महिलाओं के साथ सम्मान एवं बच्चों के साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए। किसी महिला को गिरफ्तार करना हो तो महिला पुलिस द्वारा तलाशी और गिरफ्तारी की कार्यवाही करनी चाहिए। महिलाओं के साथ अश्लील एवं अभद्र प्रश्न नहीं पूछने चाहिए तथा जहाँ तक हो सके उनसे पूछताछ या बयान उनके परिवार तथा अपने उच्चाधिकारियों के समक्ष ही लेने चाहिए। पुलिस को बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए तथा उन्हें पुलिस की कार्यविधि के बारे में रूचिकर तरीके के समझना चाहिए।
**(झ) पर्यटकों के साथ** :– पुलिस को पर्यटकों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि इससे पुलिस की छवि अच्छी बनती है। पुलिस को पर्यटकों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के साथ कठोर कार्यवाही करनी चाहिए तथा पुलिस को पर्यटकों का सही मार्गदर्शन तथा उनकी पूर्ण सुरक्षा करनी चाहिए। इससे अपराधी तत्वों पर अंकुश लगेगा तथा राज्य में पर्यटकों के लिए सुरक्षित एवं भय मुक्त वातावरण निर्मित होगा। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी होने पर पर्यटकों की संख्या में वृद्वि होगी। जिससे अन्ततः राज्य के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

**<u>जनप्रतिनिधि, मीडिया</u>**

**1. नीतिशास्त्र परिचय एवं व्याख्या** :–

**1. नीतिशास्त्र का अर्थ :–** नीतिशास्त्र एक नियामक विज्ञान है, जो मूल्यों की व्याख्या करता है। यह ''है'' के स्थान पर ''चाहिए'' की अवधारणा को स्थापित करता है। इसी प्रकार पुलिस नीतिशास्त्र उन नियमों एवं सिद्वान्तों का संग्रह है, जो इस विभाग में कार्यरत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह निर्धारित करने में मार्ग दर्शन करता है, कि क्या उनके द्वारा किये गये कार्य नैतिक हैं।

**1. पुलिस कार्यों में नीतिशास्त्र की उपयोगिता :–** पुलिस बल में कर्तव्य पालन, आज्ञा पालन, विधि का सम्मान एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिये तथा पुलिस कर्मियों के व्यवहार, चरित्र एवं व्यक्तित्व के निर्माण में नैतिकता की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। अपने द्वारा किये जाने वाले कार्यों में नैतक व अनैतिक पहलुओं की विवेचना के अभाव में पुलिस कर्मी अपने संवैधानिक एवं कानूनी भूमिका का सही प्रकार से निर्वाह नहीं कर पायेंगे।

**2. पुलिस कार्यो में नैतिक उत्प्रेरणा का महत्व :–** यह भारतीय मान्यता है कि सच्चाई में ही शक्ति होती है, तथा सत्य ही ईश्वर है। पौराणिक उपाख्यानों में भी सत्य पक्ष को अन्तिम विजय के रूप में दर्शाया गया है। पुलिस कर्मियों को नैतिक शिक्षा देकर ही उनका मनोबल ऊँचा उठाया जा सकता है। तथा उन्हें उपने कर्तव्यों को पालन भली प्रकार से करने के लिये मानसिक रूप से उत्प्रेरित किया जा सकता है।

**3. पुलिस कार्यों में नैतिक सत्यनिष्ठा :–** नैतिकता का प्रश्न तभी उत्पन्न होता है, जब दो व्यक्तियों में अन्तः क्रिया होती है। पुलिस कर्मियों को उपने कर्तव्य पालन में वृहद पैमाने पर जनता से सम्पर्क करना पड़ता है।अतः ऐसी स्थिति में उनके कर्तव्य पालन के दौरान आचरण उच्च नैतिक मूल्यों की कसौटी पर खरा उतरने वाला होना आवश्यक है।

**4. पुलिस छवि सुधारने में नैतिक मूल्यों की उपयोगिताः–** नैतिक मूल्य मानव जीवन का सार होते हैं, जो मनुष्य के विज्ञान की ऊँचाईयों को छूने के साथ साथ उनमें परस्पर सहयोग, सहायता, सामाजिक एकता और बन्धुत्व की भावना को बनाये रखने में अमूल्य योगदान देते हैं। उनमें पुलिस कर्मचारी प्रमुख हैं। अतः उनके आचरण का नैतिक पक्ष जनता पर ऐसी छाप छोड़ता है, जिससे पुलिस की छवि सकारात्मक रूप से सुधार होना अवश्यसंभावी है।

**5. जबावदेहिता (एकाउण्टेबिलिटी) की अवधारणा :–** पुलिस कर्मचारी वैध आदेश की पालना करने के लिये बाध्य है। ऐसी स्थिति में उसके आचरण का नैतिक पक्ष एवं स्वयं द्वारा किये जाने वाले कार्यों

के प्रति जबावदेह/उत्तरदायित्व बनाता है। कोई भी पुलिस कर्मचारी अपने द्वारा किये जाने वाले अनैतिक कार्यों के प्रगति अपनी जिम्मेदारी एवं उसके प्रभावों से नहीं बच सकता है।

**2. नैतिक विज्ञान** :–

**1. हमारे संकल्प :–** प्रत्येक पुलिस कर्मी को संकल्प लेना चाहिए कि वह सामाजिक हितो की रक्षा करेगा, संविधान के प्रति निष्ठा रखेगा, कानूनों का दृढ़ता पूर्वक पालन करेगा, मारपीट नहीं करेगा और सामाजिक बुराईयों से दूर रहेगा।

**2. स्वदेश प्रेम :–** प्रत्येक पुलिस कर्मी में अपने देश के प्रति प्रेम एवं लगाव की भावना कूट–कूट कर भरी होनी चाहिये। आम नागरिक की तरह पुलिस कर्मी में अपने देश के निवासियों, सभ्यता और संस्कृति तथा देश की माटी के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए।

**3. पर्यावरण की रक्षा :–** यद्यपि पुलिस पर्यावरण की समस्या से प्रत्यक्ष रूप से संबन्धित नहीं है, परन्तु चूंकि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है, इसलिए पुलिस का नैतिक कर्तव्य है कि पर्यावरण की दिशा में अग्रसर हों। उदाहरणार्थ वृक्षारोपण के कार्यों को करें एवं पर्यावरण संरक्षण के कानूनों का सख्ती से लागू करवायें।

**4. परिश्रम का महत्व :–** सामान्य परिस्थितियों के साथ –साथ असामान्य परिस्थितियों में भी तन्मयता पूर्वक कार्य करें। उसे लगन व मेहनत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए।

**5. सादा जीवन उच्च विचार :–** पुलिस कर्मियों के आचरण में उक्त विचार परिलक्षित होना चाहिए। सादगी पूर्ण आचरण से जनता में सकारात्मक छवि उभरती है।

**6. बन्धुत्व की भावना :–** पुलिस एक बल है, जिसमें बन्धुत्व की भावना होना नितांत आवश्यक है। पुलिस को सफलता तभी मिल सकती है, जब इसके सदस्य टीम भावना/बन्धुत्व भावना से कार्य करें तथा समाज के सभी वर्गों से बन्धुत्व रखें।

**7. समय की पाबन्दी :–** विश्व में समय सर्वाधिक मूल्यवान सम्पत्ति है, जो व्यक्ति समय का आदर नहीं करता, समय उसका आदर नहीं करता है, पुलिस कार्य के परिपेक्ष्य में रेस्पोन्स टाईम का न्यूनतम होना, समय पर कर्तव्यारूढ़ होना आदि महत्वपूर्ण है।

**8. आदर्श आरक्षी :–** प्रत्येक पुलिसकर्मी में आदर्श आरक्षी के गुण होना अनिवार्य है। आदर्श आरक्षी वह होता है जो अपने व्यक्तिगत हितों से अधिक विभागीय हितों को तरजीह देता है तथा उसमें ईमानदारी, निष्पक्षता, शिष्टता, साहस एवं सहानुभूति होनी चाहिये।

**9. जनता से सद्व्यवहार का महत्व :–** यदि पुलिस कर्मियों में नैतिकता और नैतिक मूल्यों का अभाव है, तो वे जनता के साथ सद्व्यवहार नहीं कर सकते। नैतिक मूल्यों वाले पुलिस जन जनता के विभिन्न वर्गों से अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। नीतिशास्त्र नियमों और सिद्वान्तों से परिचित पुलिस कर्मी उनके सम्पर्क में आने वाले अपराधी, असामाजिक तत्वों, अभिरक्षा में रह रहे व्यक्तियों (अभियुक्तगण), परिवादी एवं आगंतुक तथा समाज के कमजोर वर्गों यानि वृद्धों, महिलाओं व बच्चों आदि के साथ मानवोचित व्यवहार करेंगे।

वर्तमान समय में पुलिस विशेषतः महिलाओं के साथ थाना स्तर पर अच्छा व्यवहार नहीं करने विषयक परिवेदनायें उत्पन्न होती हैं। चूंकि महिलायें समाज का कमजोर तबका हैं, इसलिये उनके साथ पुलिस कर्मियों द्वारा सद्व्यवहार करने की प्रवृति को प्रोत्साहित करने के लिये पुलिस जन को नैतिक नियमों व सिद्धान्तों की शिक्षा देना समायोजित है, ताकि वे अपने सम्पर्क में आने वाले लोगों के साथ गाली –गलोच नहीं करें ताकि प्रत्येक स्तर पर सद्भावना के परिवेश का सृजन कर सकें।

पुलिस जन से एक आम आचार संहिता अपेक्षित है, जिसके तहत् उसको सद्व्यवहार महिलाओं व बच्चों के प्रति नम्र रूख, नम्र रवैया, समाज में उपेक्षित वर्गों के प्रति सद्भाव होना अति – आवश्यक है।

क्रोधित भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिये धैर्य व आत्म विश्वास अति– आवश्यक है। भीड़ के मध्य गाली–गलोच या उकसाने मात्र से लाठी चलाना या गोली चलाना, यह हमारी सद्नीति नहीं है।

हमें जनता के प्रति संवेदनशील रहकर धैर्य के साथ वस्तुस्थिति को भांपते हुए, उचित व्यवहार करना है। छोटी–छोटी बातों पर गुस्सा करना, पुलिस–जन की नीति मात्र नहीं, क्योंकि हम भी इसी जनता के भाग हैं।

जन सहभागिता के साथ ही हम सफल हो सकते हैं। डण्डे से नहीं/गोली से नहीं, प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ सद्व्यवहार रखकर ही कामयाब हो सकते हैं।

**सामाजिक समूह :–** प्रत्येक सामाजिक समूह की अपनी विशेषतायें और रचना होती है। समूह द्वारा ही सदस्यों के व्यवहार निर्धारित होते हैं। उदाहरण के लिए भीड़ का व्यवहार श्रोतागण के व्यवहार से भिन्न होता है। इसी प्रकार भयकारी भीड़, आक्रमणकारी भीड़ से भिन्न कार्य करती है। किसी समूह के व्यवहारों को जानने के लिए तथा उसका नियंत्रण करने के लिए उसकी रचना और विशेषताओं को जानना आवश्यक होता है। पुलिस के लिए भीड़ या मजमा जितनी कठिनाई उत्पन्न करता है, उतना कोई अन्य समूह नहीं करता है। यदि कोई समूह उग्र भीड़ में बदल जाता है तो पुलिस के सामने यकायक एक गम्भीर समस्या उठ खड़ी होती है। अतः उसके लिए भीड़ की रचना और उसके नियंत्रण के उपाय जानने आवश्यक हैं।

**पुलिस छवि और इसको सुधारने के तरीके–**

**पुलिस छविः–** आम नागरिक के रूप में जब हम पुलिस के बारे में सोचते हैं, तो हमारे जहन में पुलिस की एक तस्वीर और अवधारणा उभर कर आती है और यह अधिकतर नकारात्मक ही होती है। पुलिस की छवि के संदर्भ में माना जाता है कि सामंतशाही प्रवृति रखती है। पुलिस थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है। पुलिस का व्यवहार सही नहीं है, संवेदनशीलता का अभाव है, भ्रष्टाचार अधिक है, घटना के बाद देरी से घटना स्थल पर पहुचती है,आम आदमी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है आदि–आदि।

**पुलिस छवि सुधारने के उपायः**–यह सही है कि पुलिस की छवि को सुधारना अतिआवश्यक है। इसके लिए निम्न उपाय किये जा सकते हैंः

1. पुलिस में नैतिकता का विकास करना।
2. सामुदायिक पुलिस को बढाना।
3. व्यवहार में परिवर्तन करना।
4. समय पर परिवादों व शिकायतों का निस्तारण करना।
5. सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करना।
6. वर्दी की मर्यादाओं का ध्यान रखना।
7. जनता के बीच जाकर पुलिस का अच्छा पक्ष उजागर करना।
8. मीडिया से उत्तम संबंध कायम करना।
9. घटना के पुलिस रेस्पोन्स टाइम में सुधार करना।
10. कल्याणकारी कार्यों में हिस्सेदारी करना।